बिहार सरकार

जिला आपदा प्रबंधन योजना, अररिया
2022

श्री राज मोहन झा, बि०प्र०से०
अपर समाहर्त्ता, अररिया

श्रीमति इनायत खान, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, अररिया

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अररिया

मानचित्र अररिया जिला

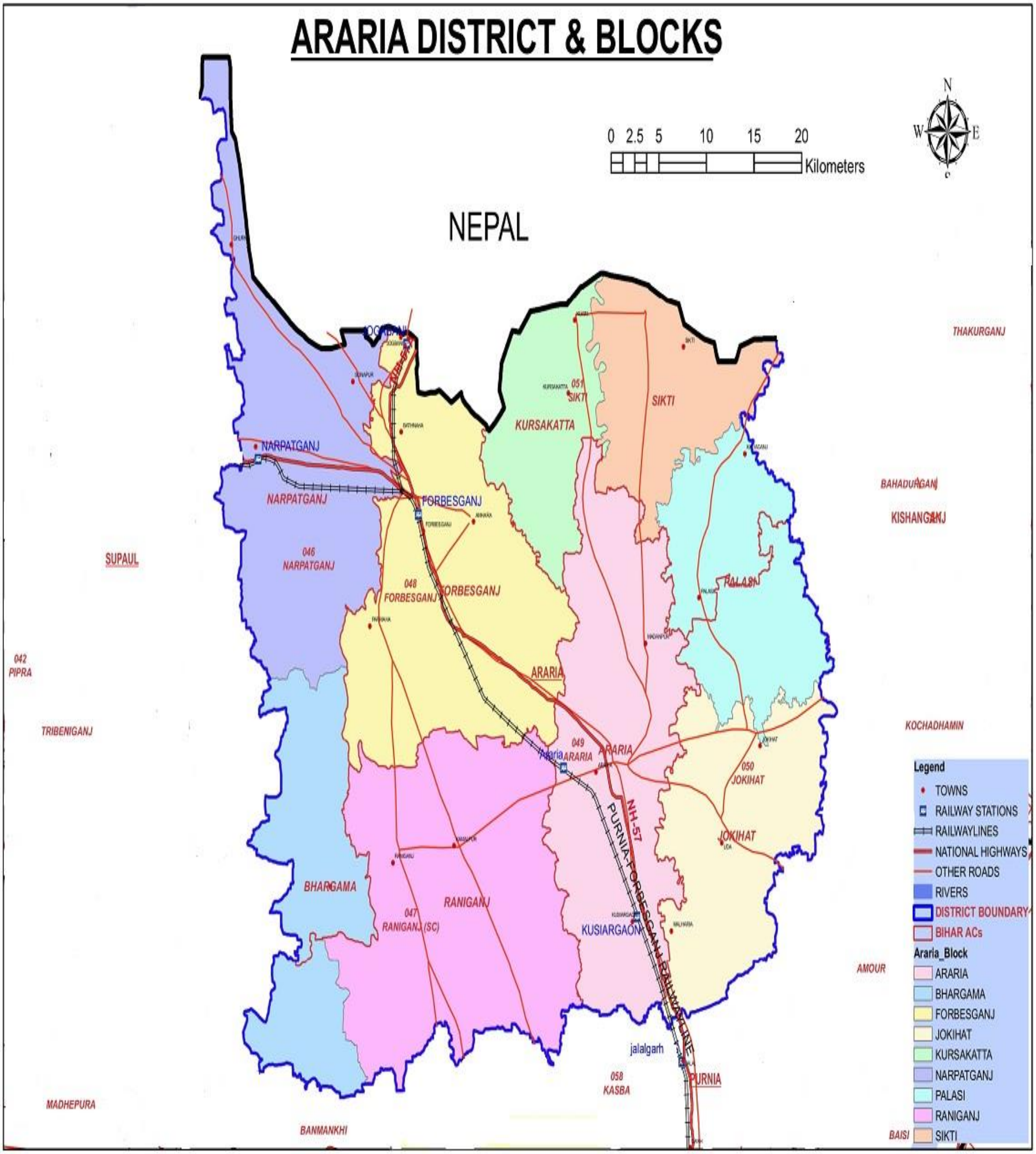

संपादक मंडल

आपदा प्रबंधन योजना, अररिया 2022

❖ **अध्यक्षता**

श्रीमती इनायत खान, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अररिया

❖ **मार्गदर्शन**

श्री राज मोहन झा, बि०प्र०से०, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, अररिया

❖ **विशेष सहयोग**

श्री विजय कुमार, बि०प्र०से०, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, अररिया

❖ **शोध, संपादन एवं विकास**

श्री सोमेश कुमार सिंह, कंसलटेंट/डी०एम०प्रोफेशनल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अररिया

❖ **आंकड़ा सहयोग एवं विश्लेषण**

श्री सुभाष कुमार सुमन एवं श्री शेखर सुमन, प्रोग्रामर, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, अररिया

❖ **टंकण कार्य**

श्री चन्दन कुमार शर्मा एवं श्री अमित कुमार, डी०ई०ओ०, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, अररिया

सन्देश

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, अररिया (District Disaster Management Plan) को सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला अररिया को **'डिजास्टर रेजिलिएन्ट'** बनाना। यह योजना निश्चित रूप से जिला प्रशासन को आपदा प्रबन्धन नियोजन तथा उसके प्रभावशाली क्रियान्वयन में मजबूती प्रदान करेगा।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना (District Disaster Management Plan) में आपदा पूर्व तैयारी (Prepardness), रोकथाम (Prevention), शमन (Mitigation), प्रत्युत्तर (Response), पुनर्वास (Rehabilitation) एवं पुनरूत्थान (Early Recovery) के गतिविधियों को समावेश किया गया है।

जिला अररिया में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं का प्रभाव निरन्तर बना रहता है। इस योजना में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के उत्पन्न होने की दशा में बचाव के सुव्यस्थित उपायों का उल्लेख किया गया है। योजना में आपदा पूर्व रोकथाम एवं शमन के उपायों को आपदाओं के पूर्व के अनुभवों के आधार पर संज्ञान में लिया गया है। इस योजना में जो भी विवरण व तथ्य दर्ज किए गए हैं, उन सभी का संग्रह विभिन्न स्रोतों से किया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना विकसित करते हुए यह ध्यान रखा गया है, कि जिला प्रशासन को इसके माध्यम से आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने में आसानी हो और जिला प्रशासन त्वरित गति से प्रत्युत्तर कार्रवाई क्रियान्वित करते हुए आपदा प्रभावित लोगों के जान–माल की रक्षा की जा सके।

इस योजना में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सेन्डई फ्रेमवर्क–2015–2030, बिहार डीआरआर रोड मैप 2015–2030 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009, सतत विकास लक्ष्य 2015–2030 आदि के प्रमुख सुझावों का निगमन किया गया है।

इसके प्रकाशन हेतु जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, जिला स्तरीय पुलिस प्रशासन, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं अन्य हितभागियों द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय रहा है।

श्रीमति इनायत खान
भा0प्र0से0
जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारण,
अररिया।

आभार

आपदा प्रबन्धन योजना, अररिया को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह योजना स्थानीय प्रकोप, जोखिम एवं भेद्यता तथा क्षमताओं को ध्यान में रख कर तैयार की गयी है। इस योजना में विभाग स्तरीय योजनाओं तथा अन्य हितभागियों की योजनाओं का सूत्रीकरण सुनिश्चित किया गया है।

आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए जोखिम के निवारण हेतु योजना में जिला प्रशासन तथा समुदाय के विचारों का समावेशन किया गया है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है, कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का स्वरूप, समय तथा व्यापकता में परिवर्तन आ रहा है। यह योजना विभिन्न सरकारी विभागों, जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी संगठनो की सहभागिता तथा आपदा होने की स्थिति में उसके कारण होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के दृष्टिगत परिष्कृत की गयी है।

मैं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करूँगा, कि उनके द्वारा इस जिला आपदा प्रबन्धन योजना का गहनता से अध्ययन कर लिया जाए जिससे उन्हें अपनी भूमिका की सम्य्क जानकारी हो सके। अगर प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं की स्थिति उत्पन्न होती है तो विहित व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से व त्वरित गति से प्रभावी क्रियान्वयन करने में इस योजना के माध्यम से उन्हें सफलता प्राप्त हो सकेगी।

जिला स्तरीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन, तहसील स्तरीय अधिकारी, ब्लाक स्तरीय अधिकारी/ग्राम पंचायत प्रतिनिधि/ अधिकारी, निजी क्षेत्र, तथा अन्य हितभागियों को उनके सराहनीय सहयोग हेतु जिला प्रशासन उनका आभार प्रकट करता है।

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पड़ाव

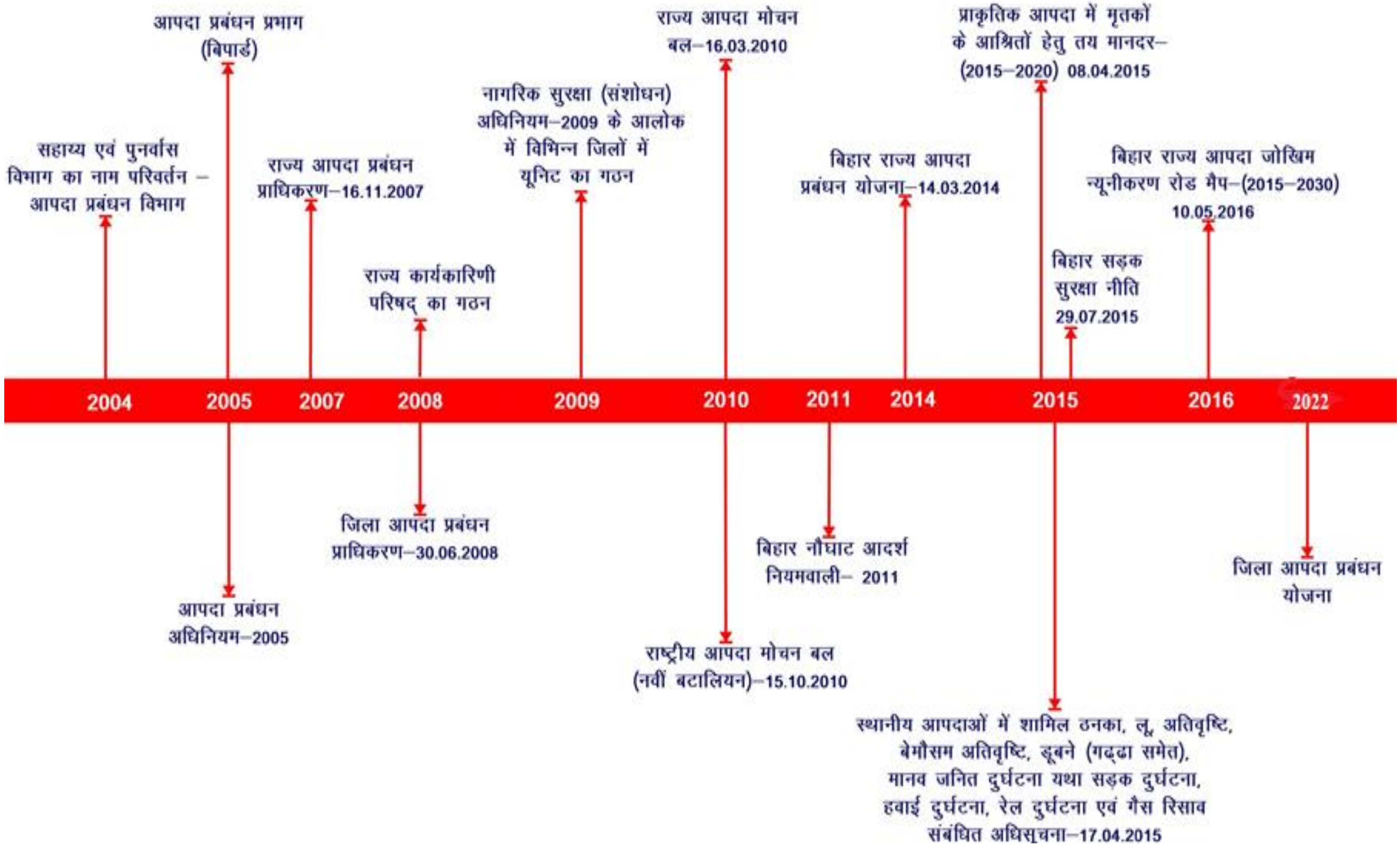

खण्ड–1
बहु–खतरा विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना
अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ट सं॰
	कार्यकारी सारांशExecutive Summary	4–6
1	आपदा प्रबन्धन योजना का परिचय **Introduction to Disaster Management Plan** 1.1 दृष्टि / विजन 1.2 उद्देश्य 1.3 दृष्टिकोण 1.4 रणनीति 1.5 जिला आपदा प्रबन्धन योजना	7-11
2	**जिले का परिचय** **District Profile** 2.1 जिले का परिचय 2.2 अररिया का मौसम 2.3 अररिया का इतिहास 2.4 अररिया का भूगोल 2.5 अररिया जिला में बहनेवाली नदी 2.6 तटबन्ध 2.7 जिले का ब्यौरा	12-19
3	**खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण** **Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis** 3.1 परिचय 3.2 बाढ़ 3.3 संकटग्रस्त व्यक्ति समूह वर्ष 2022 3.4 जिला में प्राकृतिक आपदाओं का विवरण 3.5 जिला में मानव प्रदत्त आपदाओं का विवरण 3.6 जिला अररिया का जोखिम / संवेदशीलता 3.7 जलवायु परिवर्तन 3.8 क्षमता विश्लेषण	20-40
4	**संस्थागत ढाँचा** **Instituional Arrangement** 4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4.2 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य 4.3 जिला आपदा संचालन केन्द्र	41-49
5	**आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय**	50-70

	Prevention, Mitigation and Preparedness Measures 5.1 विभाग/एजेंसी का विशिष्ट कार्य 5.2 सभी विभाग/एजेंसी के लिए कार्य 5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य 5.4 विशेष संरचनाओं की तैयारी	
6	**क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण** **Capacity Building and Training** 6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण 6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित 6.3 पेशेवर विशेषज्ञ 6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा 6.5 जागरूकता सृजन	70-73
7	**प्रत्युत्तर योजना** **Response Planning** 7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया (हादसा कमान अधिकारी) 7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य 7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक 7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र 7.5 बाढ़ साहाय्य संबंधी कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु कोषांग	74-86
8	**पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति** **Reconstruction, Rehabilitation and Recovery** 8.1 क्षति आकलन 8.2 पीड़ितो को राहत 8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन 8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण	87-90
9	**बजट एवं वित्तीय संसाधन** **Budget and Financial Resources** 9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम 9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम 9.3 अन्य स्त्रोत	91-94
10	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** **Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP** 10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	95-96

खण्ड–2

जिले का संसाधन, मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षात्मक सुझाव एवं राज्यादेश

अनुलग्नक

क्र0 सं0	विषय	पेज संख्या
1	अररिया जिला का मानचित्र	7–12
2	अररिया जिला एक नजर	13–14
3	अररिया जिला से गुजरने वाली मुख्य नदीयाँ	15
4	बाढ़ में संभावित पूर्ण प्रभावित अंचलों के पंचायतों की सूची	16
5	बाढ़ में संभावित आंशिक प्रभावित अंचलों के पंचायतों की सूची	17
6	अररिया जिला से गुजरने वाली मुख्य नदियों से प्रभावित क्षेत्रों की विवरणी	18
7	हेलीपेड स्थल की सूची	19
8	**जिला में उपलब्ध संसाधनों की विवरणी**	20–27
	(i) जिला में उपलब्ध नाव से संबंधित विवरणी	21
	(ii) पॉलिथीन भंडारण से संबंधित विवरणी	22
	(iii) महाजाल की उपलब्धता एवं लाईफ जैकेट की उपलब्धता	23
	(iv) प्रशिक्षित मोटरबोट चालकों की सूची	24
	(v) प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची	25
	(vi) प्रशिक्षित वालंटियरों की सूची	25–27
9	**ऊँचे शरण स्थलों की विवरणी**	28–41
	(i) अंचल सिकटी अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	29–30
	(ii) अंचल रानीगंज अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	30–31
	(iii) अंचल कुर्साकांटा अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	31–32
	(iv) अंचल पलासी अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	33–34
	(v) अंचल अररिया अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	34–35
	(vi) अंचल फारबिसगंज अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	35–37
	(vii) अंचल जोकीहाट अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	37–38
	(viii) अंचल नरपतगंज अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	38–41

	(ix) अंचल भरगामा अन्तर्गत बाढ़ 2022 हेतु चिन्हित बाढ़ राहत शिविर की विवरणी	41
10	**बाढ़ आश्रय स्थल की विवरणी**	42
11	इन्डस्ट्रीयल सायरन अधिष्ठापन की स्थिति	43
12	वर्ष 2016 से 2022 तक वर्षापात के ऑकड़े	44
13	संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संकटग्रस्त व्यक्ति समूहो से संबंधित ऑकड़े	45
14	आपदा सम्पूर्त्ति पोर्टल पर अद्यतन की गई लाभुकों की अंचलवार विवरणी	46
15	तटबंध सुरक्षा संबंधी कार्य योजना एवं संभावित कटाव स्थलों की सूची	47—49
16	**स्वास्थ्य विभाग का संभावित बाढ़ 2022 हेतु आकस्मिक योजना**	50—59
	(i) सदर अस्पताल, अररिया में उपलब्ध दवाईयों की सूची	53—59
17	**पशुपालन विभाग द्वारा संभावित बाढ़ 2022 हेतु आकस्मिक योजना**	60—65
	(i) पशु शिविर केन्द्र की सूची	60—61
	(ii) बाढ़ / सुखाड़ सहाय्य कार्य में कार्यभारित कर्मी / पदाधिकारियों की विवरणी	62
	(iii) बाढ़ / सुखाड़ 2022 हेतु पशु शिविर हेतु चिन्हित ऊँचें शरण स्थलों की सूची	63
	(iv) उपलब्ध पशु दवाओं की सूची	65
18	आकस्मिक फसल योजना 2022—23	66—75
19	विभिन्न आपदाओं को प्रतिवेदित करने हेतु प्रपत्र	76—80
20	संभावित बाढ़ 2022 के पूर्व तैयारी के संबंध में विभागीय दिशा—निर्देश (पत्रांक—1678 / आ0प्र0, दिनांक—19.04.2022)	81—88
21	जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत बाढ़ नियंत्रण आदेश—2022 (पत्रांक—1881, दिनांक—29.04.2022)	89—104
22	जिला स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण—सह—बाढ़ पूर्व तैयारी आदेश—2022	105—106
23	आपदा जोखिम न्यूनीकरण—सह—बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु दिनांक—18.04.2022 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही	107—111
24	अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पूर्णियाँ द्वारा पॉलिथीन शीट्स की अधियाचना संबंधी पत्र (पत्रांक—653 / आ0प्र0, दिनांक—19.05.2022)	112—113
25	संभावित बाढ़—2022 के मद्देनजर नियंत्रण कक्ष में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति आदेश (ज्ञापांक—674 / आ0प्र0, दिनांक—30.06.2022)	114—117
26	संभावित बाढ़—2022 के लिए निविदा के माध्यम से दर निर्धारण हेतु जिला क्रय एवं दर निर्धारण समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही (ज्ञापांक—476 / आ0प्र0, दिनांक—13.05.2022)	118—129
27	(i) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन से संबंधित दिशा—निर्देश (ज्ञापांक—1502 / आ0प्र0, दिनांक—13.06.2008)	130—133

	(ii) प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन से संबंधित दिशा–निर्देश (ज्ञापांक–1388/आ0प्र0, दिनांक–24.07.2004)	134–135
	(iii) नगर क्षेत्र में बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन से संबंधित दिशा–निर्देश (ज्ञापांक–1004/आ0प्र0, दिनांक–08.07.2005)	136–137
	(iv) वार्ड स्तर पर बाढ़/राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के गठन से संबंधित दिशा–निर्देश (ज्ञापांक–3883/आ0प्र0, दिनांक–11.12.2007)	138–139
28	बाढ़ राहत केन्द्र संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश (ज्ञापांक–3174/आ0प्र0, दिनांक–24.08.2016)	140–144
29	स्थानीय प्रकृति के आपदाओं से पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान के संबंध में विभागीय दिशा–निर्देश (ज्ञापांक–1418/आ0प्र0, दिनांक–17.04.2015)	145–146
30	आपदा प्रभावित परिवारों को मुफ्त सहाय्य वितरण के संबंध में विभागीय दिशा–निर्देश (पंत्राक–1432/आ0प्र0, दिनांक–04.04.2016)	147–148
31	स्थानीय प्रकृति आपदा/गैर प्रकृति आपदा में मृतक का शव बरामद नही होने की स्थिति में विभागीय दिशा–निर्देश (पंत्राक–3964/आ0प्र0, दिनांक–05.10.2021)	149
32	बाढ़ राहत शिविर में रहने वाले व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराने संबंधी विभागीय दिशा–निर्देश (पंत्राक–470444/आ0प्र0, दिनांक–20.06.2022)	150
33	बाढ़ प्रभावितों को सहाय्य मानदर के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने संबंधी विभागीय दिशा–निर्देश (पंत्राक–2964/आ0प्र0, दिनांक–05.08.2016)	151–152
34	PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने संबंधी विभागीय दिशा–निर्देश (पंत्राक–484/आ0प्र0, दिनांक–12.02.2019)	153–156
35	प्रकृति आपदा/विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में अन्य राज्य के निवासी की मृत्यु बिहार राज्य में होने के संदर्भ में विभागीय दिशा–निर्देश (पंत्राक–2610/आ0प्र0, दिनांक–20.07.2021)	157
36	दिनांक–15.09.2021 के प्रभाव से सड़क दुर्घटना को आपदा प्रबंधन विभाग से विलोपित करने संबंधी अधिसूचना (ज्ञापांक–3832/आ0प्र0, दिनांक–27.09.2021)	158
37	न्यूनतम दैनिक मजदूरी के दर के निर्धारण संबंधी अधिसूचना	159–161
38	स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को SDRF/NDRF मद से सहाय्य मानदर मुहैय्या कराने संबंधी दिशा–निर्देश	162–182
39	जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का दूरभाष संबंधी विवरणी	183–186

कार्यकारी सारांश

(Executive Summary)

जिला योजना आपदा प्रबन्धन योजना, आपदा अधिनियम 2005 को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। आपदा प्रबन्धन योजना के भाग 1 (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) एवं भाग 2 में तैयार किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य है, *"जीवन एवं आजीविका के जोखिम का न्यूनीकरण करते हुए स्थायी विकास को प्रोत्साहित करना''।*

उपरोक्त योजनाओं में सेन्डई फ्रेमवर्क फार एक्शन (सन् 2015–2030) को दृष्टिगत रखते हुए चार प्राथमिकताओं को विशेष रूप से शामिल किया गया हैः, जैसे– जिला में अवस्थित आपदा खतरें को समझना, आपदा जाखिम गवर्नेंस का सुदृढ़ीकरण ताकि आपदा के जाखिम को कम किया जा सके, स्थायी विकास के लिए आपदा जाखिम न्यूनीकरण में निवेश एवं प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर और बिल्ड बैक बेटर अर्थात बेहतर पुनर्निर्माण के लिए आपदा पूर्व तैयारी को बढ़ावा देना।

लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्रवार, मौसमवार एवं प्रकोपवार जोखिम की पहचान कर न्यूनीकरण हेतु विभागवार सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित किया गया। इन क्रियाकलापों को 5 (पांच) अवयवों में विभक्त किया गया है, यथा– सुरक्षित ग्राम (रेजिलिएन्ट विलेज), सुरक्षित शहर (रेजिलिएन्ट सिटी), सुरक्षित आजीविका (रेजिलिएन्ट लाइवलीहुड), सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ (रेजिलिएन्ट बेसिक सर्विसेज) एवं सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाऍं (रेजिलिएन्ट क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर)।

आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक ढाँचा, कर्मियों की व्यवस्था एवं विशेष रूप से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की भूमिका एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

जिला में प्रकोप, संवेदनशीलता, जोखिम एवं क्षमता की पहचान कर आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए 3 जोन में विभाजित किया गो है, जिसमें प्रथम हाई डमैज रिस्क जोन, मिडियम डैमेज रिस्क जोन एवं लो डैमेज रिस्क जोन में विभाजित किया गया है। आपदा जाखिम न्यूनीकरण हेतु विभाग वार संसाधनों की पहचान सुनिश्चित किया गया है।

विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापः– आपदा प्रबन्धन योजना में विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी अंकित है। क्रियाकलापों के निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्रियाकलापों को सम्पादित करें।

अनुवश्रवण की व्यवस्था–आपदा प्रबन्धन के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की भी व्यवस्था रखी गयी है। माननीय् जिला पदाधिकारी, की अध्यक्षता में आहूत जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की छमाही बैठक में निर्धारित किये गये कार्यो की प्रगति की समीक्षा कर अनुश्रवण किया जाएगा।

योजना की समीक्षा एवं अदतनीकरण

डी0डी0एम0पी0 का जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष में दो बार (माह जून एवं नवम्बर) सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारीयों की समीक्षा की जायेगी।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम के नियम 31 के उपनियम 24 के अनुसार ***"जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा"***

डी0डी0एम0पी0 के अद्यतन हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा डी.डी.एम.ए.को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

पूर्व तैयार योजना का अद्यतनीकरण करते समय निर्माण करने वाले समस्त हितभागियों तथा अधिकारियों को निम्नलिखित सिद्धांतो को अपनाना आवश्यक होगा –

1. **समग्रता आधारित**–जिले के सभी आपदाओं तथा उससे होने वाले संभावित प्रभावों, जोखिम को शामिल करना तथा विभिन्न विभागों द्वारा आपदाओं के सभी फेजों एवं चरणों को ध्यान में रखते हुए योजना का पुनरावलोकन एवं अद्यतनीकरण करना होगा।
2. **एकीकृत**– पूर्व तैयारी, राहत एवं बचाव, प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी आपदाओं से बचाव की योजना में समुदाय, सरकार एवं अन्य हितभागियों की उपयोगिताओं को सुनिश्चित करना होगा।
3. **सहभागी**–योजना का आपदा प्रभावित समुदाय, पंचायत, जिला प्रशासन, सरकार एवं विशेषज्ञ संगठन की सहभागिता सुनिश्चित कराते हुए पुनरावलोकन एवं अद्यतनीकरण करना होगा।
4. **सहयोगी**– सभी हितधारकों द्वारा किये गये कार्यों की उपयोगिता, सीख एवं सार्वजनिक नेतृत्व को महत्व देते हुए उसे एक–दूसरे के साथ साझा करना। व्यक्ति तथा एजेंसियों के बीच प्रभावी सम्बंध बनाने हेतु साझा मंच विकसित करना।
5. **सामाजिक समावेश .**एक आपदा, प्रभावित क्षेत्र के विकास को दशकों पीछे छोड़ देती है। यदि प्रभावित समुदाय ने विकास में पर्याप्त जोखिम में कमी के उपायों को शामिल किया होता, तो प्रभाव को कम किया जा सकता है। एकीकृत तरीके से विकास और डीआरआर वाले दृष्टिकोण को डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका मतलब यह भी है कि डीआरआर मेनस्ट्रीमिगं का मौलिक रूप से विस्तार करें ताकि यह एक सामान्य अभ्यास बन जाए, जो आपदा प्रत्युत्तर के लिए तैयारियों के अलावा प्रत्येक एजेंसी की नियमित योजना और कार्यक्रमों में पूरी तरह से संस्थागत हो जाये। सामाजिक स्थितियों के आधार पर खतरों में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आपदाओं के लिए मानव प्रत्युत्तर अक्सर भेदभाव करते हैं। मौजूदा सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का मतलब है कि आपदाएं समान रूप से समान समुदायों के लिए

अलग–अलग परिणाम पैदा कर सकती हैं, जहां सबसे कमजोर समूह भी दूसरों की तुलना में कई मामलों में असमान रूप से पीड़ित हैं। एनपीडीएम 2009 की प्रस्तावना में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों में आपदाओं के दौरान सबसे अधिक नुकसान होता है। डीएम अधिनियम 2005 विशेष रूप से भेदभाव के सभी रूपों को मना करता है – यह सेक्स, जाति, समुदाय, वंश या धर्म पर आधारित हो। सामाजिक समावेश अधिकारों और अवसरों की समानता, व्यक्ति की गरिमा, विविधता को स्वीकार करने, और सभी के लिए लचीलापन बनाने में योगदान देता है, जो किसी समुदाय के सदस्यों को उम्र, लिंग, दिव्यांगता अन्य के आधार पर नहीं छोड़ता है।

6.डीआरआर मेनस्ट्रीमिंग या मुख्यधारा डीआरआरः आपदा की संभावनाओं को पहचाने और पर्याप्त जोखिम में कमी को शामिल किए बिना विकास, वास्तव में, मौजूदा जोखिमों को विकराल बना सकता है और इसके साथ नए जोखिमों के शुरू होने की संभावनायें बढ़ जाती है, इससे संभावित आपदाओं का नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। मुख्यधारा डीआरआर एक दृष्टिकोण है जिसमें विकास और डीआरआर दोनों को विकास के सभी पहलुओं – नीतियों, योजना और कार्यान्वयन में एक सहज तरीके से समवर्ती रूप से शामिल किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी जोखिम के रूप में कार्य करता है, हर हाइड्रो–क्लाइमेटिक संबंधी खतरे से जुड़ी अनिश्चितताओं को बिगड़ता है, जिससे जोखिम परिदृश्य बदलता है। एसडीजी के तहत कार्रवाई और जलवायु परिवर्तन की प्रत्युत्तर एवं विकास की पहल के अभिन्न अंग हैं और इन सभी में आपदा लचीलापन का निर्माण आम विषय है।

7. **जेंडर (Gender):-** समाज में सामान्य स्तर पर सामुदायिक और घर के भीतर उनकी बदलती भूमिकाएं और जिम्मेदारियां है। आपदा के बाद के प्रभाव का महिलाओं, पुरूषों, लड़कों और लड़कियों द्वारा अलग–अलग तरह से अनुभव किया गया है।

8. **लचीलापन (Resilence)**:–आपदा जाखिम न्यूनीरकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु रचनात्मक एवं नवीन तरीका अपनाना। योजना में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, नैतिक आचरण, जवाबदेही और निरंतर सुधार आदि पर आधारित ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देना।

.9**विकासात्मकः–** आपदाओं से प्रभावित समुदाय के क्षमता निर्माण हेतु भावी आपदाओं का अनुमान करना तथा उसके निवारण हेतु पूर्व तैयारी के लिए क्षमता निर्माण की योजना को महत्व देना।

अध्याय:1

आपदा प्रबन्धन योजना का परिचय

1 परिचय

आपदा प्रबन्धन योजना सरकार, समुदाय, निजीगत क्षेत्रों तथा स्वयंसेवी संगठनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण अररिया जिला हेतु निर्मित किया गया है। यह योजना जिला में निवास करने वालों समुदायों, सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, निजीगत क्षेत्रों एवं समुदाय आधारित संगठनों आदि सभी के लिए है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण, अद्यतनीकरण तथा कार्यान्वयन तथा इसमें नियमित सुधार का जबाबदेही जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अररिया को है। इस योजना के निर्माण में जिले में स्थित सभी हितभागी समूहों ने सहभाग किया है। वर्णित हितभागी समूहों की भूमिकाओं एवं जवाबदेहियों के विषय में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 को ध्यान में रखते हुए योजना के दोनों खण्डों (आपदा शमन एवं प्रत्युत्तर योजना) में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

1.1– दृष्टि/विजन

यह विजन नीतियों में परिलक्षित लक्ष्यों, उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और डीआरआर के लिए पीएम के टेन–पॉइंट एजेंडा को शामिल करता हैः

सभी विकास क्षेत्रों में आपदा जोखिम में कमी को प्रभावी बनाने के लिए, स्थानीय क्षमताओं पर आधारित समावेशी नियोजन जो आपदा जोखिम में कमी को प्राप्त करें, जीवन के नुकसान, आजीविका के साथ–साथ सभी प्रकार की संपत्तियों (आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक) के नुकसान को कम करना एवं प्रशासन के सभी स्तरों के साथ–साथ समुदायों के बीच आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाना। दुसरे शब्दों में कहे तो, आपदा तथा गैर आपदा वाले परिस्थितियों में एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना जहाँ लोग आपदा के दौरान अपनी मद्द स्वयं करने को तैयार हों तथा स्थानीय निकाय एवं प्रशासन प्रभावित समुदाय को उनकी गरिमा सुनिश्चित कराते हुए संगठित होकर अबाधित परस्पर सहायता प्रदान करना, इसी दृष्टि से अररिया जिले को बहु आपदा सहने लायक सक्षम बनाने हेतु योजना तैयार किया गया है।

1.2–उद्देश्य

इस योजना में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सेन्डई फ्रेमवर्क–2015–2030, बिहार डीआरआर रोड मैप 2015–2030 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009, सतत विकास लक्ष्य 2015–2030 आदि के प्रमुख सुझावों को शामिल किया है। तदनुसार, डीडीएमपी के व्यापक उद्देश्य हैंः

1. आपदा जोखिम, न्यूनीकरण की समझ बनाना
2. संरचनात्मक, गैर–संरचनात्मक और वित्तीय उपायों के साथ–साथ व्यापक क्षमता विकास के माध्यम से आपदा जोखिम में कमी
3. प्रभावी प्रत्युत्तर के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना
4. रिकवरी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में ''बिल्ड बैक बेटर'' को बढ़ावा देना
5. आपदाओं से बचाव, जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य और संपत्ति (आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण) में आपदा जोखिम और नुकसान की पर्याप्त कमी को प्राप्त करना
6. नए आपदा जोखिमों के उद्भव को रोकना और मौजूदा जोखिमों को कम करना

7. आपदा के जोखिमों को रोकने और कम करने के लिए एकीकृत और समावेशी आर्थिक, संरचनात्मक, कानूनी, सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यावरण, तकनीकी, राजनीतिक और संस्थागत उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना
8. स्थानीय अधिकारियों और समुदायों दोनों को आपदा जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने के लिए भागीदार के रूप में सशक्त बनाना
9. बहु आयामी खतरों (Multi Hazard) का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए और समुदाय–आधारित आपदा प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर क्षमता विकास
10. सभी स्तरों पर आपदा जोखिम निवारण और शमन की संस्कृति को बढ़ावा देना
11. सुनिश्चित करना कि प्लान सामाजिक रूप से समावेशी, लिंग संवेदनशील और सशक्त हो
12. निर्धनता से होने वाली आपदाओं को रोकने और आजीविका की रक्षा करने के लिए गरीब समुदायों को मजबूत करना
13. कृषि क्षेत्र में स्थायी खेती सहित आपदा जोखिम में कमी और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को मुख्य धारा में शामिल करना
14. कृषि और पशुधन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों पर विशेष ध्यान
15. आपदा प्रभावों से निपटने और उबरने के लिए समुदायों की क्षमता और लचीलापन विकसित करने के लिए लचीले स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देना
16. स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों में रिस्क मैनेजमेंट को एकीकृत करके स्वास्थ्य प्रणालियों का लचीलापन बढ़ाना
17. आपदा–प्रतिरोधक स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना
18. महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना और आपदा जोखिम में कमी में सक्रिय भागीदारी
19. डीआरआर को जल प्रबंधन में मुख्यधारा के प्रयासों को मजबूत करना और पानी से संबंधित खतरों के संभावित प्रभावों को कम करना
20. वित्तीय और राजकोषीय साधनों में आपदा जोखिम में कमी के विचारों और उपायों का एकीकरण
21. मुख्य धारा डीआरआर के आधार पर भू–उपयोग (शहरी और ग्रामीण)
22. आपदा जोखिम मॉडलिंग, मूल्यांकन, मैपिंग, निगरानी और बहु–खतरा पुर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना
23. जलवायु परिवर्तन सहित बहु–खतरों वाले आपदा जोखिमों और क्षेत्रीय आपदा जोखिम आकलन और मानचित्रों के विकास पर व्यापक सर्वेक्षण को बढ़ावा देना
24. साझा संसाधनों के बारे में पारिस्थितिक तंत्र–आधारित दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन, जैसे नदी घाटियों और तटीय क्षेत्रों के भीतर
25. मुख्य धारा डीआरआर के सभी पहलुओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारंपरिक ज्ञान का प्रभावी उपयोग

1.3–दृष्टिकोण

आज सम्पूर्ण विश्व के साथ–साथ भारत भी बहु–आपदाओं से निरन्तर प्रभावित होता आ रहा है। इन आपदाओं का एक बड़ी वजह बना है मानव का गलत तरीके से प्रकृति से साथ हस्तक्षेप। जलवायु परिवर्तन के वजह से ही आपदाओं की प्रकृति में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है और इसकी आवृत्ति तथा तीव्रतायें दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है और आपदाओं के चपेट में असंभावित क्षेत्र आ रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में प्राकृति एवं मानव जनित आपदाओं से अप्रत्याशित नुकसान हो रहा है क्योंकि इनका आकार सोच से परे बनता जा रहा है। पिछले 20 वर्षो के आपदाओं के प्रभाव को देखा जाए तो केवल ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं प्रभावित हुए है अपितु उसके साथ–साथ शहरी क्षेत्र भी बहु आपदाओं से प्रभावित होता आ रहा है। आज के

इस दौर में आपदाओं के विशाल स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए केवल प्रशासन के ऊपर आश्रित रहते हुए प्रत्युत्तर का इन्तजार करना यह काफी नही होगा, अपितु वर्तमान परिस्थिति में समुदाय केन्द्रित आपदा प्रबन्धन के साथ–साथ अन्य हितभागियों को भी आपदा के पूर्व, दौरान एवं बाद की स्थितियों से परस्पर निपटने के लिए सक्षम बनाते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

बहु–आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जिला को आपदाओं से निपटने हेतु सक्षम बनाने के लिए जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाने के लिए निम्न दृष्टिकोण अपनाये गये–

- जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के दौरान विभिन्न हितभागियों के साथ समुदाय स्तर पर भी बैठकें जानकारियां एवं सुझाव एकत्र कर योजना में समाहित किया गया।
- योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण/शमन तथा जलवायु परिवर्तन (DRR and Climate change) को ध्यान में रखते हुए एकीकृत गतिविधियां तैयार की गयी हैं।
- अररिया जिला बहु–आपदाओं से प्रभावित है। यहाँ नदियों के किनारें बसे गांवों तथा शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। जिला की प्रमुख प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। लेकिन इसके अतिरिक्त जिले में अन्य प्राकृतिक आपदायें– भूकम्प, चक्रवाती तूफान/तेज हवायें, शीतलहर, ओलावृष्टि, सर्पदंश, व्रजपात नदियों से कटाव एवं मानव निर्मित आपदायें सड़क दुर्घटना, अगलगी, डूबने की घटना एवं नाव दुर्घटना आदि हैं। जलवायु परिवर्तन की बदलती परिस्थिति में आपदाओं के स्वरूप एवं आवृत्ति, प्रवृत्ति व तीव्रता में बदलाव हो रहा है। अतः योजना बनाते समय जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
- जिला में बहु आपदाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धित मुद्दे भी पायें गये हैं, जैसे– पेयजल में आयरन जिसके रोकथाम हेतु कार्रवाई तैयार किया गया है।
- विभिन्न आपदाओं का प्रभाव समुदाय के अलग–अलग वर्गो जैसे– महिला, पुरूष, बच्चे, दिव्यांगो, बुजुर्गों, लम्बी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों आदि पर अलग–अलग पड़ता है, जबकि आपदाओं के न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर हेतु बनने वाली योजनाओं में सभी के लिए एक ही गतिविधि निर्धारित कर दी जाती है, जिसका सभी वर्गों को फायदा नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में इस योजना को बनाते समय जेण्डर एवं अन्य संवदेनशील वर्गों से जुड़े मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया और तदनुरूप उनकी संवेदनशीलता को समझते हुए उसके सापेक्ष गतिविधियां निर्धारित की गयी है।

1.4– रणनीति

योजना तैयार करने के तथा क्रियान्वयन के लिए विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्न है–

1. विषय विशेष पर विस्तृत अध्ययन
2. क्षेत्र विशेष की पहचान, समीक्षा एवं विश्लेषण
3. हितभागियों की पहचान
4. प्रकोप जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता आकलन
5. योजना निर्माण हेतु विभाग स्तरीय आवश्यक आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण
6. विशिष्ट योजनाओं की जानकारी, मूल्यांकन एवं आपदा के समय जुड़ाव तथा निश्चित अन्तराल पर आकलन
7. आपदाओं से निपटने हेतु विभागस्तर पर क्षमता निर्माण
8. क्षेतीज एवं उर्ध्वाधर विभागीय समन्वय
9. क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं वैधानिक समझ
10. योजना का सफल क्रियान्वयन

1.7–जिला आपदा प्रबन्धन योजना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना में जिले के प्रकोप, जोखिम एवं संवेदशीलता को वर्णित किया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना (DDMP) जिला स्तरीय विभागों को आपदा प्रबन्धन साइकिल में वर्णित समस्त चरणों में कार्रवाई हेतु एक दिशानिर्देश एवं फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। समय–समय पर आपदा प्रबन्धन में उभरते वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों एवं स्थानीय एवं वैश्विक ज्ञान के आधार पर जिला को आपदामुक्त/आपदा का सामना करने में रेसिलिएंट (Resilience) बनाने में डी0डी0एम0पी0 चूंकि एक "प्रगतिशील दस्तावेज" होगा। यह आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा आपदा प्रबन्धन नीति 2009 के दिशानिर्देश एवं स्थानीय अभ्यासों के अनुसार निर्मित है। जिले में विभिन्न स्तरों पर सभी विभाग एवं एजेंसियों द्वारा विकासीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, परन्तु ये योजनाएं बहु आपदाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जातीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये योजनाएं सूचना एवं ज्ञान का भण्डार हैं लेकिन इसमें आपदा के दौरान हितधारकों के कार्य जिम्मेदारी एवं जवाबदेही विषय पर चर्चा बहुत कम होती है।

यह योजना न्यूनीकरण की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है तथा उसके आधार पर किसी भी आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु सभी जिम्मेदार हितभागियों को स्पष्टता प्रदान करेगा कि कौन सा विभाग/हितभागी किस प्रकार के आपदाओं के प्रबन्धन हेतु जबाबदेह है। डी0डी0एम0पी0 में यह परिकल्पना किया गया है, कि जिले में किसी भी प्रकार की अगर आपदा होती है तो उसकी कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन तत्पर है। डी0डी0एम0पी0 को इस तरीके से बनाया गया है, कि आपदा के किसी चरण में आसानी पूर्वक विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा सके।

डी0डी0एम0पी0 पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष में दो बार (माह जून एवं नवम्बर) सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारीयों की समीक्षा की जायेगी। डी0डी0एम0पी0 के अद्‌यतनीकरण हेतु आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्‌यतनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा डी.डी.एम.ए.को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

अध्यायः 2
जिले का परिचय

2.1 भौगोलिक विवरण

अररिया जिला का क्षेत्रफल 2830 वर्ग किलोमीटर है। जिला 25°5' से 26°35' उत्तरी अक्षांश और 87°31' से 87°52' पश्चिमी देशान्तर में फैली है। जिला के दक्षिण दिशा में पूर्णियाँ, पश्चिम दिशा में सुपौल और मधेपुरा जिला है, पूरब दिशा में किशनगंज तथा उत्तर दिशा में अर्न्तराष्ट्रीय सीमा नेपाल अवस्थित है। जिले की सीमायें चूंकि नेपाल से सीधे लगी हुई हैं लिहाजा यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अररिया जिले के 04 प्रखण्ड फारबिसगंज, सिकटी, कुर्साकांटा एवं नरपतगंज अंतिम सीमा स्थल है। इसके बाद नेपाल का विराटनगर जिला शुरू हो जाता है। परिवहन के लिए सड़क तथा रेल मार्ग दोनो यहां उपलब्ध है।

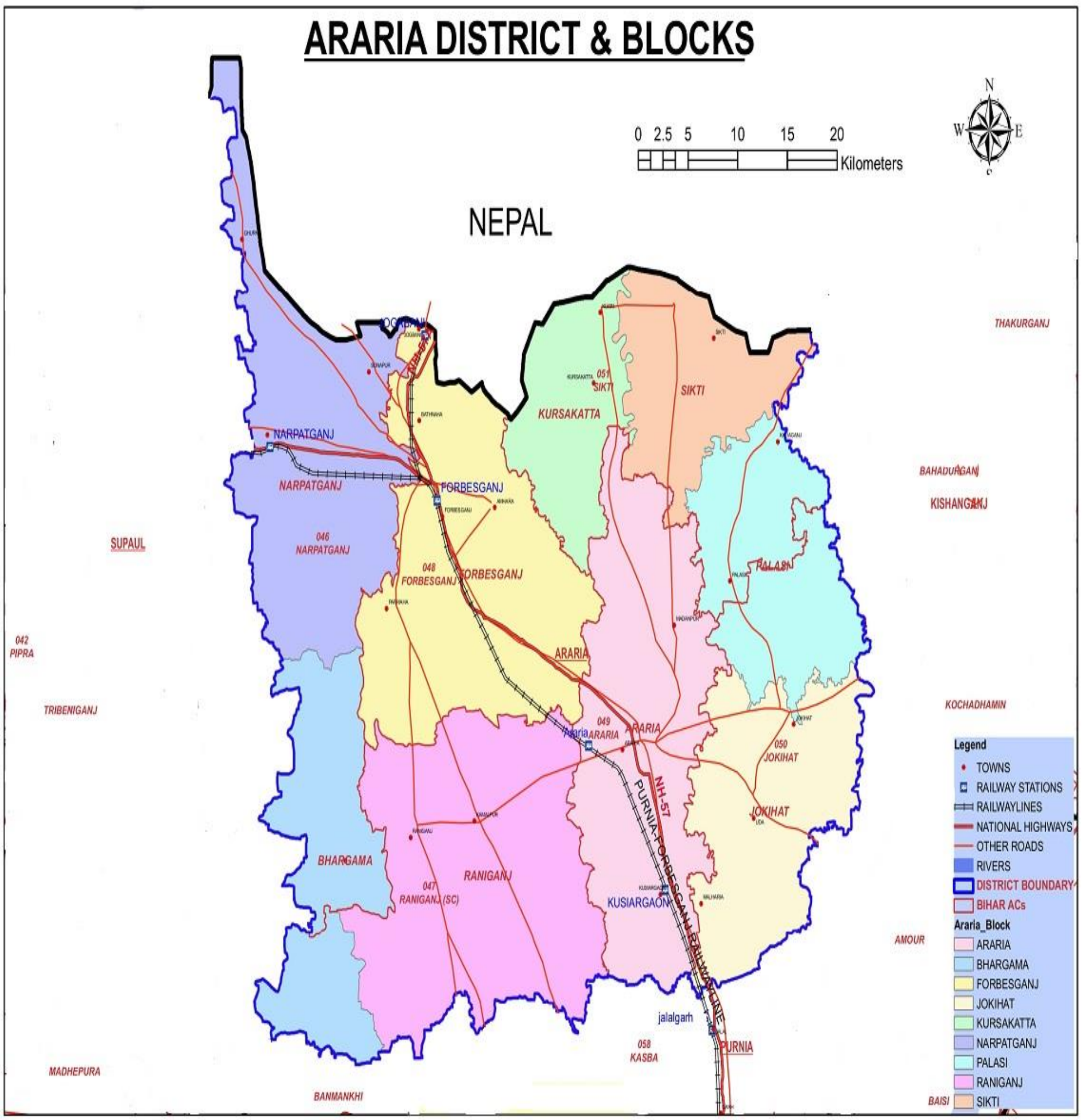

2.2.1 मिट्टी

अररिया जिले का ज्यादातर भाग कैल्शियम रहित, खारा रहित, जलोढ़ बाढ़ के द्वारा बनायी गयी मिट्टी से बना है जो कोसी की धारा के साथ नीचे आती है। ज्यादा मात्रा में गाद के होने से हर साल कोसी नदी मिट्टी की एक नयी परत बिछा देती है। वृक्षारोपण की कमी तथा शीघ्र क्षरण की वजह से यहाँ की भूमि खाद और नाइट्रोजन रहित होती है। हालांकि समूचे मैदानी क्षेत्र की जमीन ज्यादातर कछारी है लेकिन यह क्षेत्रवार अलग–अलग है। इसके बनावट और रंग, बालुई कणों तथा खाद की मात्रा के आधार पर इनकी अलग–अलग संरचनायें देखने को मिलती हैं। जिले में सर्वाधिक मिलने वाली दोमट, चिकनी, बालुई मिट्टी है। मिट्टी में नगण्य मात्रा में बलुई कण होते हैं और यह नमी को काफी देर तक बरकरार रख पाने की वजह से काफी उर्वर होती है तथा इसमें मिट्टी तथा बालू के कण लगभग बराबर मात्रा में रहते हैं। यह जिले के दक्षिणी अंचल में पाया जाता है जो विशेषतः दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है तथा बलुई दोमट मिट्टी जिले के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है।

2.2.2 नदियाँ–

अररिया जिले में कुल 8 छोटी एवं बड़ी नदियाँ है जिनका नाम परमान, बकरा, नूना, कनकई, रतवा, फरियानी, लछहा, सुरसर एवं कजरा आदि। जिलों को सर्वाधिक नुकसान परमान एवं बकरा नदी से होता है।

2.2 जलवायु मौसम प्रोफाइल

जिला अररिया एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में आता है। जिले की जलवायु उस औसत अवस्था के रूप में वर्णित की जा सकती है जो शेष बिहार तथा पश्चिम बंगाल के जलवायु का औसत है। यहॉ बारिश के महीनों में आर्द्रता बढ़ जाती है। वर्षा जल्द प्रारंभ हो जाती है और सामान्य रूप से मानूसन जून मध्य में आ जाता है और बरसात शुरू हो जाती है तथा यहाँ प्रति वर्ष जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा 15 अक्टूबर तक बाढ़ का भय बना रहता है।

जिले में वर्ष 2015 से 2021 तक का वर्षापात आंकड़ा– मि0मी0

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	कुल वर्षापात
2016	12.1	130.92	234.98	591.96	110.98	493.00	0.00	224.85
2017	25.96	87.93	107.37	243.74	537.14	131.64	48.58	168.91
2018	0.00	0.00	28.17	271.66	257.36	216.69	10.11	112.00
2019	79.51	64.49	169.03	567.39	102.99	388.74	15.59	198.25
2020	80.34	78.90	419.23	466.68	197.83	469.79	19.47	247.46
2021	9.19	299.54	249.00	405.08	396.11	54.60	6.74	202.89
2022	31.1	135.00	504.40	146.80	156.00	-	-	-

जिले में दिसम्बर और जनवरी के महीने के दौरान उच्चतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। दिसम्बर के माह में उच्चतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस जिला में दिसंबर व जनवरी माह में रात में धुंध व कोहरा छाये रहना सामान्य लक्षण है।

बिहार के अन्य इलाकों की अपेक्षा यहाँ कम गर्मी पड़ती है तथा गर्मी का मौसम जून माह तक बना रहता है। यहाँ मई माह तक लगातार तापमान में वृद्धि होती है। मई माह का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। जिला का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आस–पास रहता है।

दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही बारिश का मौसम जून के मध्य से आरम्भ होता है। मानसून के आगमन के साथ ही मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। तापमान में गिरावट आती है। बारिश के मौसम में सीजन

की 80 प्रतिशत से अधिक वर्षा होती है। जुलाई, अगस्त व सितम्बर माह में कुल बारिश का 75 प्रतिशत वर्षा होती है। मानसून के आगमन के साथ ही भारी वर्षा आरम्भ हो जाती है।

2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

आज से 400 वर्ष पूर्व अररिया का भू–भाग अररिया सूबा का भाग था और यह मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ था। शक्तिशाली सूबेदार सैफ खान (1727–1748 ई0) ने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और सुल्तानपुर (वर्तमान फारबिसगंज) को अपने सूबे में मिला लिया। उस समय अररिया बंगाल प्रान्त के तीन सूबों में से एक था। सैफ खान ने महान मुगल शासक जलालुउद्दीन अकबर के नाम पर अररिया और सुल्तानपुर के बीच एक किला बनवाया, जिसे ''जलालगढ़'' नाम दिया गया। सैफ खान ने मुस्लिम कलाकरो, व्यापरियों एवं योद्वाओं को अपने सूबे में बसने के लिये प्रोत्साहित किया। उनमें दो काफी महत्वपूर्ण थे–

क– मोहम्मद रजा– खगड़ा (किशनगंज) के नवाब।
ख– अमीरतक मीर या परवाहा (सुल्तानपुर) के मीर साहब।

मीर साहब ने परवाहा के आस–पास के पन्द्रह गावों को खरीद लिया। पलासी की लड़ाई (1757 ई0) एवं उसमें सिराजुददौला की हार ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। 1765 ई0 की इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी व्यवहारिक रूप से बंगाल की स्वामी बन गयी। तत्पश्चात् प्रभावी प्रशासन के लिए बंगाल के सूबों को जिला कहा जाने लगा और अररिया बंगाल प्राप्त का एक जिला बना जिसकी सीमा दार्जिलिंग से लेकर गंगा नदी तक जाती है।

बदली हुई परिस्थिति में सुल्तानपुर एक जमींदारी बन गया, जिसके आधे भाग पर मीर साहब का अधिकार था और आधे भाग पर राजा इन्द्रनारायण राय का। राजा इन्द्रनरायण राय की पत्नी का नाम रानी इन्द्रावती था। रानी का मैका रानीगंज के पास गांव हंसकोला में था। रानी इन्द्रावती के नाम पर ही आज का रानीगंज प्रखण्ड जाना जाता है।

राजा इन्द्र नारायण राय की जमीनदारी सन् 1850 में मुर्शीदाबाद के प्रताप सिंह को बेंच दी गयी। प्रताप सिंह के लिए उतनी दूर से इस क्षेत्र की देखभाल कर पाना कठिन हो रहा था। इसलिए उन्होंने सन् 1859 में सुल्तानपुर की जमींनदारी एक अंग्रेज सर अलेक्जेंडर फोर्बेस को बेंच दिया। इसी के साथ विकास के नये युग का आरम्भ हुआ। दूसरी तरफ सन् 1860 के आस–पास मीर साहब की मृत्यु हो गयी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परिणामस्वरूप धीरे–धीरे उनकी जमींदारी भी अलेक्जेंडर फोर्बेस की जमींदारी में समाहित हो गयी।

अलेक्जेंडर फोर्बेस ने पूरे परगने में नील की खेती शुरू करवायी। जब यूरोप में रासायनिक पद्वति से नील बनने लगा, तब नील की खेती बन्द करवा दी गयी। सन् 1890 में अलेक्जेंडर फोर्बेस और उसकी पत्नी डायना की मृत्यु मलेरिया से हो गयी। उसकी मृत्यु तक सुल्तानपुर की जमींदारी अररिया जिले की सबसे बड़ी जमीन्दारी बन गयी थी।

आर्थर हेनरी फोर्बेस ने पिता की मृत्यु के बाद शासन संभाला। इसके समय ही सुल्तानपुर का नाम बदलकर फारबिसगंज रखा गया। हेनरी फोर्बेस शौकीन और रईस पर क्रूर किस्म का इंसान था। इसके समय में डुगडुग्गी पिटवाई गयी कि फारबिसगंज का कोई निवासी रहने के लिए पक्का मकान नहीं बनवाएगा।

इस वंश का अंतिम वारिस था मि0 मकाई। सन् 1947 के बाद यह परिवार इग्लैण्ड चला गया। आजादी के बाद सन् 1990 तक वर्तमान अररिया जिला अररिया का हिस्सा बना रहा। 14 जनवरी सन् 1990 को मकर सक्रान्ती के दिन यह एक नये जिले के रूप में उदित हुआ और तब से यह निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।

अररिया में गंगा डाल्फिन का प्राकृतिक वास है तथा ये स्थानीय नदियों में पाये जाते है। इस डाल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा डाल्फिन है। इसकी लम्बाई 2.5 मीटर है। यहॉ पर प्रमुख पर्यटक स्थल भी मिलते है–

1. रेप्लिका स्टूप– यह जिला से मुख्यालय से 5 किमी0 दूर मानिकपुर में स्थित है।
2. जिला के शहरी परिक्षेत्र में स्थित छह मंजिला प्रसिद्व काली मंदिर।
3. जिला के शहरी क्षेत्र के मध्य में शंकर जी का मंदिर जो पुराने समय में में यह अररिया जिला में ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता था।
4. मदनपुर का शंकर जी का मंदिर।
5. मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण फारबिसगंज में स्थित सुल्तान पोखर।

जिले में हिन्दी के प्रसिद्व उपन्यास लेखक श्री फणिश्वर नाथ रेणु का जम्न औराही हिंगना गांव में हुआ था जहॉ आज भी उनका परिवार रह रहा है।

जिला का प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार दशहरा, दिपावली, होली, मकर सक्रान्ती, छठ पर्व, दुर्गापूजा, विश्वकर्मा पूजा, ईद, बकरीद आदि है।

2.4 जिले का जनसांख्यिकी विवरण

2011 में अररिया की कुल आबादी 28,11,569 है। कुल पुरूष की संख्या 11,034,362 एवं कुल महिला की संख्या 10,066,581 है। आबादी का औसत घनत्व 751 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व 862 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है जो अररिया प्रखण्ड में विद्यमान है। सबसे कम घनत्व 675 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो नरपतगंज प्रखण्ड में विद्यमान है। जिले की दशकीय वृद्धि दर 44.77 प्रतिशत है। घनत्व तथा दशकीय वृद्धि दर दोनो अररिया तथा भरगमा सब डिवीजन में ऊंची है क्योंकि यहां कृषि भूमि बेहतर गुणवत्ता की है तथा शहरीकरण बढ़ रहा है जिससे लोग अपेक्षाकृत समृद्ध हुए हैं।

अररिया जिले का लिंगानुपात पुरुषों के प्रभुत्व को प्रकट करता है। 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में प्रति 1000 पुरुषों की आबादी के पीछे 921 महिलाएं है। ग्रामीण इलाकों में लिंग अनुपात 923 ज्यादा है बजाय शहरी इलाकों 895 के ।

1951 से जिले में साक्षरता दर में लगातार वृद्धि दर्ज की गयी है। अररिया में कुल साक्षरता दर 53.53 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 62.30 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 43.93 प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार जिले का जनसंख्यात्मक विवरण नीचे इंगित हैः–

तालिकाः–02 जिले का जनसंख्यात्मक विवरण

क्रम संख्या	जनसंख्या	लिंग के अनुसार		कुल परिवार	जनसंख्या	
		कुल पुरुष	कुल महिला		ग्रामीण क्षेत्रों	शहरी क्षेत्रों
1	2811569	11034362	10066581	568142	26,42,792	16,87,77

जिला जनसांख्यिकीय विभाग, अररिया के अनुसार जिले की कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 53.53 प्रतिशत है। पुरूष की साक्षरता का प्रतिशत 62.30 प्रतिशत एवं महिला का 43.93 प्रतिशत है। सम्बन्धित विवरण तालिका 3 में प्रदर्शित हैः–

तालिकाः–03 जिले का साक्षरता का विवरण

क्रम संख्या	जनसंख्या– औसत साक्षरता (जनगणना–2011)	लिंग के अनुसार			
		कुल पुरुष	प्रतिषत	कुल महिला	प्रतिषत
1	1195768	727,643	62.30	468,125	43.93

जिला अररिया में सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर आंकड़ो के अनुसार निष्कर्ष यह निकलता है, कि यहाँ कि सामाजिक व्यवस्था पुरूष प्रधान व्यवस्था उपरोक्त मुद्दों पर 2011 की जनगणना के अनुसार जिले के सामाजिक संवेदनशीलता निम्न है–

- **लिंग के आधार पर**–जिला में 2011 की जनगणना के आधार पर 1000 पुरूषों पर 921 महिलाएँ है।
- **साक्षरता के आधार**–जिला में कुल 11,95,768 (53.53 प्रतिशत) साक्षर हैं, जिसमें पुरूष 727,643 (62.30 प्रतिशत) तथा महिलाएं 4,68,125 (43.93 प्रतिशत) साक्षर हैं।
- **धर्म के आधार पर**–जिले में हिन्दू धर्म के लोग 56.68 प्रतिशत तथा मुस्लिम धर्म के लोग 42.95 प्रतिशत है। जिले में प्रशासन को सामुदायिक सौहार्द बकरार रखने में असामाजिक तत्वों के गलत हस्तक्षेप के कारण कभी–कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों द्वारा इस सामाजिक असन्तुलन को ध्यान में रखकर अनेकों बार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है।
- **जाति के आधार पर**–जिले में अनूसुचित जाति 13.61 तथा अनुसूचित जनजाति 1.38 प्रतिशत है।
- **रोजगार के आधार**–जिला में रोजगार के आधार पर कुल कामगार की संख्या 10,69,893 तथा गैर कामगार की संख्या 17,41,676 है। कुल पुरूष कामगार की संख्या 708,391 तथा कुल पुरूष गैर कामगार की संख्या 7,54,942 तथा कुल महिला कामगार की संख्या 3,61,502 तथा कुल महिला गैर कामगार की संख्या 986,734 है।

2.5 जिले का प्रशासनिक विवरण

क्रम सं0	संरचना का विवरण	संख्या	विस्तृत
1	अनुमंडल	02	अररिया एवं फारबिसगंज
2	अंचल / प्रखंड	09	नरपतगंज, जोकीहाट, सिकटी, पलासी, अररिया, फारबिसगंज, कुर्साकांटा, भरगामा एवं रानीगंज
3	ग्राम पंचायत की संख्या–	211	
4	राजस्व गाँवों की संख्या	751	
5	नगर परिषद	03	अररिया, फारबिसगंज एवं जोगबनी
6	नगर पंचायत	03	नरपतगंज, जोकीहाट एवं रानीगंज

2.6 प्राकृतिक संसाधन

2.6.1 वन

वन विभाग, अररिया वन प्रमण्डल के अनुसार जिले में राजस्व विभाग बिहार, पटना द्वारा अधिसूचित वन भूमि 2727.5 एकड़ है। वनस्पतियों के बेहतर उपज के लिए यहाँ की मिट्टी काफी अच्छी मानी जाती है। पौधों के त्वरित बढ़ोत्तरी हेतु यहाँ की जलवायु और मिट्टी दोनों ही बेहतर है। बांस की बढ़ोत्तरी यहाँ तेजी से होती और सम्पूर्ण जिले में मोटे बांस की खेती एवं झरमुट होती है।

2.6.2 पेय–जल गुणवत्ताः–

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 6 प्रखण्डों के 120 ग्राम पंचायतों में पेय जल गुणवत्ता की जाँच किया गया जिसके आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई, कि पानी में आयरन प्राप्त हो रहा है। इन प्रखण्डों पानी में आयरन डीजायरेवल लिमिट 1.00 मी0ग्रा0 प्रति लीटर से अधिक पाया गया है।

तालिका – जिले में पी0एच0ई0डी0 द्वारा जलगुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन

क्र0सं0	अनुमण्डल का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या जहाँ जांच की गयी	जांच किये गये नल कूपों की संख्या	पेयजल में मौजूद आयरन (अधिकतम) इन पी0पी0एम0	सुरक्षित नलकूप (न्यूनतम) इन पी0पी0एम0
1	अररिया	अररिया	20	20	4.9	4.1
2		जोकीहाट	20	20	4.66	3.41
3		सिकटी	20	20	4.76	4.4
4		पलासी	20	20	4.86	3.17
5		कुर्साकांटा				
6		रानीगंज	20	20	4.6	4.1
7	फारबिसगंज	फारबिसगंज				
8		भरगामा	20	20	4.98	3.7
9		नरपतगंज				
कुल योग			**120**	**120**		

2.7 जिले का आर्थिक संसाधन

अररिया जिले की अर्थ व्यवस्था बुनियादी रूप से कृषि उत्पादन पर आधारित है। जिले में तीन कृषि के मौसम होते हैं– रबी, खरीफ और जायद। रबी का मौसम अक्टूबर नवम्बर से शुरू होता है तथा फसल मार्च अप्रैल में कटती है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसो, अलसी, आलू आदि है। खरीफ का मौसम जुलाई में शुरू होता है और फसल अक्टूबर–नवम्बर में कटती है। बाजरा, मक्का, अरहर, चावल, गन्ना प्रमुख फसलें हैं। जायद वह फसलें होती हैं जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती हैं। यह अप्रैल से जुलाई के बीच बोयी जाती हैं और तैयार होती हैं। यह फसलें ठंडा, बारिश और गर्मी के मौसम के मुताबिक होती हैं। फसल की तीव्रता इस आधार पर मापी जाती है कि एक साल में कितनी बार जमीन कृषि कार्यों के इस्तेमाल में लायी जाती है। इससे क्षेत्र की कृषि संबंधी क्षमताओं का आंकलन होता है।

तालिकाः– जिले में रोजगार का विवरण

कम सं0	विवरण	कुल योग	%	पुरूष	%	महिला	%
1	मुख्य श्रमिक	696410	24.77	537151	36.71	159259	11.81
2	सीमान्त श्रमिक	373483	13.28	171240	11.70	202,243	15.00
3	गैर कामगार	1741676	61.95	754942	51.59	986734	73.19
4	किसान	222913	20.84	170990	24.14	51923	14.36
5	कृषि मजदूर	691947	64.67	428640	60.512	263307	72.84
6	घरेलू उद्योग	24367	2.28	10629	1.50	13738	3.80
7	अन्य श्रमिक	130666	12.21	98132	13.85	32534	9.00
8	कुल कामगार	1069893	38.05	708391	48.41	361502	26.81

स्रोत: District **Cesnus book 2011**

पशुपालन : कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था में पशुपालन इस जिले की प्रमुख गतिविधि है। पशुओं में दुधारू जानवर प्रमुख प्रजाति है लेकिन उनकी नस्लें उन्नत नहीं होती हैं। मवेशियों के अलावा मुख्यतः गाय, बैल, भैस अन्य जानवर जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर और पक्षी पालन जिले में होता है। स्थानीय नस्लों के सुधार के लिए मुर्गी पालन विकास केंद्र ने कई योजनायें बनायी हैं। जिले में कई पशु चिकित्सालय तथा डिस्पेंसरियां हैं। इन संस्थाओं का प्रमुख कार्य उपचार, बचाव तथा पशुओं में रोगों का शमन करना है।

गैर कृषि अर्थ व्यवस्थाः जिले में कोई खान अथवा भारी उद्योग नहीं है। इस जिले में विभिन्न उद्योगों का स्थल बनने की संभावनायें हैं। यहां जूट और धान का पैदावार वाला क्षेत्र है । इन दो कच्चे मालों पर आधारित उद्योग लगाने की यहां बेहतर संभावनायें हैं। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाके में कई चावल व तेल मिलें हैं। हाल में सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहां अररिया जिले से दो किलोमीटर की दूरी पर जूट मिल की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है।

जिला का वाणिज्य एवं व्यवसाय भी जिले की भू भौतिकीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। प्राचीन काल से ही इसका व्यावसायिक संबंध नेपाल के सीमावर्ती इलाके से होता है। जिले का प्रमुख वाणिज्यिक उत्पाद जूट है। यहां जूट की थोक मंडी फारबिसगंज इलाके में है। जोगबनी में बिराट नगर तथा गलगलिया क्षेत्र में भादरपुर नेपाल के दो प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र हैं जिनके साथ अररिया जिले का घनिष्ठ एवं नियमित व्यावसायिक सम्पर्क है।

मिनिस्ट्री आफ एमएसएमई,गर्वनमेण्ट आफ इण्डिया के प्रतिवेदन के अनुसार अररिया जिला में पंजीकृत इन्डस्ट्रीयल यूनिट 830 है। जिला में दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो अररिया एवं फारबिसगंज में अवस्थित है।

चित्र 2.7 नदियों का मानचित्र

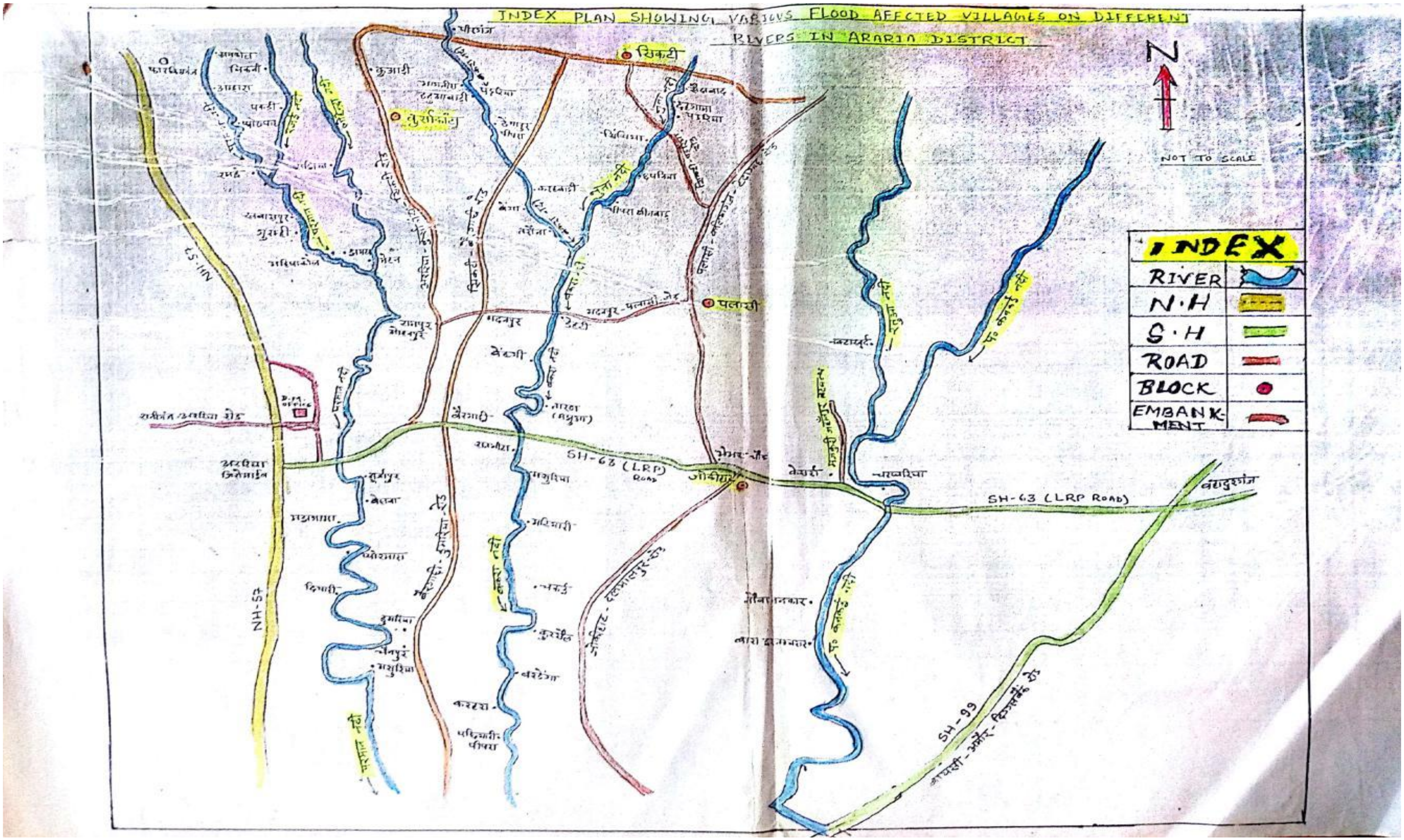

अध्याय: 3

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता का विश्लेषण

Risk, Hazards, Vulnerability and Capacity Analysis

3.1 परिचय

अररिया जिला बहु–आपदा प्रभावित जिला है। जिले में सर्वाधिक नुकसान परमान, बकरा, कनकई, नूना, लछहा धार, प0 कनकई, सुरसर एवं कोशी नदियों के कराण होता है। इसके अतिरिक्त कोशी नदी की पुरानी शाखायें भी इस जिला से होकर बहती है।

परमान, बकरा, सुरसर एवं नूना आदि नदियाँ जिले के पूर्वी हिस्से को प्रभावित करती है, जिससे जिले के सिकटी, जोकीहाट, पलासी, कुर्साकांटा, अररिया एवं फारबिसगंज प्रखण्ड प्रभावित होता है। कोशी, सौरा, सुरसर आदि नदियों से जिले के पश्चिमी एवं मध्य भाग प्रभावित होता है। जिले का नरपतगंज एवं भरगामा प्रखण्ड मुख्य रूप से सुरसर नदी से प्रभावित होता है। बाढ़, चक्रवाती तूफान एवं ठनका आदि आपदाओं के कारण अन्य दूसरी आपदाओं की अपेक्षा जिले का सर्वाधिक नुकसान होता है। जिले में परम्परागत कृषि एवं अन्य नकदी खेती करने की परम्परा विकसित है, लेकिन बाढ़ के वजह से इन्हें भी नुकसान झेलना पड़ता है।

जिले में 70 प्रतिशत से अधिक समुदाय की आजीविका मुख्यतः कृषि है जो विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा के प्रभाव से अधिकतम प्रभावित होती है। ऐसे में छोटे–मझोले और बड़े किसान जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले बाढ़ की स्थितियों को विशेषकर झेलते हैं, जबकि उनकी आजीविका विभिन्न जोखिमों और उनके प्रकोपों से सीधे प्रभावित होती है जिसका असर उनके जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। निम्नांकित ग्राम पंचायतों में बहु–आपदाओं को ध्यान में रखते हुए बहु हितभागियों के साथ एच.आर.वी.सी.ए. आयोजित किया गया:–

क्र0 स0	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
							प्राकृतिक आपदायें						
1	बाढ़	सामान्य					मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	सामान्य	
2	ठनका	सामान्य			उच्च	मध्यम		उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	
3	जलजमाव	सामान्य						मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	
4	अगलगी	सामान्य		उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य			सामान्य	मध्यम	मध्यम
5	चक्रवाती तूफान	सामान्य		उच्च	उच्च	उच्च	सामान्य				मध्यम		
6	सूखाड़	सामान्य						उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	सामान्य
7	ओलावृष्टि	सामान्य		उच्च	मध्यम	सामान्य							
8	सर्पदंश	सामान्य						मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	
9	भूकम्प	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
10	शीतलहर	उच्च	सामान्य										मध्यम
11	लू	सामान्य				मध्यम	मध्यम	सामान्य					
							मानवीय आपदायें						
1	सड़क दुर्घटना	उच्च	सामान्य										मध्यम
2	नाव दुर्घटना	सामान्य						मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	
3	नदी में डूबने से मृत्यु	सामान्य						उच्च	उच्च	उच्च	सामान्य		
4	बिजली से करेण्ट लगना	सामान्य			उच्च	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	सामान्य		
5	साम्प्रदायिक दंगा	निम्न											
6	रेल दुर्घटना	वर्ष के प्रत्येक माह में घटना की संभावना बनी रहती है, लेकिन दिसम्बर एवं जनवरी में घने कोहरे के कारण रेल दुर्घटना की अधिक संभावना होती है।											

3.1 बाढ़

एच.आर.वी.सी.ए. के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदा बाढ़ रही है। आपदा प्रबन्धन शाखा, अररिया से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अंचलवार, ग्राम पंचायतवार एवं गाँववार बाढ़ के प्रभाव का विवरण नीचे वर्णित है :–

क0सं0	अंचल का नाम	नदियों के नाम	पूर्ण प्रभावित	पंचायतों की संख्या	आंशिक प्रभावित	पंचायतों की संख्या
1	अररिया	बकरा एवं परमान	तरौना भोजपुर, किस्मत खवासपुर, झमटा, बॉसबाड़ी, बोची, मदनपुर पूर्वी, मदनपुर पश्चिमी, पोखरिया, रामपुर मोहनपुर पश्चिमी, अररियाबस्ती, बेलवा	11	शरणपुर, जमुआ, साहसमल, बटुरबाड़ी, रामपूर मोहनपूर पूर्वी, बसन्तपुर सह नगर परिषद, कुसियारगॉव, दियारी, चातर	9
2	जोकीहाट	पं0 कनकई, नूना एवं बकरा	तारण, काकन, डुब्बा, बगडहरा, सिमरिया, गिरदा, केसर्रा, हरदार, बारा इस्तम्बरार, दभड़ा, मटियारी, चकई, भगवानपुर, गैरकी मसुरिया, चैनपुर मसुरिया, पछियारी पिपरा, पथराबाड़ी, चिरह, प्रसादपुर, भंसिया, चिल्हनियॉ, कुर्सेल, महलगॉव, भूना मजगामा, चौकता	25	सिसौना, बागनगर	2
3	प्लासी	बकरा एवं नूना	धर्मगंज, पिपरा बिजवार, डेहटी उत्तर, डेहटी दक्षिण, बरकुम्भा, नकटाखुर्द, सोहन्दर	7	भीखा, पचैली, चौरी, कुजरी, बरदबट्टा, मियॉपुर, सुखसैना, चहटपुर, मजलिसपुर, पकड़ी, दिघली, कनखुदियॉ, बलुआ कलियागंज, रामनगर	14
4	कुर्साकांटा	बकरा	सौरगॉव, रहटमीना, जगीर परासी, लक्ष्मीपुर, सिकटीया, शंकरपुर	6	कमलदाहा, कुर्साकांटा, पहुँसी, डुमरिया, लेलोखर, हरिरा, कुऑड़ी	7
5	सिकटी	बकरा एवं नूना	दहगामा, परड़िया, बेंगा, कौआकोह, ठेंगापुर, डेढुआ, बरदाहा	7	खोरागाछ, भिड़भिड़ी, बोकन्तरी, कुचहा, मुरारीपुर, मजरख, आमगाछी	7
6	फारबिसगंज	परमान	अम्हारा, खवासपुर, खैरखॉ, कुसमाहा, पिपरा, रमई, सहबाजपुर, तिरसकुण्ड, मटियारी	9	भाग कोहलिया, हलहलिया, मझुवा, रहिकपुर ठिलामोहन, जोगबनी नगर परिषद, बथनाहा, अमौना, डोरिया सोनापुर, हरिपुर, परवाहा, अर्राहा	11
7	नरपतगंज	सुरसर एवं परमान	पथराहा, मानिकपुर, नवाबगंज, अचरा, भंगही, सोनापुर, खैरा	7	खजुरी, सिमरबनी, रघुनाथपुर, शंकरपुर, हरिपुर कला	5
			कुल–	**72**		**61**

अररिया जिला बिहार राज्य के सीमांचल में हिमालय के शिवालिक श्रेणी के तराई क्षेत्र में नेपाल से सटे मैदानी भूखंड पर अवस्थित है। हिमालय पर्वतमाला से नजदीक होने के कारण यह जिला राज्य के बाढ़ आपदा प्रवण जिलों में से एक है। नेपाल के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों से उद्गम होने वाली विभिन्न सदानीरा नदियाँ यथा–परमान, बकरा, नूना, कनकई, रतवा, फरियानी, सुरसर, लछहा एवं कजरा आदि अपनी सहायक नदियों के साथ इस जिले से होकर प्रवाहित होती है। प्रायः मानसून अवधि में नेपाल के तराई में अतिवृष्टि के कारण इन नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण जिले में भीषण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। नदियों में गाद जमा हो जाने के कारण इसकी जलधारण की क्षमता बहुत कम हो गई है, जिससे यह समस्या और भी विक्राल होती जा रही है। जिले के कुल–09 प्रखंड में से 07 प्रखंड – फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, पलासी, सिकटी, कुर्साकांटा एवं नरपतगंज मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावति होती है। बाढ़ आपदा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016, 2017 एवं 2019 इस प्राकृतिक आपदा से सर्वाधिक प्रभावित रहा। शेष वर्षों में अत्यधिक वर्षापात से कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ है।

संकटग्रस्त व्यक्ति समूह की पहचान से संबंधित प्रतिवेदन वर्ष 2022							
क्र0	अंचल का नाम	गर्भवती महिला	धातृ महिला	0. 5 साल तक के बच्चों की संख्या	चिन्हित संकटग्रस्त व्यक्ति की संख्या		
					विकलांग	निःशक्तजन बीमार	वृद्धजन
1	अररिया	292	186	1217	24	32	1953
2	फारबिसगंज	196	142	704	21	28	1056
3	जोकीहाट	175	211	724	24	67	1173
4	कुर्साकाटा	68	42	203	17	26	459
5	पलासी	138	92	367	14	45	921
6	सिकटी	78	72	247	11	34	523
7	नरपतगंज	42	35	196	9	25	279
8	रानीगंज	33	23	112	5	27	455
9	भरगामा	29	13	48	2	17	162
कुल -:		**1051**	**816**	**3818**	**127**	**301**	**6981**

3.2. वज्रपात/ठनका -वज्रपात/ठनका ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष बरसात के समय यह घटना घटित होती है। राज्य में प्रत्येक वर्ष ठनका से अनेकों व्यक्ति एवं पशुओं की मृत्यु हो जाती है तथा घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वर्ष 2016, 2017, 2018 एवं 2019 में मानसून के आगमन के समय बड़े पैमाने पर वज्रपात/ठनका की घटनाएं हुई है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार इन चार वर्षों में ठनका से अररिया जिला में क्रमशः 07, 18,13 एवं 21 लोगों की मृत्यु हुई। अररिया जिला में मई–जून, 2022 को वज्रपात/ठनका से कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में ठनका संवेदित 45 ग्राम पंचायतें हैं। ठनका से वित्तीय वर्ष 2017 से 2021 तक सम्पूर्ण जिला प्रभावित रहा है। अररिया जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान वज्रपात से मृत व्यक्तियों की विवरणी :–

क्र0	अंचल का नाम	पिछले तीन वर्षों में वज्रपात से मृत व्यक्तिों की संख्या		कुल
		2020	**2021**	
01	**अररिया**	1	1	2
02	**जोकीहाट**	2	0	2
03	**पलासी**	0	2	2
04	**कुर्साकांटा**	2	0	2
05	**सिकटी**	1	1	2
06	**रानीगंज**	5	0	5
07	**फारबिसगंज**	1	0	1
08	**नरपतगंज**	0	1	1
09	**भरगामा**	2	1	3
		14	**6**	**20**

3.3.जलजमाव :–

नूना, परमान, बकरा जिले की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम नेपाल में अवस्थित हिमालय के शिवालिक श्रेणियों से होता है। यह नदियाँ मुख्य नदियों से मिलकर बंगाल की खाड़ी में लम्बी यात्रा करते हुए मिल जाती है। यह नदी फ्लैट ढ़लानों के कारण नीचे के क्षेत्रों में फैल जाती है, जिसके कारण बिहार के निचले हिस्से में अवस्थित जिलों में अत्यधिक जलजमाव एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में जल–जमाव से प्रभावित कुल 72 ग्राम पंचायतें हैं। जल–जमाव वाले ग्राम पंचायतों का विवरण इस प्रकार है–

- गहरी जमीन वाले 68 ग्राम पंचायतें जिले में अवस्थित है। (सिकटी 11, कुर्साकांटा 08, पलासी 07, जोकीहाट़ 20, अररिया 09, फारबिसगंज 07 एवं नरपतगंज 06)
- दो तटबंधों के बीच में अवस्थित ग्राम पंचायतें कुल 17 (जोकीहाट 09 और सिकटी में 08) अवस्थित है।

3.4. अगलगी

जिले में प्रत्येक वर्ष अगलगी की घटनायें होती रहती है। जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र अग्निकाण्ड के प्रति संवेदनशील है। अगर संवेदनशीलता के आधार पर नजर डाली जाय तो प्रखण्ड जोकीहाट, पलासी, अररिया,

रानीगंज एवं कुर्साकांटा अग्निकाण्ड के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में अगलगी के प्रति संवदेनशील 91 ग्राम पंचायतें हैं।

सामान्यतः अररिया जिला में आग सूखे मौसम में मानव की असावधानी के कारण बीड़ी, सिगरेट, माचिस आदि के जलते टुकड़ों से लगती है। बिजली के तार के एकाएक टूटकर गिरने, खेतों में फसलों के अवशेष को जलाने, घरों में जलते चूल्हों, गैस या कोयले की भट्टियों, बिजली की शार्ट सर्किट, बिजली के नंगे तारों एवं उनके ढ़ीले जोड़ों के कारण लापरवाही से उनको उपयोग में लाने, बिजली के उपकरणों में स्पार्किंग या शार्ट सर्किट, ट्रेन, बस या अन्य आवागमन के साधनों की दुर्घटना, हवाओं से उड़े आग की चिंगारी, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थो में अचानक विस्फोट, रसोई गैस से दुर्घटना, बिजली से उत्पन्न चिंगारी आदि घर के अन्दर या बाहर लगने वाले आग के प्रमुख कारण होते हैं। गर्मियों में खड़ी फसलों, खलिहानों, झोपड़ियों तथा कच्चे मकानों में आग का लगना एक आम बात है। इसी प्रकार शहरों के घनी आबादी वाले भागों में ज्वलनशील पदार्थो का एकत्रीकरण, बिजली की खराबी या रसोई घर में दुर्घटना से आग लगने की संभावना बनी रहती है।

3.5. चक्रवाती तूफान

चक्रवाती तूफान के दृष्टि से भी अररिया जिला संवदेनशील रहा है। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में चक्रवाती तूफान के प्रति संवदेनशील 145 ग्राम पंचायतें हैं। दिनांक 1 मई 2012 को आये भीषण चक्रवाती तूफान के कारण जिला अधिक प्रभावित हुआ था। वर्ष 2015 में आये चक्रवाती तूफान के कारण जोकीहाट प्रखण्ड में काफी क्षति हुआ था।

3.6.सुखाड़– सामान्य

आपदा प्रबन्धन विभाग, पटना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अररिया जिले में सन् 1971, 1972, 1979, 1982, 1992 और 2001 में सुखाड़ का असर रहा है। सी0ओ0 के अंचल स्तरीय प्रतिवेदन के अनुसार जिले में सुखाड़ के प्रति संवदेनशील 50 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें पूर्ण रूप से प्रभावित 2 ग्राम पंचायतें और आंशिक रूप से प्रभावित 48 ग्राम पंचायतें है। सुखाड़ का प्रमुख कारण औसत वर्षापात में कमी होना एवं सिंचाई सुविधाओं का आभाव होना है। सूखाड़ का प्रभाव समुदाय के सामाजिक, आर्थिक संरचना को धीरे–धीरे दीर्घकाल तक प्रभावित करता है तथा इससे विकास की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है।

सूखाड़ का संकेतक :

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू–जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।
- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अंततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

तालिकाः–जिले में औसत तापमान, न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान एवं वर्षापात इस प्रकार है:

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
औसत तापमान)°C)	16.5	18.9	23.8	28.1	29.4	29.1	29	28.9	28.6	26.5	21.6	17.6
न्यूनतम तापमान (°C)	8.9	11.2	15.6	20.6	23.9	25.3	26	25.9	25.2	21.6	14.5	9.9
अधिकतम तापमान (°C)	24.2	26.6	32.1	35.7	34.9	33	32	31.9	32.1	31.4	28.8	25.4

वर्षापात (mm)	17	8	15	26	88	241	366	315	250	91	9	1

स्त्रोत :–**भारत मौसम विज्ञान विभाग**

3.7. ओलावृष्टि

जिला में ओलावृष्टि का भी असर देखा गया है। ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ओलावृष्टि होने की सबसे अधिक संभावना मार्च महीने में रहता है तथा कभी–कभी अप्रैल महीने में भी होने की संभावना रहती है। खाशकर ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति एवं कच्चे घरों की क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है।

3.8.सर्पदंश

बरसात के दिनों में एवं बाढ़ के समय लोगों के द्वारा अस्थायी तौर पर बांधों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बरसात एवं बाढ़ के समय अस्थायी जगहों पर रहने के कारण सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है। बरसात के दिनों में कभी–कभी घरों में सांप छिपने के लिए आ जाता है और उस घर में रहने वाले व्यक्ति को सर्पदंश का खतरा बना रहता है। फसलों को पशु से सुरक्षा के लिए किसानों को खुले आसमान के नीचे खेतों में रहना एवं सोना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में कभी–कभी खेत में सोये हुए व्यक्ति को सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है।

3.9. भूकम्प

भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम सिस्मिक जोन मानचित्र के अनुसार अररिया जिला भूकम्प के दृष्टि से सिस्मिक जोन–V में आता है। ऐसे में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारी न करने, निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी न होने, उपयुक्त तकनीकी दक्षता का अभाव तथा भूकम्प जोखिम के शमन उपायों पर आमजन के बीच जागरूकता न होने आदि कारणों से पहले से ही नाजुक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों/समुदाय या क्षेत्रों की नाजुकता और भी बढ़ जाती है।

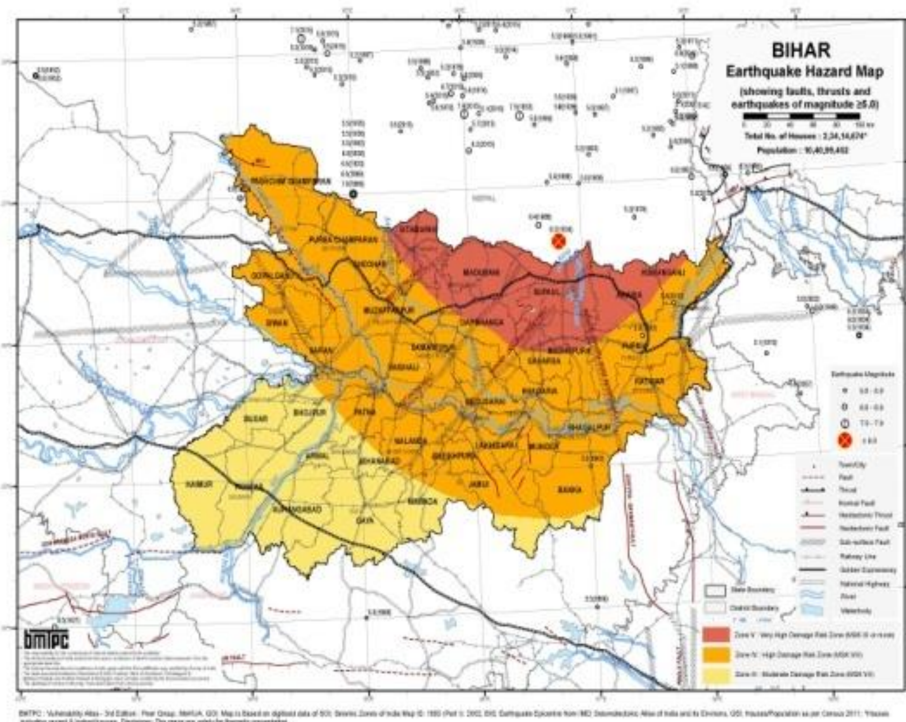

बिहार में आये बड़े भूकम्प :

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	पैमाना	मृतकों की सं॰	प्रभावित जिले
01	4 जून 1764	बिहार–नेपाल सीमा	6.0		
02	23 अगस्त 1833	नेपाल सीमा	7.7		
03	23 मई 1866	नेपाल सीमा	7.0		
04	23 मई 1866	झारखण्ड–बिहार सीमा	5.5		
05	30 सितम्बर 1868	हजारीबाग	5.7		
06	7 अक्टूबर 1920	बिहार–उत्तर प्रदेश	5.5		
07	15 जनवरी 1934	भारत–नेपाल सीमा	8.4	10,500	पटना, गया, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर
08	11 जनवरी 1962	भारत–नेपाल सीमा	6.0		मुंगेर एवं पूर्णियाँ
09	21 अगस्त 1988	भारत –नेपाल सीमा	6.7	1,000	मधुबनी, दरभंगा
10	18 सितम्बर 2011	सिक्कम–नेपाल सीमा	5.7		
11	25, 26 अप्रैल 2015	भारत–नेपाल सीमा	6.6	60	पटना समेत नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिले

स्त्रोतः बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰

3.10.शीतलहर

जिले में दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक ठंड का प्रकोप रहता है। इस मौसम में सामान्यतः देखा गया है कि कोहरे के साथ शीतलहर चलती है। ऐसी स्थिति में शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए समुदाय को अलाव का सहारा लेना पड़ता जाता है। शीतलहर के समय सड़कों पर धुंध/फॉग हो जाने के कारण कम दूरी तक हीं दिखाई पड़ती है। इस कारण (Poor visibility) के कारण सड़क दुर्घटनाएँ अधिक होने की संभावनाएं बनी रहती है। कभी–कभी कुछ सड़कों पर एक साथ एक–दूसरे से गाड़ियाँ टकड़ा जाने के कारण सड़क दुर्घटनाएँ होती है।

कोरोना वायरस :–

कोविड–19 एक ऐसी महामारी है जिसका सामना दुनिया दिसम्बर 2019 से कर रही है। कोविड–19 का जीवन पर भारी नुकसान हुआ और विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग नष्ट कर दिया। अचानक हुए लॉकडउन ने स्थिति को और भी खराब कर दिया, हालांकि उस समय के दौरान और कोई विकल्प नहीं था। इसने परिवहन, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र, लघु मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों जैसे लगभग सभी क्षेत्रों को बाधित कर दिया। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और कई परिवार हाशिए पर चले गए।

इस माहमारी के कारण देश में 4.27 करोड़ लोग प्रभावित हुए जिसमें से 5 लाख से अधिक लोगों की इस संक्रमण के कारण जान चली गयी। बिहार की भी स्थिति लगभग ऐसी ही रही है, राज्य में अबतक कुल 8.29 लाख लोग इस महामारी से प्रभावित हुए है एवं 12 हजार से अधिक लोगों की जान गयी है।

अररिया जिला में भी कोरोना महामारी के कारण काफी क्षति हुआ है। संक्रमण के कारण जिले में 15,539 लोग प्रभावित हुए एवं लगभग 282 व्यक्तियों की मृत्यु हुआ। जिले में नोवल कोरोना वायरस से सम्बंधित विवरणी निम्नलिखित हैः

वर्ष	नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	नोवल कोरोना वायरस से मृत व्यक्तियों की संख्या
2020	3634	67
2021	8767	191
2022	3138	24

कुल	15539	282

4.5. जिले में मानव प्रदत्त आपदाओं का विवरण–

वर्ष 2020 एवं 2021 में अररिया जिला के अंचलों से प्राप्त स्थानीय मानव प्रदत्त आपदा से मृतक की संख्याः

क्र0	अंचल का नाम	2020 में स्थानीय प्रकृति की आपदा से मृतक की संख्या			2021 में स्थानीय प्रकृति की आपदा से मृतक की संख्या		
		पानी में डूबने से	सामूहिक सड़क दूर्घटना	कुल मृतक की संख्या	पानी में डूबने से	सामूहिक सड़क दूर्घटना	कुल मृतक की संख्या
1	अररिया	7	11	**18**	3	9	**12**
2	जोकीहाट	8	10	**18**	5	10	**15**
3	प्लासी	6	3	**9**	3	5	**8**
4	कुर्साकांटा	3	2	**5**	0	0	**0**
5	सिकटी	0	1	**1**	1	0	**1**
6	श्रानीगंज	3	12	**15**	0	4	**4**
7	फारबिसगंज	9	5	**14**	8	7	**15**
8	न्रपतगंज	4	6	**10**	0	0	**0**
9	भरगामा	3	3	**6**	1	1	**2**
कुल :–		**43**	**53**	**96**	**21**	**36**	**57**

4.5.1. सड़क दुर्घटना

जिले में पक्की सड़को का जाल बिछा हुआ है। जिले में दो प्रमुख हाइवे मार्ग है एन एच 57, एन एच 327 ई0 है। मानव द्वारा राष्ट्रीय राज्य मार्ग तथा राज्य मार्ग में जगह–जगह पर बीच–बीच में अपनी सुविधा हेतु कट बना कर सड़क पार किया जाता है। वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, कम उम्र में वाहन चलाना आदि सड़क दुर्घटना के कारणें बढ़ा रहा है। वर्ष 2020 एवं 2021 में अररिया जिला के अंचलों से प्राप्त स्थानीय प्रकृति की आपदा अन्तर्गत सामूहिक सड़क दुर्घटना से क्रमशः 53 एवं 36 लोगों की मृत्यु हुई। जिले में एन एच 57 एवं एन एच 327ई0 पर विगत वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर ब्लाईंड स्पोट/ब्लैक स्पोट चिन्हित किये गये है, जो निम्नवत् है :–

अनुमंडल	चिन्हित ब्लाईंड स्पोट/ब्लैक स्पोट का नाम
अररिया	गैयारी मोड़
	कुसियार गॉव
	हड़िया चौक

	गोढ़ी चौक
	लहटोरा मोड़
फारबिसगंज	ढोलबज्जा
	पोठिया
	फारबिसगंज रामपुर
	चकरदाहा
	नरपतगंज
	आई0टी0आई0 कॉलेज, फारबिसगंज
	सिरसिया

3.5.2. नाव दुर्घटना

जिला में नाव से दुर्घटना के प्रति संवदेनशील है, क्योंकि अररिया में कई नदियाँ बहती है और लोग नदियों में नाव के द्वारा सवारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा नदी पार करने हेतु बिना रजिस्टर्ड नाव में असुरक्षित रूप से नाव की सवारी की जाती है। आपातकालीन समय में नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार हो जाते है, जिससे नाव दुर्घटना का संभावना बना रहता है।

3.5.3. बिजली का करेण्ट लगना

जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असावधानी पूर्वक बारिश के दिनों में या सामान्य दिनों में बिजली के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली से करेण्ट लगने की संभावनाएं बना रहता है।

3.5.4. डूबने की घटना

वर्षा ऋतु में नदी एवं तालाबों में स्नान करने या अन्य कार्य करने के दौरान किशोर/किशोरियों के साथ बड़े एवं बुजुर्ग की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। कभी–कभी नौका दुर्घटना से भी डूबने से लोगों की मौत हो जाती है। यह स्थिति संबन्धित परिवारों के लिए एक त्रासदी है। जिला में समुदाय के जारूकता के आभाव में नदी में डूबने से वित्तीय वर्ष 2020 एवं वित्तीय वर्ष-2021 में क्रमशः 43 और 21 व्यक्तियों के मृत्यु की घटनायें हुई है। नदी, तलाबों या अन्य जल स्त्रोतो में डूबने के मामले में भी अररिया जिला संवदेनशील है। डूबने की घटनाओं के नियंत्रण हेतु समुदाय को स्थानीय आपदाओं से जीवन रक्षक जैकेट के निर्माण एवं उपयोग हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

4.5.5. रेलवे दुर्घटना–

रेल दुर्घटना की सर्वाधिक संभावना बरसात एवं शीतलहर के मौसम में होती है। रेल की पटरी से उतरने से दुर्घटना, एक रेल का दूसरे रेल से टकराने से दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है, इसका मुख्य कारण पुलों और पटरियों का अनियमित निरीक्षण तथा सिंग्नल की तकनीकी समस्यायें हैं। भारत में कुछ रेलवे पुल बहुत पुराने समय के बने है, जिस पर तेजी से रेल चलने में असमर्थ होती है। रेल दुर्घटना के रोकथाम हेतु रेल के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मानक के आधार पर रेल की पटरियों एवं सिंग्नल का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

मुख्य रेलवे स्टेशन अररिया एवं फारबिसगंज जं0 उत्तरी पूर्वी सीमान्त के प्रमुख जंक्शन कटिहार प्रमण्डल के अर्न्तगत आता है। अररिया रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अररिया कटिहार जोगबनी के अनुभाग के बीच स्थित है। अररिया से लगातार दिल्ली एवं कोलकाता के लिए ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध है। अररिया पैसेन्जर एवं एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से जोगबनी एवं कटिहार से जुड़ा हुआ है। ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (ECR) से फारबिसगंज, सुपौल से होकर सहरसा से जुड़ा हुआ है।

3.6. जिला का संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण

किसी भी व्यक्ति, प्रशासन या समूह की क्षमता आपदा का सामना करने या किसी भी आपदा से त्वरित उबरने में समय लगता है जिसे हम संवेदशीलता के सन्दर्भ में परिभाषित कर सकते है। जिले की संवेदनशीलता विशेष रूप से जिले में किसी भी संभावित आपदा के अनुमान, उसका सामना, उससे बचने तथा उबरने की क्षमता के आधार पर निर्धारित होता है। आजीविका के सीमित अवसर, प्रति व्यक्ति आय में कमी, अव्यवस्थित एवं अविकसित संरचना तथा अनियोजित विकास, अव्यवस्थित एवं तीव्र शहरीकरण, जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर प्रचलित सामाजिक ढांचे तथा पर्यावरण क्षरण आदि जिले को बहु आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

3.6.1.भौतिक संवेदनशीलताएं

क– भूकम्प के दृष्टि से संवदेनशील भवनः–

आपदा के दृष्टि से भौतिक संवेदनशील ढांचागत निर्माण की गुणवत्ता के मानकों के आधार पर देखा जाता है। अगर भूकम्प को दृष्टिगत रखते हुए जिले में समस्त भवन आपदारोधी निर्मित है, तो वे क्षमतावान की श्रेणी में आयेंगे और यदि जर्जर या भूकम्परोधी मानक के अनुसार नहीं निर्मित है तो वे भवन भौतिक संवेदनशील के अर्न्तगत आते है। किसी भी प्रकार का ढांचा सम्बन्धित निर्माण अगर आपदाओं के प्रभाव को झेलने में कामयाब होता है, तो वह रेजिलिएन्स ढांचा माना जायेगा और जो भवन किसी भी प्रकार के आपदाओं को झेलने में सक्षम नहीं है तो वे भौतिक संवेदनशील के अर्न्तगत आयेंगे।

जिले के प्रखंडवार भूकंप के काल्पनिक क्षति का आकलन (1934 के संदर्भ में):

District (Seismic Zone V)	Number of Census houses of different Types and their Vulnerability						Number of Houses (N) under various Damage Grades				Estimated Damages			
	nA (H)	nB(M)	nC1 (L)	nC2 (L)	Type X (VL)	Total	NG5	NG4	NG3	NG2	Loss of Human Lives: Unfavorable	Loss of Human Lives: Favorable	Re-construction	Repairing
Araia	**25,907**	**104,755**	**3,142**	**1,938**	**559,951**	**695,693**	**23,429**	**59,362**	**50,919**	**2,032**	**1,862**	**577**	**82,791**	**52,951**
Narpatganj	1,908	12,627	258	154	76,644	**91,591**	2,217	6,832	5,734	165	194	60	9,048	5,899
Forbesganj	8,730	28,270	1,045	369	82,635	**121,049**	7,192	16,459	14,198	566	546	169	23,651	14,763
Bhargama	979	5,412	99	68	49,368	**55,926**	1,031	2,967	2,493	67	87	27	3,998	2,560
Raniganj	2,448	11,515	318	117	83,256	**97,654**	2,376	6,413	5,436	174	194	60	8,789	5,610
Araria	4,096	19,145	939	289	87,205	**111,674**	3,963	10,719	9,296	491	325	101	14,682	9,787
Kursakatta	1,080	3,648	99	242	30,953	**36,022**	905	2,128	1,900	136	70	22	3,033	2,036
Sikti	1,531	4,287	120	100	31,603	**37,641**	1,194	2,548	2,208	88	88	27	3,742	2,296
Palasi	2,438	9,142	88	232	50,950	**62,850**	2,133	5,213	4,426	128	167	52	7,346	4,554
Jokihat	2,697	10,709	176	367	67,337	**81,286**	2,419	6,083	5,229	217	192	59	8,502	5,447

Type-**A:** Mud/Un-burnt Brick, Stone not packed with Mortar, Stone Packed with Mortar.	**Damage grades :** Classification of Damage to Buildings • **G5** : Grade 5 - *Total damage* (Total collapse of the buildings) • **G4:** Grade 4 - *Destruction* (Gaps in walls; parts of buildings may collapse; separate parts of

Type-**B:** Burnt Brick Type-**C1:** Wood Type-**C2:** Concrete Type-**X:** Grass/ Plastic/ Bamboo etc, Plastic/ Polythene, G.I./ Metal/ Asbestos sheets and 'any other material'.	the buildings lose their cohesion; and inner walls collapse.) • **G3** : Grade 3 - *Heavy damage (*Large and deep cracks in walls and plaster; fall of chimneys) • **G2** : Grade 2 - *Moderate damage (*Small cracks in walls and plaster; Fall of fairly large pieces of plaster; Pantiles slip off; Cracks in chimneys; Parts of chimney fall down) • **G1** : Grade 1 - *Slight damage (*Fine cracks in plaster; fall of small pieces of plaster)
Source: Damage scenario under hypothetical recurrence of 1934 earthquake intensities in various districts in Bihar, August 2013, BSDMA, Patna	

तालिकाः–जिले के सार्वजनिक जर्जर भवनों का विवरण

क्र0सं0	**अनुमण्डल का नाम**	**अंचल का नाम**	**सार्वजनिक भवनों की संख्या**	**अभियुक्ति**
1	**अररिया**	अररिया	4	जिलें में जर्जर भवनों में किसी भी प्रकार का आवासन नहीं किया जाता है।
2		जोकीहाट	2	
3		प्लासी	3	
4		कुर्साकांटा	1	
5		सिकटी	1	
6		श्रानीगंज	6	
11	**फारबिसगंज**	फारबिसगंज	8	
12		नरपतगंज	4	
13		भरगामा	4	
कुल योग			33	

ख– गोदामों की स्थिति–

जिला प्रबन्धक, रा0 खा0 नि0 अररिया, के प्रतिवेदन अनुसार 8 गोदाम भूकम्परोधी नहीं है ना ही इसमें अग्निशामक यन्त्र स्थापित किया गया है।

ग– बहु आपदा को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील स्कूल

अररिया जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार जिले में बहु–आपदाओं के दृष्टि से जिला के निम्नांकित स्कूल संवेदनशील है :–

- **बाढ़ प्रभावित–**जिले में 376 स्कूल बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि ये नदी के समीप है तथा इनका निर्माण अपेक्षाकृत नीचले क्षेत्रों में हुआ है।
- **कटाव की जद में**– जिले में 65 स्कूल कटाव की जद में हैं।
- **भूकम्प संवदितः–** जिले में 1125 स्कूल भूकम्प संवेदित हैं, क्योंकि स्कूल भवन पुराने निर्मित है तथा वे भूकम्प रोधी तकनीकी के आधार नहीं बनाये गये हैं।
- **अगलगी संवेदित** – जिले के 356 स्कूल अगलगी के प्रति संवेदनशील है। इन स्कूलों में लगे अग्निशामक यंत्र कुछ तो खराब है और कुछ की रिफिलिंग नही हुई है।

घ– जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

जिला में समेकित बाल विकास सेवा विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी 6 साल तक के बच्चों एवं धातृ माताओं को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच सुविधा, रेफरल सुविधा, स्कूल से पहले औपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर जागरूक करना होता है।

क्रमांक	अनुमण्डल का नाम	प्रखण्ड का नाम	कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	झोपड़ी मे संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	कच्चे मकान मे संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	बाढ़ से प्रभावित होने वाले आ0 केन्द्र की संख्या
1	अररिया	अररिया	412	156	93	32
2		जोकीहाट	325	178	75	58
3		प्लासी	258	125	85	47
4		कुर्साकांटा	162	86	30	38
5		सिकटी	173	64	50	56
6		श्रानीगंज	422	188	58	12
7	फारबिसगंज	फारबिसगंज	434	127	103	46
8		नरपतगंज	374	138	51	32
9		भरगामा	251	93	53	17
योग			**2811**	**1155**	**598**	**338**

च– पशु चिकित्सा केन्द्रों की स्थितिः–जिला में कुल 4 पशु चिकित्सालय बाढ़ एवं भूकम्प के दृष्टिगत संवेदनशील हैं।

छ– नदियों द्वारा कटाव

अररिया जिला नदी से कटाव एक प्रमुख जोखिम है। नदियों द्वारा कटाव के कारण जिले में अचल सम्पत्तियों की हानि होती रही है। जिला में कटाव माह मई, नवम्बर तथा दिसम्बर में कम एवं जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर में होता है। माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल में केवल भूमि का क्षरण होता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, पूर्णियाँ/अररिया (जल संसाधन विभाग) के अर्न्तगत नदियों द्वारा कटाव के सापेक्ष जोखिम न्यूनीकरण एवं बाढ़ प्रत्युत्तर विषय पर कार्य किया जा रहा है। कटाव के दृष्टि से जिला के सभी प्रखण्ड संवेदनशील हैं। जिला में सर्वाधिक कटाव परमान एवं बकरा नदी के द्वारा होता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, पूर्णियाँ/अररिया के प्रतिवेदन के अनुसार जिले में तटबंधों की भौतिक स्थिति का विवरण नीचे अंकित है–

ज–संवेदनशील तटबन्ध–

जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमण्डल, पूर्णियाँ अर्न्तगत जिले में कनकई नदी पर मजकूरी जहॉनपुर तटबन्ध है, जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है। यह तटबन्ध आर.डी. 0 (थाकी गांव), आर.डी. 2.20 एवं आर.डी. 5.70 तथा स्कूल के पास संवेदनशील है।

3.7.जलवायु परिवर्तन

गरीब एवं सीमांत किसान अररिया जिले में प्रायः शीतलहर, मौसमी बाढ़ आदि जलवायु जनित खतरों से प्रभावित होते रहते हैं। मानसून की भारी बारिश से उपजी बाढ़ ने केवल खड़ी फसलों को ही क्षति नहीं पहुँचायी है अपितु मानव एवं पशुधन को भी जानलेवा नुकसान पहुँचता है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में सतत् परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहता है। इस

परिवर्तन के फलस्वरूप छोटी जोत वाले किसान, पूँजी की कमी वाले लोग, परम्परागत कृषि यंत्र का उपयोग करने वाले, अल्प समर्थन कृषि मूल्य पाने वाले एवं फसल बीमा सुरक्षा से बाहर के किसान ज्यादा संवदेनशील हो सकते हैं।

जोखिम :

- पशुधन के रखरखाव की समस्या।
- तापमान, वर्षा, हवा, नमी एवं अन्य जलवायु संबंधी घटकों में दीर्घकालिक बदलाव ।
- इन बदलावों के साथ अनुकूलन स्थापित करने की समस्या।
- जलवायु परिवर्तन के चलते वर्षापात, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।

जोखिम के दुष्प्रभावः

- अत्यधिक गर्मी।
- वर्षा का परिवर्तित स्वरूप ।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- सूखा समस्या।
- कृषि और खाद्य समस्या।
- जल समस्या।
- स्वास्थ्य समस्या।
- पलायन, प्रवासन आदि।

3.8. क्षमता विश्लेषण

4.8.1 सभी मौसम में सड़कों, रेल, पानी सहित संचार प्रणाली का नेटवर्क	**नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इण्डिया/ सड़क निर्माण विभाग, अररिया**	सड़क सम्पर्क • एन0 एच0 57 एवं 327ई0 से फारबिजगंज, नरपतगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा एवं किशनगंज यह सड़क आगे पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी तक को जोड़ती है।
2	**रेलवे**	रेलवे नेटवर्क पूर्णिया एवं कटिहार जिलों से सीधा कनेक्टीविटी बनाते हुये नेपाल के सीमा में अवस्थित जोगबनी तक जाती है एवं फारबिसगंज जंक्शन से एक रेल मार्ग सुपौल होते हुए सहरसा तक को जोड़ती है।

4.8.1.जन वितरण प्रणाली

नोट–खाद्य एवं अन्य राहत सामग्री के भण्डारण हेतु सुविधा प्रखण्ड स्तर पर अन्य सार्वजनिक जगह भी चिन्हित हैं जैसे– नीजी भवन, स्कूल, सुरक्षित स्थान।

4.8.2.यातायात सुविधायें जैसे– ट्रक, बसें और ट्रैक्टर आदि की संख्या:–

ट्रक, बसें और ट्रैक्टर आदि की संख्या जिले स्तर पर प्राप्त हुआ है। जिसका विवरणी BSDRN पोर्टल पर अपलोड है।

4.8.4.खोज एवं बचाव हेतु जे0सी0बी0, बुलडोजर, क्रेन (सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी)

जी0सी0बी0 की संख्या–एवं किरान की संख्या विवरणी BSDRN पोर्टल पर अपलोड है।

4.8.5.मेडिकल सुविधायें– जैसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एम्बुलेंस, डाक्टरों, नर्सो एवं अन्य पैरामेडिक्स की संख्या

क–मेडिकल सुविधाओं का विवरण:–

क्र0	प्रखंड का नाम	चलंत	स्थायी	अस्थायी	कुल
1	अररिया	1	3	1	5
2	जोकीहाट	1	2	1	4
3	प्लासी	1	2	1	4
4	कुर्साकांटा	1	2	1	4
5	सिकटी	1	2	1	4
6	श्रानीगंज	1	3	1	5
7	फारबिसगंज	1	3	1	5
8	नरपतगंज	1	2	1	4
9	भरगामा	1	2	1	4
कुल		**9**	**21**	**9**	**39**

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के अर्न्तगत जिला अस्पताल 1, अनुमण्डलीय अस्पताल 2, रेफरल अस्पताल 2, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 5, प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र 9, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र 73 तथा कार्यरत स्वास्थ्य उपकेन्द्र की संख्या 433 है। जिले में अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण निम्नांकित हैं:–

क्रम संख्या	स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण	संख्या		रिक्त
		अनुमोदित	कार्यरत	
1	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	204	173	21
2	स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकत्री	–	–	–
3	प्रयोगशाला प्रविधिक	62	15	47
4	संख्याता	–	–	–
5	लिपिक	74	53	21
6	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	32	5	27
7	परिचायिका ग्रेड ए	153	80	73
8	एक्सरे टेक्निशियन	15	02	13
9	फार्माशिष्ट	57	13	44
10	जीप चालक	17	5	12
11	ए0एन0एम0 नियमित	1188	642	546
12	आशा	2637	2549	88
13	एम्बुलेंस	–	35	–
14	हैजा सुपरवाइजर	–	–	–
15	नेत्र सहायक	10	1	9
16	पुरूष परिवार कल्याण कार्यकर्ता	27	2	25
17	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	48	1	47
18	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति	218		0
19	ब्लड बैंक अस्पताल	0		0

4.8.6.पशु अस्पताल (कार्मिक एवं अन्य सुविधाओं का विवरण):–

क्रमांक	सुविधाओं का विवरण	संख्या
1	सचल दल	18
2	पैरा मेडिकल कर्मी	450
3	बाढ़ / सुखाड़ राहत पशु शिविर केन्द्र की संख्या (प्रत्येक प्रखण्ड में तीन–तीन की संख्या में विकसित किया गया है)	23
4	बाढ़ / सुखाड़ राहत उपकेन्द्र की संख्या	23
5	पशु आश्रय स्थल	कुल 54 उँचे स्थलों का चिन्हिकरण किया गया है।

4.8.7. पंचायत के साथ मानव संसाधनों की उपलब्धता– मुखिया, वार्ड सदस्य, पैक्स कार्मिक, आंगनबाड़ी, एम0एन0एस0 सेविकाएं, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, आशा, इन्दिरा आवास सहायक आदि।

क्रमांक	कार्मिकों का विवरण	संख्या
1	कुल ग्राम पंचायत की सं0	211
2	कुल मुखिया	211
3	कुल सरपंच	210
4	प्रखण्ड प्रमुख	9
5	कुल पंचायत समीति	285
6	जिला परिषद सदस्य	30
7	जिला परिषद अध्यक्ष	1
8	ऑगनवाड़ी केन्द्रो की सं0	2811
9	आंगनबाड़ी कार्यकत्री की संख्या	2726
10	इन्दिरा आवास सेवक	165
11	पंचायत रोजगार सेवक	146
12	किसान सलाहकार	228

4.8.9.एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 यूनिटों का विवरण जो जिला या जिले के आस–पास तैनात है।

आपदा प्रबंधन विभाग के निदेश के आलोक में समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 बिहटा, पटना द्वारा अररिया जिला के लिए एस0डी0आर0एफ0 टीम की स्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। एस0डी0आर0एफ0 टीम टाउन हॉल, अररिया के परिसर के अलग भवन में आवासित है। टीम कमांडर एवं 03 (तीन) एस0आई0 पदस्थापित हैं। उक्त टीम के साथ कुल–30 सदस्यीय टीम कैम्प कर रही है। नोडल जिला के अन्तर्गत किशनगंज, पूर्णियॉ एवं कटिहार जिला को इस टीम के साथ गुच्छ (Tag) किया गया है। जिले से प्राप्त अधियाचना के आलोक में एस0डी0आर0एफ0 टीम को राहत एवं बचाव कार्य हेतु भेजा जाता है। उक्त टीम के साथ एक पिकअप भान (BR-38 G-4250) एवं एक स्कॉरपियों (BR-38P-8888) कार्यरत है, तथा उक्त दोनों वाहनों के लिए दो–दो वाहन चालक की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन, अररिया द्वारा की गई है। साथ हीं राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण एवं एस0डी0आर0एफ0 कर्मियों की सूची टीम कमांडर द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

4.8.10. पंचायत सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण :–

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम अंतर्गत अररिया जिला के 211 पंचायतों से 1571 सामुदायिक स्वयंसेवकों का क्षमतावर्द्धन हेतु अंचल अधिकारी के माध्यम से चयन कर डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। चयनित स्वयंसेवकों में 30 प्रतिशत महिला भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है।
- विभागीय निदेश के आलोक में अररिया एवं फारबिसगंज अनुमंडल के सभी अंचलों से कुल–43 सामुदायिक स्वयंसेवकोंको बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय, बिहटा, पटना में प्राप्त कर चुके हैं। अन्य प्रशिक्षित बल– गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा एवं सामुदायिक स्वयं सेवकों/मानव संसाधन की विवरणी–

क्रमांक	मानव संसाधन का विवरण	संख्या
1	प्रशिक्षित गृह रक्षक	114
2	स्काउट एण्ड गाईड	1334
3	चयनित सामुदायिक स्वयंसेवकों की संख्या	1705
4	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयंसेवकों की संख्या	43
5	प्रशिक्षित गोताखोर	11
6	आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु मास्टर ट्रेनर	27
7	सामुदायिक तैराकी प्रशिक्षण हेतु एस0डी0आर0एफ0 (मास्टर ट्रेनर)	12
8	प्रशिक्षित पशु चिकित्सक	06
9	प्रशिक्षित पशुधन सहायक	02
10	प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर मुखिया एवं सरपंच	18
11	जीविका के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर	07
12	प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स पंचायत संसाधन केन्द्र के पदाधिकारी	03
13	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षित अभियंता	49
14	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षित राज्यमिस्त्री	530

4.8.11.अररिया जिलान्तर्गत अग्निशामालय एवं थानों में प्रतिनियुक्त अग्निशामक वाहनों की सूची अग्निशामालयवार निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	अग्निशामालय का नाम	बड़ी वाहन की संख्या	छोटी वाहनों की संख्या	कुल वाहन	अभियक्ति
		वाटर टेंडर			
1	अग्निशामालय, अररिया	2 (3000 लि0)	5	7	अररिया–1 (300 लि0), सोनामनी गोदाम–1 (400 लि0), जोकीहाट–1 (300 लि0), पलासी–1 (400 लि0) एवं रानीगंज–1 (300 लि0)
2	अग्निशामालय, फारबिसगंज	2 (3000 लि0 एवं 2500 लि0)	4	6	भरगामा–1 (400 लि0), नरपतगंज–1 (400 लि0), फुलकाहा–1 (400 लि0) एवं जोगबनी–1 (300 लि0)
कुलः–		**4**	**9**	**13**	

अररिया जिलान्तर्गत अग्निशामालयों में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारियों की सूची अग्निशामालयवार निम्न प्रकार हैः–

क्र0	अग्निशामालय का नाम	स्टेशन ऑफिसर	सब–औफिसर	प्राधन अग्निक	प्राधन अग्निक चालक	अग्निक	अग्निक चालक	गृह रक्षक चालक	गृह रक्षक	प्रतिनियुक्त गृहरक्षक
1	अग्निशामालय, अररिया	0	1	0	1	5	6	2	4	11
2	अग्निशामालय, फारबिसगंज	1	1	0	1	6	5	3	6	8
	कुलः–	**1**	**2**	**0**	**2**	**11**	**11**	**5**	**10**	**19**

चापाकलों की भौतिक स्थितिः–

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, अररिया, के अनुसार जिले में सभी सरकारी कुल– 14117 चापाकल क्रियाशील है। साथ ही 03 जल शुद्धिकरण संयंत्र, 120 जेरी केन, 70 चापाकल लगाने की व्यवस्था, 50 अस्थाई शौचालय निर्माण की व्यवस्था एवं आवश्यकता पड़ने पर चापाकलों की शुद्धिकरण के लिए प्रयाप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध है।

अध्याय: 4

संस्थागत ढाँचा

Institutional Arrangement

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की स्थिति का प्रभावी प्रबंधन हो सके, इसके लिए संस्थागत ढांचा का प्रावधान किया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये संस्थायें राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर चिह्नित की गई हैं। अधिनियम द्वारा सभी संस्थाओं के कार्यकलाप तथा उनको दिये गये कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तद्नुसार इसका समयबद्व क्रियान्वन करने, सभी विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए सामर्थ्यवान संस्थाओं द्वारा जोखिम शमनीकरण, न्यूनीकरण, अवशेष जोखिम के लिए प्रत्युत्तर तथा पुनर्स्थापन इत्यादि कार्य के लिए समग्रता का दृष्टिकोण (Holistic Approach) अपनाया जाना अनिवार्य है। जिस के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समुदाय आधारित संस्थायें, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के साथ ही बड़े औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सम्पादित करेगें। बिहार में आपदा प्रबंधन/विकास कार्यों के सक्रिय संचालन हेतु गांव, ग्राम पंचायत, प्रखण्ड, अंचल, अनुमण्डल एवं जिला एक समेकित प्रशासनिक तंत्र के रूप में गठित है।

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अररिया

जिला अररिया में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। आपदा प्रबंधन विभाग, पटना, बिहार द्वारा दिनांक–13/6/2008 जारी अधिसूचना पत्रांक संख्या 1 प्रा0आ0–16/2008/1502 अधिसूचना में वर्णित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (2), (3), (4), में डी.डी.एम.ए. के सदस्यों का विवरण यथा विर्निर्दिष्ट है–

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1	जिला पदाधिकारी/जिला समाहर्ता	पदेन अध्यक्ष
2	अध्यक्ष जिला परिषद	सह–अध्यक्ष
3	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	पदेन सदस्य
5	उप विकास आयुक्त	पदेन सदस्य
6	अपर समाहर्ता–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	पदेन सदस्य
7	जिला के वरीयतम अभियंता	पदेन सदस्य

2. अपर समाहर्ता–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।

3. अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विर्निदिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

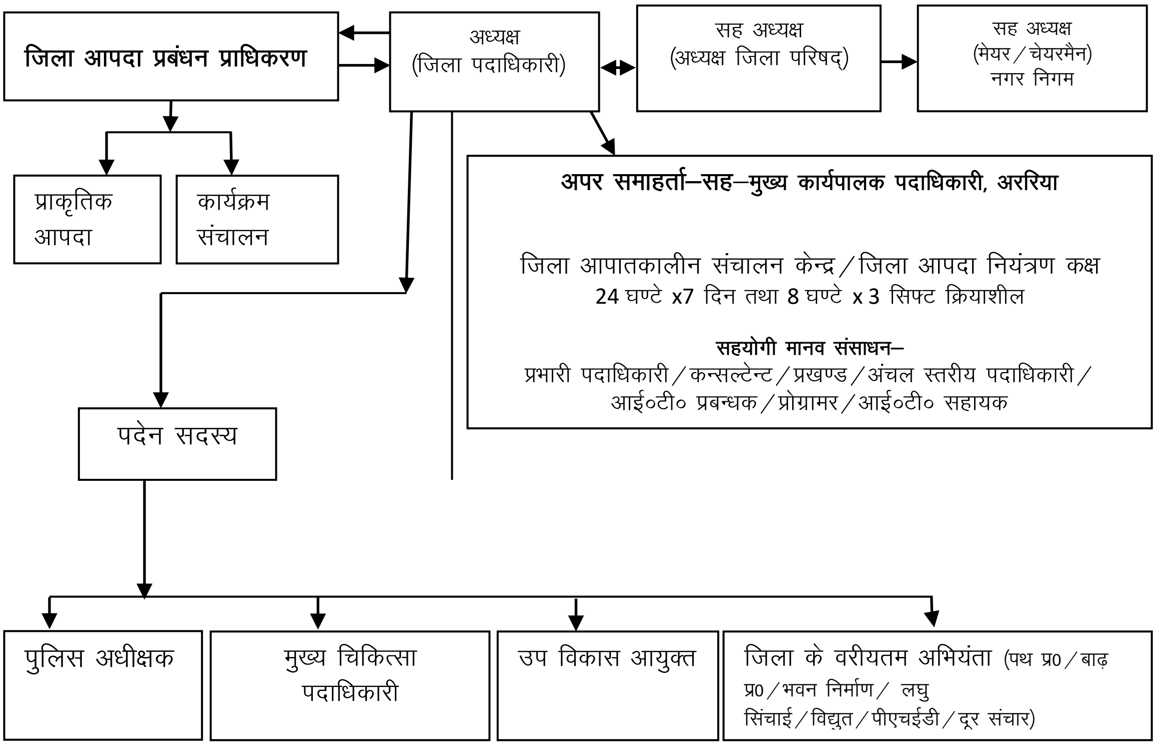

जिला पदाधिकारी ही सभी आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य कार्रवाईयों एवं राहत अनुदान सहायता के लिए जबावदेह पदाधिकारी होंगे और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिले के सभी विभागों के बीच समन्वयन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की गयी है। जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जबाबदेह हितभागियों में पुलिस, पैरा मिलिट्री, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक, अग्निशमन सेवा, पूर्व सैनिक, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया आदि संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रत्युत्तर, राहत एवं पुनर्वास के लिए जिले में सुव्यवस्थापित सांस्थानिक एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत हैं। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी साबित हुए हैं।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य:

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4, धारा 30, उपधारा (1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा आधिकथित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा।

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं मानीटर कर सकेगा।

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावो के शमन, तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकारों के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा।

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो।

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंधित विभागों या संबंधित प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों की अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निदेश दे सकेगा।

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और समन्वयन कर सकेगा।

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कायक्रमों को सुगम बना सकेगा।

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन योजना, और मार्गदर्शक सिद्वांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबंध्ति सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा।

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों को समन्वयन कर सकेगा।

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और निर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबंधित प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान करे सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा।

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्सहित कर सकेगा।

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक है और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है।

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाए।

4.2 पंचायतें–

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2030.में.''रेजिलियेंट विलेज'' की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर "फर्स्ट रिस्पॉडर" मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम तथा आपदा सह ग्राम/शहर/स्कूल/ अस्पताल इत्यादि की कल्पना से युक्त होगें। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक इस चेतावनी सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में ये प्रमुख भूमिका वहन करेगें। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत के सहयोग हेतु समितियों को आपदा न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर (रिस्पॉस) तथा पुर्नवासन (Recovery) के कार्य में लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायत तदनस्वरूप पंचायती राज अधिनियम में वर्णित सभी छः समितियों का गठन करेंगी ताकि उसके द्वारा पंचायत के अंदर आने वाले गाँवों में उपस्थित जोखिम को न्यून करेगी एवं उसके द्वारा पंचायत में उपस्थित संसाधन से मानव एवं प्राकृतिक आपदायें का प्रबंधन किया जा सकेगा। इससे आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद में पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ''मास्टर ट्रेनर्स" बनाया है। पंचायतों से यह अपेक्षा है कि वे प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग कर पंचायती राज को सुदृढ़ संस्थान के रूप में स्थापित करेंगी। जिले में सुदृढ़ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है।

4.3 समुदाय आधारित संगठन :

- **नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)**
  नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है। आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया। नागरिक सुरक्षा निदेशालय राज्य मुख्यालय में स्थापित है जिसका प्रधान भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी होते हैं जिसे पुलिस महानिरीक्षक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है। अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है। अररिया जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा का गठन किया गया है।

4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र–सह–आपदा नियंत्रण कक्षः

आपदाओं के दौरान त्वरीत कार्रवाई करने, समन्वित ढंग से कार्य करने तथा विभिन्न हितधारको के बीच सूचनाओं के त्वरित एवं प्रभावी ढंग से आदान–प्रदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कटिहार जिला अन्तर्गत जिला स्तर पर **जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC)** की स्थापना की गई है तथा इस केन्द्र को विभागीय पत्रांक–1982 / आ०प्र०, दिनांक–10.07.2017 के आलोक में इन्हें आवश्यक उपस्कारों / सामाग्रियों से सुसज्जित एवं आधुनिक संचार उपकरणों से लैस की गई है। इस आपातकालीन संचालन केन्द्र से समस्त आपदा प्रबंधन संबंधित गतिविधियों का संचालन करने हेतु इस प्रकार तैयार किया गया है कि ये पूर्णरूपेण 24X7 क्रियाशील रहे तथा इसमें समस्त जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आवश्कतानुसार, आपातकालीन परिस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा कभी भी कारवाई हेतु केन्द्र में बुलाया जा सकता है। साथ ही इस केन्द्र में किसी भी आपात स्थिती में जिला पदाधिकारी–सह–इनसिडेंट कमांडर स्वयं पहुँच कर विभिन्न एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर सकते हैं।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र / आपदा नियंत्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर सभी प्रकार के मानक एवं मानदण्डों के अनुरूप प्रकिया तथा सामाग्रियाँ सदैव तैयार रहनी चाहिए। कुछ प्राकृतिक आपदाओं जिसकी पूर्व चेतावनी की सूचना संभव होती है उन आपदाओं की पूर्व चेतावनी की सूचना प्राप्त होने पर उस आपदा के अनुरूप आपातकालीन संचालन केन्द्र / आपदा नियंत्रण कक्ष अपने जिला पदाधिकारी या अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उनके संसाधनों के साथ गतिशील किया गया है।

यह केन्द्र इस प्रकार से विकसित किया है, कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में यह 24X7 (चौबीस घंटे एवं सातो दिन) क्रियाशील रहेगा और समस्त परिस्थतियों में सूचनाओं का संकलन, चेतावनी एवं सूचना के प्रसार हेतु तत्पर रहेगा। वर्तमान में इस आपातकालीन संचालन केन्द्र में 8 घण्टें की रोस्टर पर तीन–तीन कर्मियों को इस प्रकार तैनात किया गया है कि DEOC 24X7 संचालित रहे एवं कर्मियों को देय छुट्टी भी उन्हें दी जा सकें। जिसमें तीन कम्प्यूटर प्रोगामर, तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा तीन आई०टी० ब्यॉय है, जिनका दायित्व इस प्रकार हैः–

i. **कम्प्यूटर प्रोग्रामर** :– जो DEOC का तकनीकी कार्य, संबंधित विभागों / एजेंसियों, जिला एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान, प्राप्त आंकडों का संकलन, संधारण एवं विश्लेषण का कार्य करेगें। इसके अतिरिक्त जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी भी इनकी होगी।
ii. **डाटा इन्ट्री ऑपरेटर** :– जो डाटा इन्ट्री का काम करेंगे। साथ ही कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उनके कार्यो में सहयोग करेंगे।
iii. **आई०टी० ब्यॉय :–** जो दूरभाष, फैक्स, फोटो कॉपी आदि का कार्य करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र :– जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु उपर्युक्त कर्मियों के अतिरिक्त एक पदाधिकारी जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगें। किसी भी आपदा के दौरान आपातकालीन घटना की पूर्ण जानकारी विभिन्न स्रोंतो से प्राप्त होने पर वे इसकी सम्पुष्टि आधिकारिक तौर पर करेंगे तथा इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी एवं राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी को देगें। DEOC को प्राप्त सूचना एवं घटना का अभिलेखन संबंधित पंजी में दर्ज करायेगें एवं त्वरीत कार्रवाई हेतु संबंधित को निदेशित करेगें साथ ही निर्बाद्ध संचालन सुनिश्चित करायेगें।

लिपिक :– लिपिक के माध्यम से संचिकाएं / अभिलेखों आदि का संधारण एवं रख–रखाव तथा प्रभारी पदाधिकारी, के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करेगें।

जब तक प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र एवं लिपिक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तबतक के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जिला में उपलब्ध किसी वरीय पदाधिकारी को जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी प्रदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करेंगे। इसी प्रकार दो लिपिकों

की भी प्रतिनियुक्ति जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में किया जाय, ताकि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को तत्काल प्रभाव से क्रियाशील किया जा सके।

तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियों का दायित्व :

- जिले में आपदाओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन।
- प्राप्त सूचनाओं का समय–समय पर अद्यतनीकरण।
- प्राप्त सूचना को सूचना रजिस्टर में दर्ज करना, साथ ही संबंधित अधिकारी को उक्त सूचना से अवगत कराते हुए प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं अपर समाहर्त्ता को भी अवगत कराना।
- प्राप्त सूचना को संबंधित अधिकारी द्वारा वार्ता कर उक्त सूचना के आधार पर की गयी कार्रवाई को सूचना रजिस्टर में दर्ज करना।
- बाढ़ / अतिवृष्टि / वज्रपात / शीतलहर / ओलावृष्टि / चक्रवाती तूफान / अगलगी / नाव दुर्धटना / पानी में डुबने की घटना / भूकम्प एवं अन्य आपातकालीन के दौरान निम्न सूचनायें, दर्ज करेंगे तथा प्रभारी पदाधिकारी, DEOC से सत्यापित कराना :–
    - केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी बाढ़ दैनिक प्रतिवेदन के आधार पर नदियों के जल स्तर (बढ़ाव / घटाव / स्थिर) की जानकारी।
    - प्रत्येक अंचल तथा मौसम विभाग वर्षा अभिलेख एवं तापमान अभिलेख।
    - अंचलो द्वारा तैयार किये गए आपदाओं के क्षति का विवरण।
    - प्रभावित ग्राम, ग्राम पंचायत, अंचल एवं अनुमंडल तथा प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) का विवरण।
    - राहत एवं बचाव टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्यो का विस्तृत विवरण।
    - संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रो का विवरण।
    - प्रत्येक संचालित राहत केन्द्र में आपदा प्रभावित परिवार को सहायता हेतु दिये गये राहत पैकेट, राशन, दवाई, बर्तन, कपड़ा या अन्य का पूर्ण का विवरण।
    - आपदा प्रशाखा एवं अंचलो के भण्डार में स्थित मोटर बोट, सरकारी नाव, निजी नाव, नाविक, गोताखोर, लाईफ जैकेट, रस्सी व कुण्डा एवं महाजाल का पूर्ण विवरण।
    - प्रत्येक अंचल में वितरित सहाय्य राशी का प्रतिवेदन पूर्ण विवरण सहित।
    - प्रत्येक दिवस सायंकाल 04:00 बजे अपर समाहर्ता पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी आपदा द्वारा सत्यापित आपदा बुलेटिन (बाढ, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि, भूकम्प, अगलगी आदि) जारी किया जाना।
    - मृतको / घायलों / लापता व्यक्तियों का विवरण (उम्र, लिंग एवं रोजगार)।

जिला आपातकालिन संचालन केन्द्र / आपदा नियंत्रण कक्ष में आवश्यक अनिवार्य सुविधायें:

DEOC / आपदा नियंत्रण कक्ष के अर्न्तगत अबाधित विधुत आपूर्ति, वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्श्न, टेलीविजन, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर मशीन, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्पर्क विवरण, पदाधिकारियो / कर्मचारियो के बैठने एवं कार्य संपादन हेतु आवश्यक सामग्री, शौचालय, पेयजल, पर्याप्त स्टेशनरी, डिस्पले बोर्ड, टेलीफोन डाइरेक्टी, मानचित्र इत्यादी सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलबध हों।

पूर्व सूचना / चेतावनी प्रसार प्रक्रियाः

मौसम विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा संभावित / घटित आपदा से संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर समस्त हितभागियों एवं आम जनता के लिए DEOC से चेतावनी जारी किया जायेगा। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष (अनुमण्डल / प्रखण्ड / अंचल / ग्राम पंचायत), राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र से सीधे जुड़ा होगा।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का प्राथमिक कर्तव्य समय पर सही पूर्व सूचना / चेतावनी जारी करना हैं। पूर्व सूचना / चेतावनी प्रभावी रूप से जारी करने के लिए जिला आपातकालीन केन्द्र के पास सुनियोजित संचार व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। जिला पदाधिकारी / नामित पदाधिकारी चेतावनी जारी करने के

लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे। निम्नलिखित संस्थाओं/अधिकारियों को चेतावनी की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये–

- आयुक्त कार्यालय।
- जिला पदाधिकारी कार्यालय।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को।
- अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारियों को।
- अंचल/प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों को।
- पड़ोसी जिलों के जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष की सामान्य समय में भूमिका

जिला पदाधिकारी द्वारा DEOC, अररिया में 24x7 संचालन हेतु तीन पालियों में एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० बॉय की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि सामान्य समय में निम्न कार्य करेगें:–

- आपदा और संवेदनशीलता से संबंधित आंकड़ों व जानकारियों का संकलन तथा सम्बधिन्त जिला स्तरीय विभागों व हितभागियों के साथ साझा करना तथा आपदा के समय उपर्युक्त को प्रयोग में लाना।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्मित विभिन्न पोर्टलों पर डाटा का अद्यतन करना।
- वेब आधारित तकनीक (Digitalization Techinique) के आधार पर संसाधनों का प्रबंधन।
- आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधनो के लिए निवेदन करना ।
- सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक यंत्र चालू अवस्था में हों।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना ।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित क्रियान्वन ।

क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष

क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष आपदा स्थल के समीप स्थापित किया जायेगा जो जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के साथ जुड़कर काम करेगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य उत्तरदायी होगें तथा कमांडर इन चीफ की भूमिका में घटनाओं का नियंत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित करेगे। जिला इन्सिडेंट कमांडर जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्रीय कमांडर अपने स्थानीय प्रबंधन टीम के सहयोग से समन्वय के साथ कार्य को संचालित करेगा। क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष किसी आपदा के समय ही सक्रिय होगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी आपदा स्थल पर सभी गतिविधिया निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होगे, लेकिन समस्त कारवाई नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र से नियंत्रित और समन्वित किये जायेगें। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्रीय नोडल अधिकारी स्थानीय प्रबंधन टीम के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य संचालित करेगें। क्षेत्रीय नोडल अधिकारी सभी गतिविधियां जिम्मेदारी के साथ निष्पादित करेगे साथ ही समपादित कार्यो से जिला पदाधिकारी/नोडल अधिकारी, आपदा प्रबंधन को अवगत करायेंगे।

आपदा के अनुसार क्रियाशीलता का स्तर :

सामान्यतः किसी घटना के सम्बन्ध में सूचनाये हमेशा उनके घटने के बाद प्राप्त होती है। बिना किसी पूर्व सूचना के आपदा घटित होने की दशा में स्थानीय पदाधिकारी या जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी को स्थिती के अनुसार सूचित करते हुए जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र या राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचना दी जायेगी। इन आपातकालीन संचालन केन्द्रो द्वारा आवश्यकतानुसार आपदा बचाव दल एवं बचाव सामाग्री आदि की तैनाती की जायेगी। इस संदर्भ में अपने से उच्च अधिकारियों को सूचना का आदान–प्रदान करेगें। इस आदान–प्रदान के आधर पर तत्काल कार्ययोजना का निर्माण कर उसका अनुपालन करते हुए घटना के प्रति प्रत्युत्तर कार्रवाई किया जायेगा।

4.4 **समन्वय तंत्र** (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अररिया) :–

पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण एक सचेत करने का माध्यम होता है जिसको प्रसारित करने के लिए वर्त्तमान में बहुतायत माध्यम प्रयोग में लाये जाते है। पूर्व सूचना/चेतानवी प्रसारण के लिए कटिहार जिले में बहुतायत स्त्रोतों में से निम्न माध्यमों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे–टेलीफोन, मोबाईल फोन, सेटेलाईट फोन, सोशल मिडिया, ई–मेल, रेडियों, टेलिवीजन, हैण्ड ऑपरेटिंग/इलेक्ट्रोनिक साइरन, माईकिंग आदि।

उपर्युक्त प्रणाली को सफल एवं प्रभावी करने हेतु समुदाय स्तर परसमुदाय में टास्क फोर्स के लोगो को प्रशिक्षित एवं संगठित करना होगा।

समय से प्राप्त पूर्व सूचना/चेतावनी समुदाय एवं प्रशासन का ''**लीड टाइम**'' प्रदान करता है। इसके माध्यम से आपदा प्रभावित समुदाय समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। इस तकनीकी के माध्यम से भारी मात्रा में होने वाले जन–धन की हानी को रोका जा सकता है। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारन अधिक व्यापक और अन्तिम व्यक्ति तक जुड़ाव वाला होना चाहिए। पूर्व सूचना गुणवत्तापरक, व्यापक और समय से प्रसारित किया जाना चाहिए।

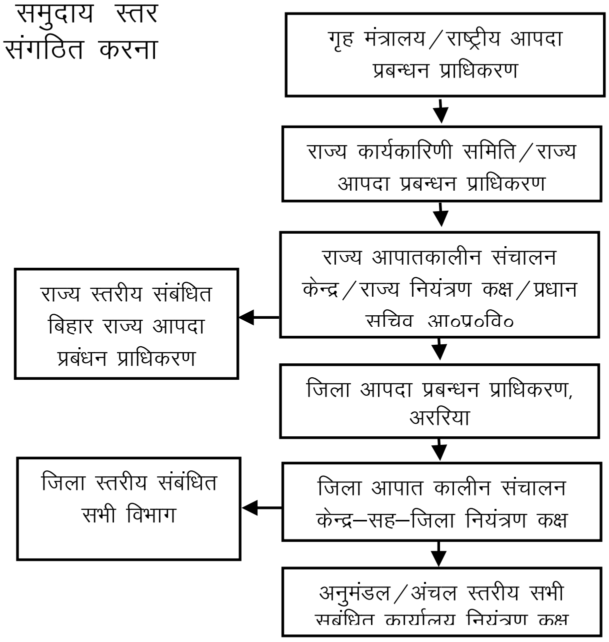

जिला अररिया का पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण ढांचा/समन्वय तंत्र

अध्याय : 5

आपदा निवारण, शमन तथा पूर्व तैयारी का उपाय

PREVENTION, MITIGATION & PREPAREDNESS MEASURES

वर्तमान में आपदाओं के बदलते प्रभावों और उनके समाज पर प्रभावी असर को देखते हुए किसी एक मंत्रालय या विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है, अतः यह आवश्यक है, कि आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना सभी विभाग/एजेन्सियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मिल–जुल कर किया जाय। इसके अतिरिक्त चूँकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण अनिवार्य हो गया है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने हेतु संगत कार्रवाईयों/गतिविधियों की पहचान आवश्यक है।

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि रोकथाम, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ हीं उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में आपदा निवारण, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु विभिन्न हितधारकों के कार्यों की पहचान की गयी है।

5.1 विभाग/एजेंसी का विशिष्ट कार्य :–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना, विनिर्माण कार्यान्वयन तथा समन्वयकर्त्ता निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। विभिन्न मुख्य कार्यों का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :–

विशिष्ट कार्य	जिम्मेवारी
रोकथाम, नियंत्रण और समन्वय	जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अररिया
सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा क्षति आकलन	जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा
संचार	जिला दूरसंचार केन्द्र (सूचना संचरण हेतु)
खोज व बचाव	पुलिस, अग्निशमन बल, परिवहन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
सहाय्य एवं शरण स्थल	जिला प्रशासन, खाद्य आपूर्ति पदा॰, राजस्व एवं भूमि सुधार
स्वास्थ्य सेवा	जिला स्वास्थ्य समिति
पेयजल एवं स्वच्छता	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अररिया
पशु शरणागाह एवं चारा	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया
ऊर्जा आपूर्ति का पुनर्स्थापन	पावर होल्डिग कम्पनी, बिहार
आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन	पथ निर्माण/ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण एवं पुल निर्माण निगम
शव एवं मलवा निपटान	नगर निगम एवं क्षेत्रीय प्रशासन
जन संपर्क, पूर्व सूचना एवं ई॰ओ॰सी॰,मिडिया प्रबंधन	जिला जनसंपर्क कार्यालय (मिडिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराना)
कानून एवं व्यवस्था	जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अररिया

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संभागो, पंचायतीराज संस्थाएँ, सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियाँ भी उपरोक्त कार्यों में सहयोग दे सकेंगी। इन कार्यों में पंचायत ग्रामीण स्तर की चुनी हुई संस्था है, अतः जोखिम को रोकने, कम करने या पूर्व की तैयारी में विशेष जिम्मेवारी निर्वहन करना पड़ सकता है।

5.2 सभी विभागों एवं एजेसियों के लिए कार्य :–

सभी संबंधित विभाग/संभाग आपदा जोखिम विषय पर समझ विकसित करेंगें तथा प्रशासन प्रणाली को सशक्त करेंगें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों तथा प्रभावी रिस्पाँस आदि विषयों को ध्यान में रखकर इस योजना हेतु कार्रवाही करेंगे।

5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्यः

1. बाढ़ः—

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**जल संसाधन विभाग** **(बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण)**	• बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण। • पूर्व से निर्मित किन्तु क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन। • संभावित जल जमाव वाले क्षेत्रों में जल निस्सरण योजनाओं का निरूपन एवं निर्माण।	• आपदा पूर्व संभावित बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण । • नदियों के जलग्रहण क्षेत्र से काफी अधिक मात्रा में, बाढ़ के पानी के साथ आने वाले गाद को हटाने की व्यवस्था । • उपरोक्त के आक्राम्य स्थलों को चिह्नित करना। क्षतिग्रस्त होने वाले संभावित जगहों को शीघ्रता से तत्परता पूर्वक समुचित संरचनाओं का निर्माण। • बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों के बीच बाढ़ से बचाव के संबंध में आवश्यक सलाह /जानकारी का प्रचार – प्रसार। • रेलवे तथा सड़क में बने हुए छोटे पुल—पुलिया के स्थल पर हो रहे जल जमाव की त्वरित निकासी की व्यवस्था।	• संभावित बाढ़ के संबंध में जारी निर्देशिका के आलोक में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। • अन्य बांध, नहरों, नालों, तलाबों आदि पर अतिक्रमण हटाना, इनकी साफ—सफाई करना तथा समय से पूर्व इनकी मरम्मति करा लेना। • बाढ़ प्रबंधन कैलेन्डर का निर्माण। • वर्षा ऋतु में नदियों के जलश्राव निगरानी हेतु "रिवर गेज" की स्थापना, दैनिक जलश्राव निगरानी तथा बाढ़ का पूर्वानुमान। • आपदा पूर्व चेतावनी प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र का विकास एवं नियोजन। • संभावित बाढ़ के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्रीयों का चिह्नित स्थलों पर भंडारण।
2	**भूमि सुधार एवं राजस्व**			• हेली पैड स्थल की अवस्थिति तय करना। • शरण स्थल का चयन।

3	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• ''फ्लड प्लेन जोनिग'' करने के उपरांत नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एवं लोगों को बसने से रोकने के लिए समुचित अधिनियम बनाना एवं लागू करना। • समस्त स्थानीय नावों का परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन। • जिला का सम्बन्धित विभागों के सहयोग से प्रकोप, नाजुकता तथा जोखिम मानचित्र तैयार कराना।	• बाढ़ ग्रस्त जोन में प्राथमिकता के आधार पर आयरन रिमूवल उंचे हैण्ड पम्प, उंचे शौचालय, स्नानघर, मानव एवं पशु हेतु सभी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित उँचे शरण स्थल का निर्माण। • जिला आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ से जुड़े शमनीकरण तथा न्यूनीकरण कार्य योजना का अनुश्रवण। • पंचायत स्तर पर की जा रही न्यूनीकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण करना। पंचायतीराज प्रतिनिधियों तथा बाढ़ राहत बचाव प्रशिक्षण। • जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को लेवल 3 डिजास्टर को ध्यान में रखते वर्तमान सुविधाओं से लैश करते हुए स्थापित करना– रिवर वाटर लेवल डिस्प्ले बोर्ड, लैण्ड लाइन टेलीफोन, समस्त आवश्यक मानचित्र तथा कम्प्यूटर एवं हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। • बाढ़ प्रवण पंचायतों की सूची तैयार करना। ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रवण पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन	• बाढ़ आपदा प्रबंधन को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न स्तरों पर हितभागियों का प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन। • बाढ़ राहत प्रकोष्ठ का गठन एवं सदस्यों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना। • बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का संचालन।
4.	शिक्षा	• मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को स्कूल स्तर पर आयोजन करना। • आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा	• मनरेगा योजना से जुड़ाव कर बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र से पहले से बने विद्यालयों को ऊँचा करना। उक्त का प्राविधान मनरेगा योजना से जुड़ाव स्थापित कर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने वाले पहुँच मार्गों	• जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक स्तर के विशेषकर प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा मानचित्र पर उनकी अवस्थिति दर्शाना।

		प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास कराना। • आपदा के परिप्रेक्ष्य में स्कूल/विद्यालय का वार्षिक सुरक्षा आडिट कराना तथा आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए उस हेतु संवेदनशीलता सूची तैयार करने के साथ–साथ मानचित्र तैयार करना। • "स्कूल आपदा प्रबंधन योजना" निर्माण करना तथा समय–समय पर अद्‌तनीकरण हेतु स्कूल मैनेजमेण्ट कमेटी को प्रोत्साहित करना। • क्षेत्रीय आपदाओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं का निर्माण। • आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की योजना में समाहित करना। • नये विकास कार्यक्रमों को भी डी.आर.आर. से जोड़ना। बाढ़ प्रवण पंचायतों में: • बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ ग्रस्त जमीन पर नहीं कराना।	को ऊँचा व पक्का करना। • प्रशासन के सहयोग से कुछ छात्रों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्वयं सेवक के रूप में आपदा के समय काम करने वाली टीम के रूप में गठन करना चाहिए • यह सुनिश्चित करना कि दूर संचार के समस्त माध्यम सुचारू ढ़ंग से काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करने की स्थिति में है। • बाढ़/जल–जमाव वाले क्षेत्र में स्कूल भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करना। • रिलीफ व रेस्क्यू टीम की मदद करना। • रिकवरी योजनाओं को लागू करने में सहयोग करना। • क्षति आकलन व रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करने में सहयोग करना। • जिला में जल्द से जल्द सामान्य शिक्षा की बहाली सुनिश्चित करना। • बच्चों/शिक्षकों को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक मदद सुनिश्चित कराना। • बाढ़ आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों व पहुंच मार्गों का बाढ़रोधी तकनीक से मरम्मत/पुनर्निर्माण कराना। • सभी स्कूलों द्वारा अपने पाठ्‌यक्रमों में बाढ़ आपदा एवं उससे बचाव सम्बन्धी जानकारियां शामिल करना। • **बाढ़ प्रवण पंचायतों में :** ➢ सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इस हेतु	• सभी स्कूलों में स्कूल आपदा प्रबंधन योजना एवं स्कूल आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल में स्थित जलस्रोतों (चापाकल या टोटी) का ऊँचीकरण तथा जल संक्रमण हेतु प्रावधान सुनिश्चित करना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्यालय के संसाधनों, वहा के स्टाफ व उनके सम्पर्क नं0 की सूची को पहले से ही तैयार करना ताकि आपदा के समय उनसे सम्पर्क करने में परेशानी न हो। • बाढ़ प्रभावित घरों के बच्चों के लिए पुस्तक एवं पोशाक की पुनः व्यवस्था सुनिश्चित करना। • बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास कराना। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल भवनों को चिन्हित कर रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापको का प्रतिनियोजन। • विद्यालय में आपदा से सबंधित विभिन्न प्रकार के दलों का गठन करना, जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं

			विद्यालयों में तैराक सह प्रशिक्षक तैयार करना। ➢ विद्यालयों में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। ➢ बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ जनित बीमारियों से बचाव हेतु छात्र–छात्राओं को जानकारी देना। ➢ जन – जागरूकता द्वारा निशेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना जैसे बाढ़ के पानी के प्रयोग से बचना, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास नहीं जाने देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी उपर्युक्त रोकथाम गतिविधियों के अनुपालन पर बल देना।	शरण–स्थल निगरानी दल, बाढ़ प्रत्युत्तर दल तथा इनके नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।
5	**ग्रामीण अभियंत्रण संगठन**		सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में बाढ़ आपदा प्रबंधन को समेकित ढ़ंग से शामिल करना।	बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी
6	**सड़क निर्माण विभाग**	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, कटिहार के द्वारा दिनांक–13.07.2022 को प्रस्तुत योजनानुसार– • आपदाओं विशेषकर मानसून से पूर्व क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना सुनिश्चित करना। • आवागमन व्यवस्था जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना। • मुख्य सड़क में बने दरार (Breaches) एवं	• क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के लिए नियोजन व बजट की व्यवस्था करना। • सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर आम जनमानस को जीवन रक्षा के सन्दर्भ एवं यातायात के नियम पर जागरूक करना। • बाढ़ के दौरान लिंक रोड के क्षति की जानकारी प्राप्त करना तथा अर्ली रिकवरी हेतु योजना के क्रियान्वयन पर कार्रवाई सम्पादन सुनिश्चित करना।	• BSDRN वेबसाइट के अनुसार विभाग में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आई0आर0डी0एन0 वेबसाइट को अपडेट किया जाना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न सुरक्षित वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना तथा

		सड़क के गड्ढ़े की भराई सुनिश्चित करना। • सड़कों पर दुर्घटना बाहुल्य (Black spot) क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना एवं सचेतक बोर्ड स्थापित करना। • क्षतिग्रस्त सड़को की त्वरित स्थानीय संसाधनों के माध्यम से मरम्मत सुनिश्चित करना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित सड़क पुर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी सड़क बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना।	इसका मानचित्र तैयार करना। • निजी व्यक्तियों/वेण्डरों के साथ समन्वयन बैठक कर उनके पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का मानचित्रण करना। • आवश्यक स्थलों पर 'कलवर्ट' का निर्माण कर यातायात चालु करवाना।
7	**स्वास्थ्य**	• विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करना। • टी.वी., रेडियो, समाचार एवं अन्य प्रचार माध्यमों से जन–समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना। • सर्पदंश के प्राथमिक उपचार पर समुदाय में व्यापक जन–जागरूकता का आयोजन।	• पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का वितरण एवं भंडारण। • चलन्त चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से बाढ़ पीडितों को चिकित्सा उपलब्ध कराना। • आपूर्ति की जा रही दवा एवं खाद्य पदार्थ के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। • प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के साथ–साथ चिकित्सकों का नियोजन। • एन०डी०एम०ए० द्वारा विकसित की गयी इमरजेंसी हॉस्पिटल मैनेजमेण्ट मार्गदर्शिका का अनुपालन करते हुए जिला स्तर पर योजना तैयार करना। • ग्राम स्तर पर प्राथमिक उपचार दल का गठन एवं नियमित प्रशिक्षण।	• स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड कीट तैयार रखना। • बाढ़ प्रवण इलाकों में सुरक्षित खानपान तथा स्वच्छता के संबंध में स्थानीय नर्सों तथा आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना। • पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ. आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण। • विभिन्न बीमारियों से जुड़े टीके लगाने की पूर्व तैयारी रखना। • आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. का प्रशिक्षण ताकि, राहत शिविर में संभावित प्रसव कार्य सुरक्षित एवं सुगम हो।
8	**खाद्य एवं आपूर्त्ति**	जिला आपूर्ति अधिकारी के द्वारा दिनांक–07.07.2022 को प्रेषित पत्रानुसार– सभी गोदामों में अनाज हेतु एस0एफ0सी0 द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जाना।	• नये गोदामों का निर्माण ऊँचे स्थान पर किया जा रहा है। • सभी गोदामों में प्रति माह आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	• नवीन गोदामों, विभाग से संबंधित निर्मित होने वाले भवनों आदि को ऊँचे एवं सुरक्षित स्थानों पर निर्माण हेतु संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करना। • बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार आवश्यक मात्रा में अनाज खरीद सुनिश्चित करना। • यह सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम,

				कार्यालय बाढ़ आपदा से बचाव हेतु ऊँचे स्थानों पर स्थित हों। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान का भण्डारण कर लेना । • बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
9	**पंचायती राज**	• पंचायत के विकास कार्यो में आपदा प्रबंधन को समाहित करना। • सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर सिंचाई के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण। • समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम आपदा प्रबंधन कमेटी को सक्रिय करना। • समस्त ग्राम पंचायत ग्राम आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना।	• बाढ़ आपदा के दौरान समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डूब क्षेत्र में पड़ने वाले हैण्डपम्पों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से हैण्डपम्पों का ऊँचीकरण करवाना। • सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजना बनाना। • समुदाय को बाढ़ आपदा प्रबंधन की प्रशिक्षण देकर जागरूक करना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/ प्रस्तावित मकान पूर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना। • बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में जन–मानस के बचाव हेतु 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौडा उँचे प्लेटफार्म का निर्माण जहाँ सामुदायिक कीचेन, पानी का संसाधन, शौचालय एवं स्नानघर एवं सामुदायिक कूड़ेदान का प्रावधान सहित।
10	**कृषि**	• तीव्र वर्षा के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बचाव के लिए ऊँचाई के अनुसार जुताई, मेड़बन्दी, मेड़ों पर पौधरोपण, पशुचारा में काम आने वाले पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित करना। • फसल बीमा एवं गृहवाटिका को प्रोत्साहन।	• नहर प्रणाली से सिंचाई सुनिश्चित करना। • बाढ़ प्रभावित क्षेत्र/जल बहाव व आंधी तूफान क्षेत्र में जकड़ा एवं गहरी मजबूत मूसला जड़ वाले फसलों व बाग–बागीचों को बढ़ावा देना। • कम लागत की खेती के लिए विभिन्न विधाओं जैसे समय एवं स्थान प्रबंधन, मिश्रित खेती, बीज संरक्षण, बहुस्तरीय खेती तथा कम्पोस्टिंग आदि तकनीक को बढ़ावा देना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों के लिए वैकल्पिक कृषि से संबंधित SOP तैयार करना। • क्षेत्रों में जहाँ जल जमाव की संभावना हो वहाँ जल सह पौधों जैसे धैचा, ईख आदि फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना। • अधिकाधिक क्षेत्रों में गरमा फसल उगाने को प्रेरित करना। • अत्यधिक नमी तथा कम समय में उगने वाले चारे व फसल के बीज का भण्डारण। • धान की वह प्रजाति जिसके पानी में कुछ दिन डुबे रहने पर भी उत्पादन में कमी नहीं

				होती है, का प्रचार–प्रसार एवं प्रत्यक्षण करना तथा बाढ़ प्रवण खेतों में इसे उगाने पर बल देना।
11	जिला पशुपालन कार्यालय	• सभी पशुओं को खुरपका व मुंहपका तथा अन्य रोगों से संबंधित टीकाकरण को सुनिश्चित करना। • पशु चिकित्सक एवं सहायकों को बाढ़ में होने वाले पशुरोग एवं रोकथाम का प्रशिक्षण देना। • पशुधन की बाढ़ से सुरक्षा हेतु लोगों में जागरूकता अभियान चलाना।	• पशु बीमा को प्रोत्साहन। • बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों के बचाव हेतु 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौडा ऊँचे प्लेटफार्म का निर्माण जहाँ चारा भण्डारण, पानी का संसाधन तथा गोबर इकट्ठा करने का प्रावधान सहित।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में चारे का पर्याप्त भण्डारण करना। • पशुओं के लिए पशु शरण–स्थल चिन्हित करना। • मत्स्य पालन क्षेत्र में चारो तरफ से ऊँची जाली लगाकर घेर देना, ताकि मछली के बाहर बह जाने से रोका जा सके।
12	परिवहन		• नाव परिचालन से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू कराना। • राज्य प्राधिकरण द्वारा नाविकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान का संचालन करना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या में नाव तथा नाविकों का सूचिकरण ।
13	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	•	• शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/क्लोरीन की टिकिया की आपूर्त्ति एवं इसके उपयोग विधि की जानकारी लोगों को कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में काफी संख्या में चापाकलों लगाना तथा मरम्मति के कार्य करना।	• शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/क्लोरीन की टिकिया की आपूर्त्ति एवं समुचित भंडारण।
14	एस.डी.आर.एफ./एन.डी. आर.एफ. एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कटिहार		• प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	• नागरिक सुरक्षा दल का गठन। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में गठित प्रत्युत्तर दलों का प्रशिक्षण। • मॉकड्रिल का आयोजन करना। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण।
15	केन्द्रीय जल आयोग/मौसम विभाग	समय–समय पर मौसम का जानकारी देना		• बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना सार्वजनिक तौर पर संप्रेषित करना।

2. गर्मी–लू/शीतलहर/ ठनका

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5

1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	**(क) गर्मी–लू** • स्कूल / कॉलेज तथा सरकारी / गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। • बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिर्वतन करना। गंभीर लू की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। • मनरेगा के कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। **(ख) शीतलहर** • बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिर्वतन करना। गंभीर शीतलहर की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। **(ग) ठनका –** • ऊँचे भवनों में तड़ित चालक लगाना एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी गाइड लाइन को आम जनमानस को जागरूक करना।	**(क) गर्मी–लू** • बाजार / रेलवे स्टेशन / बस अड्डा इत्यादि जगहों पर प्याउ की व्यवस्था। **निम्नांकित सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार–** • यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो तो खाली पेट कभी नहीं निकले। • पानी पी कर एवं सिर को पूरी तरह ढ़क कर निकले। • गर्म हवा से हमेशा अपने को बचा कर रखें। • पीने का पानी लेकर चले तथा निर्जलीकरण से बचें। • फेसमास्क का प्रयोग जरूर करें। **(ख) शीतलहर** • शरीर को बाहरी स्त्रोतों से गर्म रखना, धूप खिलने पर धूप का सेवन। • सार्वजनिक स्थल पर सोने वाले गृह विहीन लोग तथा रैन बसेरा, टमटम पड़ाव, रिक्शा पड़ाव, मुसाफिरखाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि के निकट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यस्था करना। • खुले आकाश के नीचे रात्रि विश्राम करने वाले गृह विहिन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बिछाने व ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध कराना। **(ग) ठनका –** • ठनका की आंशका वाले मौसम में ऊँचे वृक्ष, बिजली का खम्भा, टावर इत्यादि के नीचे शरण लेने से रोकना। • ठनका की संभावना के मद्देनजर मोबाईल अथवा बिजली के उपकरण के प्रयोग से	**(क) गर्मी–लू** • मौसम पूर्वानुमान की घोषणा का संज्ञान लेना। • पहनने के सूती कपड़ों का यथा संभव उपयोग तथा गर्म एवं ताजा खाना खाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना। **(ख) शीतलहर** • अलाव की व्यवस्था रखना। • जाड़े से बचाव हेतु गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना। • शीतलहर के प्रभाव एवं उपायों तथा उपबन्धो की जानकारी से लोगों को अवगत कराना। • मरीजों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना। **(ग) ठनका –** वज्रपात से बचने हेतु क्या करें और क्या न करें से संबंधित सुझाव प्रचारित करना।

			परहेज की सलाह देना। • घर के खिड़की दरवाजे एवं वृक्ष के बीच धातु के तार जोड़ रखने से मना करना। • ठनका की आशंका वाले मौसम में नदी/नहर/तालाब से बाहर रहने की सलाह देना।	

3. अग्निकाण्ड

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। • रोकथाम की कार्रवाई के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना।	• अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने, दूरदर्शन एंव रेडियो से जिला स्तर से सुझाव/सलाह का प्रसारण कराना तथा बिहार गृह रक्षावाहिनी का मुख्यालय पटना के पत्रांक 1042 दिनांक 02.03.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना। • अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़ी एक चेक लिस्ट तैयार करना। • इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना।	• आपात्कालीन संचालन केन्द्र को आधुनिक संचार संसाधनों से युक्त करना। • अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़े एक चेक लिस्ट तैयार करना। • इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना। • अग्नि से जुड़ी तकनीकों एवं बचाव उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण– पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तरीय कर्मी, स्वयंसेवकों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसे गतिविधियों का नियमित आयोजन करना। • अग्नि सुरक्षा से जुड़ा चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना।
2	**अग्निशमन सेवा**		• बहुमंजली इमारतो एवं कार्यालयों में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था से युक्त नक्शे	• जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर स्थापित अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन तथा मोबाईल

			• के आधार पर हीं निर्माण की अनुमति देना। • जिले में महत्वपूर्ण भवनों का अग्निशमन योजना तैयार करना तथा समय–समय पर इसे मॉकड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण करना। • अग्निशमन कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना। • लोंगो के लिए अग्नि से बचाव हेतु जन जागरूकता के कार्य करना।	नं॰, सार्वजनिक करना। • अपने अग्निशमन वाहन को आवश्यक सामग्री से हर दम लैश रखना एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को हमेशा तैयार रखना। • अग्नि प्रवण क्षेत्र के सड़कों का अद्यतन नक्शा रखना, उनसे पूरी तरह परिचित होना तथा उनका नियमित अवलोकन करना। • अग्निशमन के आधुनिकतम यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण**	• ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में प्रत्येक 2 कि॰मी॰ पर हाईड्रेन्ट निर्माण संबंधी राज्य सरकार का संकल्प कारगर हो।	• प्रति 2 कि॰मी॰ पर एक हाईड्रेन्ट को क्रियाशील रखना। • पर्याप्त संख्या में बड़े व्यास वाले नलकूप निर्माण की योजना बनाना।	• नलकूप में अग्निशमन के लिए बनी गाड़ियों में जल भरने की युक्ति को लगाना।
4	**शिक्षा विभाग**	• विद्यालयों के भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रबन्ध करना।		• सभी विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • सामुदायिक जागरूकता के अन्य कार्य करना।
5	**भवन निर्माण विभाग**	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन। • विभिन्न प्रकार के अस्पतालों, बैंको, रक्त अधिकोषों तथा संवेदनशील कार्यालयों के भवनो को अग्निरोधी बनाने युक्त नक्शे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना।	• अग्निकांडों से सबक लेकर सुरक्षा संबंधी निदेशों में समय–समय पर आवश्यक सुधार करना।	• भवन निर्माण में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग एवं भंडारण को हतोत्साहित करना।
6	**पंचायती राज विभाग**	• आहर पोखर, पईन के पहुँच पथ को चौड़ा करते हुए अतिक्रमण मुक्त करना। • अग्नि सह मकान बनाने की तकनीक को अपनी पंचायत की भावी योजना में समाहित करना। • अग्नि से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन।	• ग्रामीण भवनों/झोपड़ियों के निर्माण में अग्निशमन तकनीक के प्रयोग पर ध्यान देना। झोपड़ियों के निचले हिस्से तथा दीपक रखने की जगह पर मिट्टी लेपन करना। • गर्मी के महीनों में अग्निकांड से बचाव हेतु खाना बनाने के समय में बदलाव। सार्वजनिक कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य बातों पर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को सचेत करना।	• गाँवों के भवन/झोपड़ियों के निर्माण के बीच स्थान जरूर हो ताकि वहाँ तक अग्नि की स्थिति में पहुँच आसान हो सके। • गाँवों में पोखरे, आहर, पईन, ताल तलैया, कुएँ आदि जल स्त्रोतों को बनायें रखना, उनकी उड़ाही करा कर तैयार रखना। • अग्नि से संबंधित जन जागरूकता के कार्य चलाना।

				• ग्राम स्तर पर अग्निशमन सामग्री यथा जलस्त्रोत, पंपिग सेट, हौस पाईप, नोजल, लंबी सीढ़ी आदि की उपलब्धता को सूचिबद्ध करना।
7	नगर निकाय		• अग्निकाण्ड से बचाव के विभिन्न उपायों को दीवारों पर जन जागरूकता हेतु पेटिंग/पोस्टर आदि बनवाना/लगाना। • वैसे भवनों के निर्माण का नक्शा पारित करना जो पर्याप्त या निर्धारित चौड़ाई वाली सड़को पर हो ताकि अग्निशमन वाहन वहाँ पहुँच सके।	• घनी आबादी के बीच गुजरने वाली सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना। • विभिन्न जगहों पर बड़े व्यास वाले नलकूपों को लगाना।
8	स्वास्थ्य विभाग			• अस्पतालों की सूची, उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण तथा सभी पहुँच पथ की जानकारी स्थानीय अग्निशमन कार्यालय/थाना को उपलब्ध कराना। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल तथा सदर अस्पतालों में विशिष्ट सुविधा युक्त "बर्न यूनिट" की स्थापना । • एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरूस्त रखना।
9	पशुपालन			• पालतू पशुओं को अग्निकांड से सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना। • अग्निकांड से पीड़ित पशुओं के लिए दवाई आदि का समूचित भंडारण करना।

4. चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि : –

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	विद्युत विभाग	• विद्युतीय संरचनाओ के समीप के वृक्ष की टहनी की कटायी–छंटायी करना। • विद्युतीय दुर्घटनाओ से होने वाली क्षति	• वितरण संयत्रो की शीघ्रतम मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति को शीघ्रता से चालू करने की योजना, जिससे महत्वपूर्ण संस्थान यथा	• समस्त अंचलों के जर्जर एवं झुलते तार को बदलना तथा उनका सुदृढ़ीकरण करना। • हाईड्रोलिक वाहन एवं अन्य संसाधन को

		अथवा रोकथाम हेतु सामान्य समय एवं आपदा के समय जनता के सहयोग के लिये जागरूकता अभियान संचालित करना।	अस्पताल, स्कूल, टेलिविजन केन्द्र, जल आपूर्ति, दूरसंचार, प्रशासनिक संस्थान इत्यादि कार्यरत रह सके। • आवश्यकतानुसार बिजली तड़ित चालक को स्थापित करना।	किसी आकस्मिक हेतु सदैव तैयार रखना। • प्रमण्डल स्तरीय/शक्ति उपकेन्द्रो में 24X7 कार्यरत नियन्त्रण कक्ष का सतर्कता से संचालन।
2	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**		• ग्रामीण इलाकों में विशेष तरह के ढाल वाली छतें तथा बाँस वाली संरचनाओ के निर्माण कार्य में विशेष सावधानियाँ बरतने की जरूरत होगी।	• मौसम विभाग से प्राप्त चक्रवाती तूफान/ आँधी/ ओलावृष्टि संबंधी पूर्व सूचना को प्रचारित–प्रसारित तथा सभी हितभागियों को सचेत करना। • सार्वजनिक स्थलों पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करते रहना। • गाँव के स्तर पर आँधी, तूफान से संबंधित जोखिम का विश्लेषण करना। विश्लेषण में गाँव के स्तर पर संवेदनशील समुदाय तथा हितभागियों को भी शामिल करना एवं सचेत करना। • सरकार द्वारा जारी advisory (सलाहकारी) का प्रचार–प्रसार करना। • ग्राम स्तर के सरकारी कर्मी, सिविल सोसायटी कर्मी आदि को प्रशिक्षित करना।
3	स्वास्थ्य विभाग			• प्रभावित इलाके के ट्रॉमा सेन्टर सहित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को तैयार होकर 24 x7 रहने का आदेश देना। • आस–पास के सभी ब्लड बैंक जाँच केन्द्र को सतत् सतर्क रहने हेतु निर्देश देना।

5. सूखाड़

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	*2*	*3*	*4*	*5*

1	**कृषि विभाग**	• ड्रीप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देना। • सूखारोधी एवं कम सिंचाई वाली फसलों को लगाने को प्रोत्साहन देना। • भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु चेक डैम, जल छाजन तथा जैविक खाद बनाने हेतु योजना का निरूपण एवं क्रियान्वयन। • प्रगतिशील कृषक मंच का गठन कर इसके माध्यम से सूखा अथवा जलवायु परिवर्तन आधारित कृषि (Climate Resilitent Agriculture) को प्रोत्साहित किया जाना।	• वैकल्पिक खेती हेतु भण्डारित बीज को ससमय कृषकों के बीच पर्याप्त मात्रा में वितरित करना। • सूखे की दृष्टि से आकस्मिक फसल योजना का निर्माण। सूखा/कम वर्षा/कम जल आधारित फसल का चयन तथा उनका प्रचार–प्रसार। • कीड़ो से बचाव के उपाय करना । • चारे से जुड़ी फसलों को लगाने को प्रोत्साहित करना • चेक लिस्ट के आधार पर शमनीकरण तथा न्यूनीकरण के उपाय का निर्धारण करना तथा हितधारकों को इससे अवगत कराना। • प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से विकसित तकनीकों का उपयोग खेतों में करना। • सूखे की स्थिति में कृषि डीजल अनुदान देना तथा लोन, मालगुजारी, सिंचाई एवं बिजली रकम अदा करने पर तात्कालिक रोक लगाना।	• सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखे की आशंका बढ़ जाती हैं ऐसे समय में ऐतिहातिक कदम उठाने के लिए समय–समय पर हितधारकों को कृषि कार्य संबंधी दिशा निर्देश देने हेतु चेक लिस्ट विकसित करना। • जिला आपदा प्रबंधन योजना में सूखे से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन । • उत्कृष्ट जल प्रबंधन हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। इसके लिए कैलेण्डर, बुकलेट, पोस्टर, दीवार पेन्टिंग, होर्डिंग, अखबार, रेडियो संदेश, टेलीविजन आदि को माध्यम बनाया जा सकता है। • कृषि संयंत्र, खाद, उपचारित बीज आदि का संरक्षण एवं भंडारण। • वैकल्पिक पशुचारा उत्पादन योजना का निरूपण करना। • सूखा एवं जलवाय परिवर्तन के अनुरूप विभिन्न फसलों के लिए अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण।
2	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**		• सूखा टास्क फोर्स का गठन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना। • मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सभी हितधारकों तक पहुँचाना । • फसल क्षति बीमा योजना में शामिल होने हेतु बढ़ावा देना	• ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभावित किसानों एवं ग्रामीण हितधारकों से सम्पर्क कर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे/होने वाले जोखिम के प्रति सचेत एवं जागरूक करना। • सूखा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन। • सूखाड़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रखना।
3	**जिला पंचायती राज विभाग/ जिला परिषद्/**	• समुदाय द्वारा उपयोग के बाद अवशिष्ट जल के पुर्नउपयोग पर बल देना।	• सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न रोजगारोंन्मुख सरकारी योजना गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन,	• तालाबों, नहरों आदि की खुदाई/साफ कराना/सुरक्षित रखना। • सभी पैक्सों में वर्षा ऋतु के पहले अनाज

	पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत		वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना।	का भंडारण करके रखना। • पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली हेतु जागरूकता अभियान चलाना।
4	**जल संसाधन**	• जल वितरण नियंत्रण एवं सभी सिंचाई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • जल संसाधन के खुले भण्डारों पर सौर उर्जा संयंत्र लगा कर यथासम्भव जल वाष्पीकरण को रोकना।	• सिंचाई नहरों के माध्यम से खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँचाने के लिए जलवाहा/सिंचाई नाली की मरम्मति एवं निर्माण।	• जिले के असिंचित खेतों को सिंचित बनाने के लिए सिंचाई योजना का निरूपण। • विभिन्न सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाना। • जिले में नहर प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त/अर्धनिर्मित/अनिर्मित नहरों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उड़ाही करना। • नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी होने पर बारी–बारी से सभी खेतों तक आवश्यकता के अनुरूप पानी पहुँचाने की योजना बना कर रखना।
5	**लघु जल संसाधन**	• सूखा से निपटने हेतु अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि उन्नयन योजनाएं चलायी जा रही सरकार ने शताब्दी नलकूप योजना के माध्यम से ज्यादा पटवन करने का इंतजाम किया जाना।	• वर्षा जल संरक्षण को खासकर विद्यालय/ घरेलू/सार्वजनिक स्थानों पर, प्रोत्साहित करना। • ड्रीप/स्प्रींकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर बल/जोर देना।	• सभी नलकूपों को ऊर्जान्वित तथा कार्यकारी बनाये रखना। • सिंचाई नहरों एवं सार्वजनिक पोखरो से गाद को हटाना।
6	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**	• स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना। • हर घर नल का जल योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	• सूखाग्रस्त इलाके में पानी की खपत पर निगरानी रखना तथा टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना। • जल स्त्रोतों की नियमित सफाई तथा इसे संक्रमण रहित बनाना। • लाईफ लाईन भवनों यथा अस्पतालों/ विद्यालयों आदि में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अबाध्य बनाना।	• सभी पेयजल स्त्रोतों यथा चापाकल, नलकूप, कुआँ के डिसइन्फेक्सन की व्यवस्था करना। • ब्लिचिंग पावडर की पर्याप्त व्यवस्था रखना। • प्रति व्यक्ति कम–से–कम 40 लीटर पानी की व्यवस्था हेतु तंत्र (System) विकसित करना।
7	**पशुपालन**	• पशुओं का ससमय टीकाकरण सुनिश्चित करना।	• पशुचारा शिविर लगाकर पर्याप्त चारे की आपूर्ति। • कृषि अनुशांगिक आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने हेतु डेयरी, कुकुट पालन, पशुपालन आदि को प्रोत्साहित करना।	• जानवरों के लिए सामूहिक चारा शिविर स्थल को चिन्हित करना। • मौसम विशेष की बीमारियों से बचने हेतु पशुओं का टीकाकरण।

8	समाज कल्याण **(ICDS)**	• आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ओ.आर.एस. पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• आंगनबाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले बच्चे, गर्भवती, दुध पिलाती माता आदि के सूची को अद्यतन करना।	
9	**उर्जा**		• विद्युत की नियमित आपूर्त्ति बनाए रखना। • राजकीय नलकूप के पम्प को ऊर्जान्वित बनाये रखना।	
10	**ग्रामीण विकास**		• मनरेगा तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित सात निश्चय योजना के तहत रोजगार मुहैया कराना।	
11	**स्वास्थ्य**		• सूखे से जुड़ी कुपोषण एवं निर्जलीकरण जैसी बीमारियों की निगरानी करना। • आवश्यकतानुसार ओ.आर.एस. पैकेटों का पर्याप्त मात्रा में वितरण करना।	• स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड किट तैयार रखना । • पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ. आर.एस. पैकेट इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।
12	**मौसम विभाग**			• मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की ससमय घोषणा करना तथा सम्बन्धित विभागों को इससे अवगत कराना।
13	**बैंक**		• सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। • विभिन्न ऋण देने वाली एजेन्सियों के द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रबंधन करना एवं इस आशय की लोगों को जानकारी प्रदान करना।	
14	**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण**		• सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना, अन्त्योदय अन्न योजना को प्रोत्साहित करना एवं उचित मूल्य की दूकानों पर निगरानी रखना।	• क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं रख रखाव तथा खाद्यान्न का भंडारण करना।

6. भूकम्प

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी

1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• रोकथाम, न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर एवं पूर्व तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों को ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित योजना में शामिल हो को, सुनिश्चित करना ।	• जिला आपदा प्रबंधन योजना में भूकंप से जुड़ी शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण। • प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण। • ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाली योजनाओं में भूकम्परोधी संरचनाओं की तकनीक को शामिल कराने की पहल करना। • क्षमताबर्द्धन के कार्य–पंचायती राज प्रतिनिधियों का, स्वयंसेवकों का, लाईन विभाग के लोगों का आपदा प्रबंधन योजना (ग्राम स्तरीय) में निर्धारित कार्यों का प्रशिक्षण।	• संरचनात्मक ढाँचों के निर्माण का विश्लेषण एवं जोखिम का आकलन। • विश्लेषण के उपरान्त विभिन्न सहभागी दायित्वों का निर्धारण। • भूकम्प से संबंधित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण कराने की पहल। • ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दलों का गठन किए जाने को सुनिश्चित करना। • भूकम्प से निपटने की तैयारी के मॉकड्रील का अभ्यास कराना ।
2	भवन निर्माण	• भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण संहिता–2014 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।	• रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग। • बिहार आपदा जोखित न्यूनीकरण रोड मैप के अनुरूप बाढ़, भूकंप, आग, जल संरक्षण तथा चक्रवाती तूफान को ध्यान में रख कर नये भवनों का निर्माण।	• पूर्व से निर्मित सभी सरकारी भवनों का, खास कर सभी अस्पताल, स्कूल एवं प्रशासनिक कार्यालय भवनों की भूकंप रोधी क्षमता का आकलन–रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग द्वारा करना। • भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रचार–प्रसार एवं जिले में कार्यरत सभी अभियंताओं, राज–मिस्त्री, शटरिंग–मिस्त्री तथा बार–बाईंडर का प्रशिक्षण। • प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में अस्थायी आश्रय स्थल की खोज
3	**नगर निगम**	• भवन निर्माण के अधिनियम के उपबंधो का अनुपालन करते हुए नक्शा पास करना। • जर्जर भवनों को चिह्नित करना तथा इसके आवासीय उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।	• भूकंप के दृष्टिकोण से कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग कराना।	• निकाय के पास उपलब्ध भारी वाहन – डोजर, डम्पर तथा क्रेन इत्यादि का समुचित मरम्मति एवं संपोषण कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना। • आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्मित सड़कों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना।
4	**स्वास्थ्य विभाग** (सिवील सर्जन एवं उनके	• भूकंप के दौरान घायल व्यक्तियों की त्वरित समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने	• जिला स्तरीय संभावित भूकंप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।	

	अधीनस्थ अस्पताल एवं कार्यालय)	हेतु नजदीक के ट्रॉमा सेन्टर, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, एम.आर.आई., एक्सरे तथा सर्जिकल सेन्टर को चिन्हित करना । • अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। • अस्पतालों की ''रेट्रो फिटिंग'' का कार्य । • अस्पतालों में बड़ी तादाद में घायलों के उपचार हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना।	• एम्बुलेंस को पूरी तरह सुसज्जित कर तैयार रखना। • प्राथमिक चिकित्सकों/आशा कार्यकर्त्ता को सक्रिय एवं तैयार रखना। • इन अस्पतालों में अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य सहायक सामग्री का पर्याप्त भण्डारण रहना।	
5	**अग्निशमन विभाग**		• खोज एवं बचाव हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण। • भवनों में अग्नि सुरक्षा का ऑडिट सुनिश्चित करना।	• भूकंप के दौरान घटित अग्निकांडों से निपटने के लिए अग्निशमन संयंत्रों एवं वाहनों तथा प्रशिक्षित कार्यबल को सदैव तैयार तथा तत्पर रखना।
6	**एन.डी.आर.एफ/ एस.डी.आर.एफ/रेड क्रॉस/सिविल डिफेन्स**		• मॉकड्रिल के माध्यम से जनजागरूकता एवं जन प्रशिक्षण करना। • समुदाय क्षमता निर्माण कराना तथा स्वयं भी खोज एवं बचाव के लिए तत्पर एवं तैयार रहना।	
7	**शिक्षा विभाग**	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का भूकंप रोधी निर्माण सुनिश्चित करना।	• विद्यालयों में प्रति वर्ष भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने को सुनिश्चित करना।	• राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल के खेल मैदान को चिन्हित कर के रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन। • जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना। प्रत्येक स्कूल में भूंकप के दौरान अपने आपको सुरक्षित करने हेतु समय–समय पर मॉकड्रिल कराना। • प्रत्येक स्कूल में भूकंप आपदा प्रत्युत्तर दल जैसे –प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, आपात्‌कालीन अलार्म दल, निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, इत्यादि का गठन तथा इनको नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।

7. सड़क/रेल सुरक्षा

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। • हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। एन. सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं की वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम आयोजित करना। • चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना/संबद्धता प्रदान करना।		• Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। • हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं की वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम आयोजित करना। • चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना /संबद्धता प्रदान करना।
	परिवहन	• मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन। • वाहन चलाने के समय मोबाईल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना। • परिवहन विभाग, बिहार सरकार, द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को निम्न आशय के निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना– ➢ गाड़ियां 80 कि॰मी॰/घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी। ➢ सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु ''गति नियंत्रक'' लगाने की बाध्यता होगी। ➢ दुपहिया, तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं होगी। ➢ डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60	• वाहनों की नियत समय पर फिटनेस की जाँच तथा चालकों का समय–समय पर स्वास्थ्य एवं दृष्टि दोष की जाँच कर अनुपयुक्त वाहनों एवं अस्वस्थ चालकों को प्रतिबंधित करना। • सीट बेल्ट/हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से हो, इसे सुनिश्चित करना। • सड़क सुरक्षा के संबंध में जन–जागरूकता अभियान चलाना।	• सरकारी/गैर सरकारी वाहनो में प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

		कि॰मी॰/घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा। • परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 24.08.2016 को निम्न आदेश के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना – ➢ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के ''रिफ्लेक्टीव टेप'' (परावर्तक टेप) लगाया जाना है। इसमें ट्रेलर भी सम्मिलित हैं।		

अध्याय : 6

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

CAPACITY BUILDING & TRAINING

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं एवं उनसे जुड़े लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे जुड़े पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य लाइन विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 'बिपार्ड' में करवाया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों यथा– अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों यथा– रोकथाम, न्यूनीकरण, त्वरित रिस्पॉन्स, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु–आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी एवं किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के सहयोग से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। प्रशिक्षित बिहार प्रशासानिक सेवा, अंचलाधिकारी, बी.डी.ओ. आदि पदाधिकारियों की सूची बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट **(www.bsdma.org)** पर देखा जा सकता है।

6.1.1 विभिन्न स्तरों के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में कार्यरत लोग एवं सामुदायिक संगठनों को आपदा विषयक मुद्दे पर बिहार या देश के अन्य राज्यों में उनके क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इनके अलावे नीचे स्तर के कर्मचारी यथा आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., किसान सलाहकार इत्यादि भी प्रशिक्षित किये जायेंगें। क्षमतावर्द्धन संस्थागत एवं गैर संस्थागत हो सकते है। उपरोक्त के अलावे गैर संस्थागत में जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में मशीनी एवं यांत्रिक सुविधा बढ़ाकर संचार व्यवस्था तथा आपदा से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सचेत रहने में मदद पाया जा सकता है।

6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित :–

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और पंचायते ही उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण होना है और इसके रिस्पॉन्स हेतु समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। चूँकि पंचायत के गाँवों और वार्ड सदस्यों को 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में देखा गया है इसलिए उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पंचायत से दस–दस युवाओं को सामुदायिक प्रशिक्षण (आपदा मित्र) के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर जिले के सभी पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहेंगे। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थायें जो सामुदायिक स्तर पर काम करती है। उन्हें भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस संबंध में बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा तैयार, ''मुखिया, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों एवं सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका'', भी उपलब्ध कराया गया है।

6.3 पेशेवर विशेषज्ञ

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अबतक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अभियंताओं को राज मिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण किया गया है। साथ हीं प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किये जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बरतने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त सभी पेशेवर लोगों की सूची विस्तार से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) पर देखी जा सकती है।

भविष्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रखंड तथा पंचायत में उपलब्ध हितभागियों को तथा सहयोगी संस्थानों/व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण का विषय निम्नांकित है–

6.4. पंचायत स्तरः

पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रस्तावित विषयः
पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमः

क्र0	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
1	(क) मुखिया (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन (घ) स्वंय सहायता समूह (ड़) सेवा निवृत आर्मी परसन, पुलिस कर्मी आदि	1. पंचायत स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, तूफान, ठनका, नाव दुर्घटना आदि पर विशेष बल। 2. पंचायत की विकास योजना में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए पंचायतस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 4. खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। 5. आपदा प्रबंधन के अंतगर्त पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 6. आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी।
2	स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य	1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव। 2. छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। 3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन। (डायरिया, निमोनिया, पेयजल एवं स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिष्क ज्वर आदि से बचाव की जानकारी।
3	(क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका (ख) आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
4	स्थानीय राज मिस्त्री/ शेटरींग मिस्त्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

6.5 प्रखण्ड स्तरः प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्र0	प्रखण्ड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
1	(क) प्रखंड विकास पदाधिकारी (ख) अंचल अधिकारी (ग) राजस्व अधिकारी (घ) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (ड) प्राथमिक सहकारिता साख समिति (पैक्स) (च) कृषि सलाहकार	1. जलवायु परिवर्तन की जानकारी। 2. मौसम विज्ञान की जानकारी। 3. सूखे के आगाज की पहचान। 4. मौसमीय खेती एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 5. पंचायत स्तर पर वर्षापात आंकड़ा का संकलन। 6. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। 7. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं प्रचार–प्रसार।
2	(क) पंचायत सचिव (ख) विकास मित्र	1. पंचायत स्तर के विभिन्न आपदीय एवं संसाधन के आंकड़े जुटाना। 2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन एटलस का निर्माण। 3. लेखा संधारण।
3	ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	गाँव के गरीब तबकों को आपदा से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के साथ सहायता दिलाने संबंधित प्रशिक्षण।
4	स्थानीय राज मिस्त्री/ शेटरींग मिस्त्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

6.6 अनुमंडल स्तरः अनुमंडल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमंडल तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड/अंचल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

अनुमंडल स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र0	अनुमंडल स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
1	(क) अनुमंडल पदाधिकारी (ख) अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण	1. पंचायत समिति की विकास योजना में प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 2. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए प्रखंड स्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 3. प्रखंड स्तरीय बहु–आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का मानचित्रण। 4. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा अन्य किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 5. भूम्कप रोधी भवन निर्माण संबंधी मुख्य जानकारी। 6. अनुमंडल में आने वाले प्रखंडों की मजबूती एवं कमजोरियों की पहचान। 7. सभी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, कम्प्यूटरीकरण एवं संधारण।
2	(क) अंचल निरीक्षक (ख) कम्प्यूटर ऑपरेटर	नक्शे एवं आंकड़ों की आवश्यकता एवं संवेदनशील जनसंख्या के पहचान के तरीके।
3	प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य	1. प्रखंड प्रमुख एवं समिति सदस्यों को लेकर प्रखंड स्तरीय स्थायी समितियों का गठन एवं इसका दायित्व। 2. पंचायतों के आंकड़ों को प्रखंड स्तर पर समेकित कराना (योजना की दृष्टि से)।
4	अभियंता/स्थानीय संवेदक/स्थानीय राज मिस्त्री/शेटरींग मिस्त्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।

6.7 जिला स्तरः जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी लाईन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

जिला स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमः

क्र0	जिला स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
1	(क) अपर समाहर्त्ता (ख) वरीय उप समाहर्त्ता	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार।

	(ग) सभी लाइन विभाग	2. इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। 3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) 4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। 5. संचार माध्यम। 6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन. डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। 7. नाव परिचालन रूल्स, बिल्डिंग बायलॉज, फॉयर सेफ्टी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में।
2	अभियंता/स्थानीय संवेदक तथा सभी अभियंता लाईन विभाग के/राज मिस्त्री/ शेटरींग मिस्त्री/मेठ एवं जिला स्तरीय संवेदक	भूकंप रोधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज।
	नगर निकाय	
3	(क) कार्यपालक पदा० (ख) सिटी मैनेजर (ग) वार्ड पार्षद	1. बिल्डिंग बायलॉज। 2. नगर योजना। 3. आपदा प्रबंधन। 4. अग्नि सुरक्षा। 5. भीड़ प्रबंधन। 6. अवशिष्ट प्रबंधन। 7. भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।
4	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण प्रक्रिया का प्रशिक्षण।

नोट :– प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक स्तर पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है।

6.8 जागरूकता

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई०ई०सी० सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेंगे।

अध्याय : 7

प्रत्युत्तर योजना

RESPONSE PLANNING

आपदा की शुरूआत होने पर इससे निबटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करो, प्रशिक्षित कर्मियों तथा समन्वित प्रयासो का, जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्युत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा की पूर्व सूचना तथा इसकी तीव्रता तथा विस्तार का अनुमान होते ही आपदा मोचन तंत्र स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमिका अदा करने में सक्षम हो जाय, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया

आपदा प्रत्युत्तर से सम्बन्धित कार्यों के संचालन की पूर्ण जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं आपदा के नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्यरत होते है। घटना/हादसा से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी को देकर ही घटना/हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

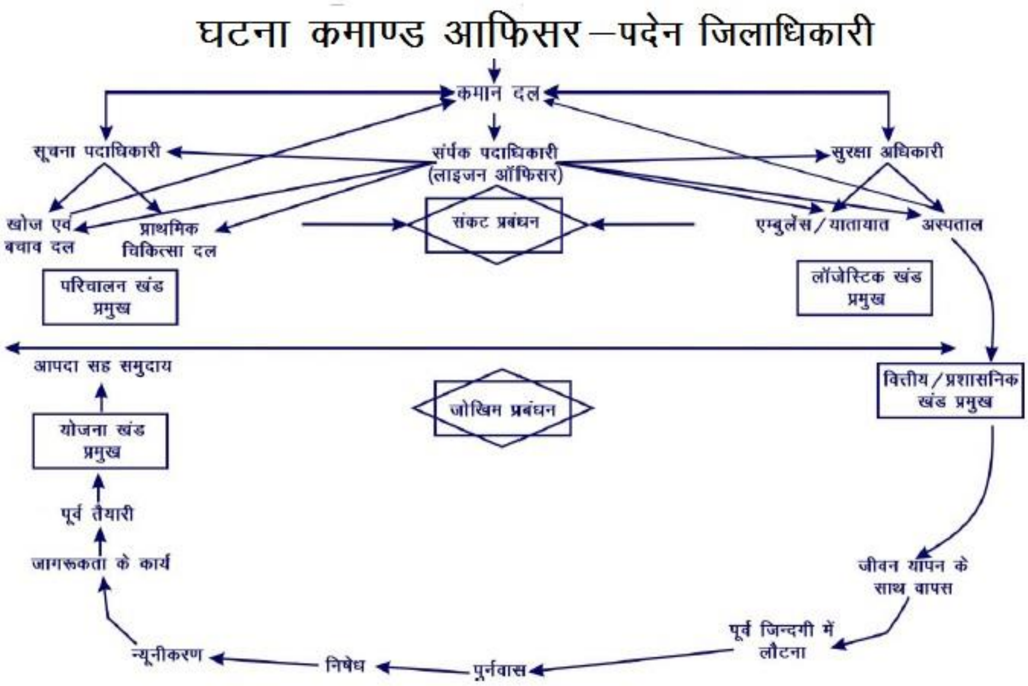

आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्त्ता को हादसा कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो

जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्त्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

7.1.1 घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्वः

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अंतर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगों के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरतमन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने हेतु, आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई की जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं

- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिले में हितधारक एवं इनकी कार्ययोजनाः हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है–सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंटः** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं।

2. **समुदाय आधारित समूहः** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते हैं जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चुँकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित शहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते हैं।

3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठनः** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेत रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

   व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते हैं। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका सामाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारकों का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

   आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते है, अतः वे इनके सम्पर्क में होते हैं। इनसे आपदा न्यूनीकरण के साथ–साथ आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

   ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्स्थापन का प्रयास करती है। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते है, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते है। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते हैं।

   हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाएँ तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होनी चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते है।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य

उपरोक्त कथन के आलोक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते है :–

- पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगो को अवगत कराया जायेगा।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
- आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना स्वयं से प्रयास कर आपात्कालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।
- यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।
- यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी॰डी॰एम॰सी॰), आपात्कालीन समर्थक कार्य (इ॰एस॰एफ॰) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (इ॰ओ॰सी॰) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।
- आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।
- प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपात्कालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।
- सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा। Slow Onset में आपदा की शुरूआत (यथा सूखा, कीट संक्रमण, रोग महामारी आदि) धीमी गति से होता है परंतु उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। Fast Onset में आपदा (यथा फ्लैश फ्लड, भूकंप आदि) का आगमन अचानक होता है और उसमें तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है।
- **इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अंतर्गत –**
    - आपात्कालीन संचालन केन्द्र, राहत दल को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के राहत दल को तुरंत ही सक्रिय करना साथ ही ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।
    - आपात्कालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
    - आपात्कालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
    - सूचनाओं का प्रवाह नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

- **आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरातः**
  - प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपात्कालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
  - यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।
- इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेंगे ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर की एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामाग्रियाँ प्राप्त की जायेंगी जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्त्ति की जायेगी।
- सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौंपेगी।

- **प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :**
  - इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियों को दूर किया जा सके।
  - कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
  - हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड पदाधिकारी आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
  - प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
  - अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक

सामान्यतः सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक निम्नांकित होंगे :–

1. संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System)।
2. कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination)।

3. खोज, बचाव, राहत कार्य (Search, Rescue & Relief operation) ।
4. चिकित्सीय प्रत्युत्तर (Medical Response) ।
5. शव तथा मलवा का निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris) ।
6. क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages and Losses) ।
7. रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) ।
8. राहत शिविरों का संचालन (Relief Camp Operations) ।
9. सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management) ।
10. मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) ।

आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर कार्य के उपरोक्त सभी प्रमुख घटकों का उद्देश्य, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि संचालन का दायित्व तथा उसको प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पूरा करने में व्यतीत होने वाले समय की विवेचना नीचे की सारणी में विस्तार से दर्शाया गया है।

7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
➢ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ➢ जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र / राज्य आपात्कालीन केन्द्र ➢ जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। ➢ दूरसंचार निगम, ➢ आकाशवाणी, ➢ दूरदर्शन, ➢ पुलिस वायरलेस, ➢ हैम रेडियो, ➢ एच.एफ. / भी.एच.एफ. ➢ मोबाईल सेवा प्रदाता / दूरभाष	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़– भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	➢ आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। ➢ संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन। ➢ अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। ➢ मौसम विभाग से संपर्क।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।
	बाढ़	• बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुँचाना। • तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। • क्षतिग्रस्त संपर्क पथों को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। • बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन। • वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है।	

• अग्निशमन सेवा • पुलिस • पंचायत	अग्नि	अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना।	
आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग	सूखा	मानसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	• आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)। • जिला आपात्कालीन सेवा कार्य तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना। • आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया को सक्रिय करना। • नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी। • जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। • राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	बाढ़	• हवाई सर्वेक्षण, फुड पैकेट गिराना, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु एयरफोर्स का हवाई जहाज/ हेलीकॉप्टर की माँग। • हेलीकॉप्टर से फुड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने की कार्रवाई का समन्वय एवं अनुश्रवण। • बाढ़ आपदा के संबंध में मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। • राहत एवं बचाव कार्यो का जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी। • बाढ़ की गंभीरता का आकलन। • बाढ़ क्षति का प्रारंभिक आकलन। • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। • सेना की माँग।	
	भूकंप	• भूकंप की गंभीरता का आकलन। • भूकंप क्षति का प्रारंभिक आकलन।	

		• राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। • सेना की माँग।	
• जिलाधिकारी। • पुलिस।	अग्नि	• भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना। • कंट्रोल रूम को चालू रखना। • अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ को दूर रखना। • डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को निर्बाध (unhindered) जारी रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना।	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स/जिला कृषि कार्यालय • आपदा प्रबंधन विभाग	सूखा	• अनुश्रवण। • सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	

7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन, • अंचलाधिकारी, • अग्निशमन दल, • नागरिक सुरक्षा समिति, • पुलिस, • होमगार्ड • राज्य आपदा मोचन दल, • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, • स्वयंसेवी संगठन	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• खोज एवं निष्क्रमण करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। • खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। • जिनका निष्क्रमण संभव न हो उनकी जीवन रक्षा के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना। • अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। राहत शिविरों में रहने खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक। (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रतिनियोजन संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया खंड–2 के अनुलग्नक 17 पर अंकित है।)

		नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट) • बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरों तक स्थानान्तरण। राहत केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन (खण्ड–2 में राहत केन्द्रों का संचालन के लिए राज्यादेश अनुलग्नक–38 पर संलग्न)। • बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पॉलीथीन शीट का वितरण। खण्ड–2 में (विभागीय निदेश अनुलग्नक–39 पर संलग्न) • राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध। • तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।	
• अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) • एस॰डी॰ओ॰/अंचलाधिकारी • फायर ब्रिगेड	अग्नि	• राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। • मृतक एवं घायलों को अनुदान प्रदान करना। • अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। • सहायता केन्द्र स्थापित करना। • क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। • अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
• कृषि विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • वित्त विभाग/कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग • समाज कल्याण विभाग • शिक्षा विभाग/खाद्य	सूखा	• आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। • फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। • सिचांई हेतु डीजल अनुदान देना। • फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान। • किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। • बैंक ऋणों का पुनर्निधारण।	

एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग • ग्रामीण विकास विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग		• पशु संसाधन की देखभाल • सामाजिक सुरक्षा • मध्याहन भोजन की व्यवस्था • रोजगार सृजन। • मुफ्त सहायता।	

7.3.4 चिकित्सा प्रत्युत्तर (Medical Response) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला स्वास्थ्य समिति, • रेड क्रास सोसाईटी, • निजी नर्सिंग होम, • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशुपालन पदाधिकारी	भूकंप, बाढ़, अग्नि, सड़क, रेल दुर्घटना, पानी में डुबने, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• चिकित्सा कर्मियों तथा पारामेडिकल कर्मियों को आवश्यक उपकरणों, मोबाईल चिकित्सा वाहन तथा दवा के साथ राहत शिविरों में नियोजन। • घायलों, बीमारों की चिकित्सा तथा गंभीर रूप से घायलों को एबुलेंस से बड़े अस्पतालों में स्थानान्तरित करना। • महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता एवं सफाई तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना। • नजदीकी ब्लड बैंक/ब्लड डोनर से संपर्क कर खून की कमी वाले घायलों की प्राण रक्षा की व्यवस्था करना।	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मोबाईल मेडिकल टीम।	बाढ़, भूकंप	• महिलाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की देखभाल हेतु आयरन की गोली, सेनेटरी नैपकीन का वितरण, कुआँ/चापाकल में हैलोजन गोली डालने का कार्य, साँप काटने की चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना। • जल जनित रोग से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा एवं टीकाकरण। • गर्भवती माताओं/धातृ महिलाओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के साथ शरणस्थल/राहत शिविरों में प्रसव होने की स्थिति में जच्चा–बच्चा का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु का टीकाकरण, धातृ महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था।	
सिविल सर्जन	अग्नि	• चिकित्सक के दल को संदेश देकर तैयार रखना। • अस्पताल में शय्या उपलब्ध कराना।	

• स्वास्थ्य विभाग • समाज कल्याण विभाग / स्वास्थ्य विभाग	सूखा	• स्वास्थ्य सेवाएँ। • महामारी की रोकथाम। • महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल।	

7.3.5 शव एवं मलवा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला पुलिस • जिला पशु एवं मतस्य संसाधन पदाधिकारी।	बाढ़, भूकंप	• शवों का फोटो रखना। • मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौंपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। • आपदा के कारण मृत पशुओं के शवों का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान। (विभागीय निदेश खंड–2 में अनुलग्नक–167 पर संलग्न)	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
• नगर निकाय • ग्राम पंचायत • पुलिस प्रशासन • रेड क्रॉस सोसाईटी • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल–पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

7.3.6 क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages & Losses) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) • जिला पुलिस बल • भवन निर्माण संभाग • पथ निर्माण संभाग • जल संसाधन प्रमंडल • लघु जल संसाधन प्रमंडल	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	• आपदा के कारण मृत / घायलों की सूची तैयार करना। • क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तथा क्षति का ब्योरा संकलन। • क्षतिग्रस्त सड़क, पुल– पुलिया, नहर बाँध का ब्योरा संकलित करना। • क्षतिग्रस्त विद्युत संचार संरचना का विवरण संकलित करना। • पशुधन क्षति / फसल क्षति का ब्योरा एकत्रित करना। • तटबंधो में रिसाव व टूट की आकलन एवं मरम्मति।	स्थिति सामान्य होने तथा विश्लेषण के उपरांत।

• पावर होल्डिंग कम्पनी • पशु पालन संभाग • कृषि विभाग • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल		• बाढ़ से क्षतिग्रस्त चापाकलों की मरम्मति। • कृषि क्षति का आकलन करना। • मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदर के अनुसार अनुदान का वितरण।	

7.3.7 रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • खाद्य एंव आपूर्ति संभाग • अंचल/प्रखंड कार्यालय • स्वयंसेवी संगठन • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल • फायर ब्रिगेड • सिविल सर्जन	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना एवं आदि	• राहत शिविरों में तथा खतरों से घिरे लोगों तक रसद पहुँचाने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में रसद–पानी का संग्रहण करना। • राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई की स्थापना तथा भोजन पकाने एवं वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना। • अग्निशमन गाड़ियाँ चालू हालत में रखना। • अग्निशमन दल में प्रशिक्षित कर्मी का होना। • अग्निकांड स्थल पर एम्बुलेन्स भेजना	• सामान्य स्थिति बहाल होने तक। • अनिवार्यता का आकलन करने के पश्चात्।

7.3.8 राहत कार्य (Relief Work) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिलाधिकारी • आपदा प्रबंधन प्रभाग • जिला आपदा संचालन केन्द्र • गृह/पुलिस • आपूर्ति संभाग • सहकारिता संभाग • रेड क्रॉस सोसाईटी • नागरिक सुरक्षा • जिला नागरिक परिषद् • एन.सी.सी./स्काउट गाईड	**बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।**	• स्थल पर राहत शिविर लगाना • निम्नांकित केन्द्रों का निर्माण– ○ राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र ○ सामग्रियों का पैकेजिंग केन्द्र ○ राहत सामग्री पैकेटों का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण केन्द्र ○ स्वयंसेवक आवासन केन्द्र • राहत सामग्री संकलन केन्द्र पर प्राप्ति रसीद की व्यवस्था कर रखना। • राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र में मानक के अनुरूप सामग्रियाँ प्राप्त करना। • पैकेट/बंडल की तैयारी कराना तथा इन्हें भंडारित करना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

• स्वंयसेवी संस्थाएँ (प्रशासन से आज्ञा लेकर)		• राहत सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई और किसे ये सामग्रियाँ दी गयी, इस बात का दस्तावेज तैयार कर रखना। • वितरण एवं अन्य कार्यों में स्वयंसेवकों को लगाना तथा उनकी आधारभूत जरूरतों यथा भोजन एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।	
• जिलाधिकारी • विकास आयुक्त • अंचल / प्रखंड कार्यालय • शिक्षा संभाग • कल्याण विभाग (आई.सी.डी.एस.)	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना।	• राहत शिविरो में आपदा प्रभावित लोगों के पहुँचने पर उनका विवरण रजिस्टर में संधारित करना। • सहाय्य सामाग्रियों का भंडारण पंजीकरण, पैकेट निर्माण तथा वितरण सुव्यस्थित ढंग से करना। • स्थिति सामान्य होने पर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचने की व्यवस्था करना। • महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों को चिह्नित करना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

7.3.10 मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय • मिडिया–प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक • सोशल मिडिया (जिला व्हाट्स एप ग्रुप • एन.सी.सी. / नहेरू युवा केन्द्र / एन.एस.एस. • स्वंयसेवी संस्थाएँ	बाढ़, भूकंप, भीषण अग्निकांड, बड़ी सड़क दुर्घटना एवं अन्य	• आपदा के दौरान एलर्ट मैसेज भेजना। • वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित समय में मिडिया ब्रीफिंग करना। • मिडिया से सूचना प्राप्त करना। • अफवाहों का रेडियो, टेलीविजन, जिला व्हाट्स एप के माध्यम से खंडन संदेश भेजना। • मृत, घायल, लापता एवं अन्य की सूची जारी करना। • राज्य स्तर के मिडिया का सहयोग प्राप्त करना। • टॉलफ्री सूचना केन्द्र को प्रचारित करना। • सूचना को प्रचारित करने हेतु एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लेना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

- क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या, जनहानि, पशुहानि तथा संरचनात्मक ढांचे के साथ फसल, बाग–बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
- पीड़ितो को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

अध्याय : 8

पुर्ननिर्माण, पुर्नस्थापन तथा पुर्नप्राप्ति

RECONSTRUCTION, REHABILITATION & RECOVERY

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण एवं रिकवरी एक व्यापक बहु–क्षेत्रीय कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य आपदा से प्रभावित लोगों के मकान का पुनर्निर्माण, सामुदायिक सुविधा, आधारभूत संरचनाओं की पूर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी को कायम रखने की नीति पर आधारित जीविका समर्थन आदि तैयार किया जाना। विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद सभी प्रकार की रिकवरी के लिए पुनर्निर्माण के साथ–साथ पुनर्वास को अपनाने की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर **''पूर्व से बेहतर निर्माण''** की कार्रवाई/गतिविधियां अपनायी जायेंगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं रिकवरी के निम्न उद्देश्य होंगे–

- भविष्य में आपदाओं को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना निर्माण में, सहयोग प्रदान करना
- प्रभावित क्षेत्रों की सार्वजनिक/निजी परिसम्पतियों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप करना;
- राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार उपयुक्त प्रावैधिकी के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के घरों तथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण करना जिसमें भवन निर्माण तथा रेट्रो फिटिंग भी शामिल है।
- आपदा के लिए प्रभावकारी ढंग से प्रत्युत्तर (Response) एवं विकास प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित कर परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तात्कालिक गतिविधियों में क्षतिग्रस्त ढांचों के सुधार, मरम्मत तथा मजबूती से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं, जबकि दीर्घकालिक निर्माणात्मक गतिविधियों में बहु–खतरा लचीला आवास निर्माण, स्थानान्तरण, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आदि के साथ ही मनोवैज्ञानिक, सामाजिक–आर्थिक, पर्यावरणीय एवं कृषिगत पुनर्वास सम्मिलित है।

पुनर्निर्माण चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तत्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तत्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति के अन्तर्गत आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसों से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन

आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक– 30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच 'शक्ति की जिम्मेवारी अधीनस्थ सक्षम अधिकारी को प्रदान कर सकते है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतः–संरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन
(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरपाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये। आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –

- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्तियों का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओं की क्षति
- फसल क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक संघात
- मनुष्यों, पशुओं एवं कृषिगत फसलों में बीमारी

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	2	3	4
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलों को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	आपदा के उपरांत सरकारी भवनो में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता करेंगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	भवन निर्माण प्रमंडल

4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/ पुनर्निर्माण,	संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी
6	कृषि/ पशु संसाधन	• फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, रकबा एवं भू–मालिकों के ब्योरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्यांकन करना।	जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बीमा कम्पनी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति

8.2 पीड़ितो को राहत

भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये है इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰ एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड़ों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना, नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।

8.3 आधारभूत सरंचनाओं का पुनर्स्थापन

आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क सम्पर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण

बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैनिक कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो यथा उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपात्कालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माणः अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापनः आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

स्वास्थ्य सेवायें एवं सुविधाओं का पुनर्स्थापनः आपदा के चपेट में आने से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन हादसो के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वापसीः बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यो से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते है। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन

BUDGET & FINANCIAL RESOURCE

आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष का सर्वाधिक महत्व होता है, अतः इसको भी ध्यान में रखते हुए समस्त योजना तैयार की जाती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। आपदा प्रबन्धन योजना हेतु निम्नांकित वित्तीय प्रबन्धों का प्रावधान किया गया है–

9.1 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पॉन्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं0 323/2010–एनडीएम–1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पॉन्स फण्ड का गठन किया। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया।

9.2 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

13 वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

9.3 क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा प्रत्युत्तर को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पॉन्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

9.4 प्रधानमंत्री राहत कोष

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।

सामान्यतः, धनराशि या तो तत्काल वितरित कर दी जाती है अथवा उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियत कर दिया जाता है। शेषधन राशि को दीर्घावधि तक सुरक्षित रखने के लिए समुचित रूप से उसका निवेश किया जाता है। अधिकतम सुरक्षित धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि का निवेश बैंकों में आवधिक जमा योजनाओं में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं –

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु।
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु।

- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख–भाल पहुंचाने हेतु।
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ–सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु।
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

9.5 मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष स्थापित है। जिसमें विभिन्न माध्यमों से अर्थात शासकीय, अशासकीय व्यक्ति अथवा संस्था या कार्यालय द्वारा दी गई दान स्वरूप राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाती है। इस कोष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेक के अनुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उक्त पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत होता है, इस कोष से सहायता दी जाती है। यह दान राशि नगद, मनीआर्डर, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी प्राप्त होती है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

9.6 सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद रू0 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च कर सकता है।

9.7 अधिनियम में प्रावधान :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा–48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किये जाने के ठीक पश्चात्, निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"– (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णन है कि उपधारा–(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम

विभिन्न प्रकार की आमजन योजनाओं जैसे मनरेगा आदि के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इन योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक दूसरी प्रभावी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु रेखांकित होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मीड–डे–मिल एक ऐसी ही योजना है। बाढ़ एवं सूखाड़ दोनों परिस्थितियों के भूखमरी से प्रभावित लक्षित वर्ग के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है। विशेषकर बंटाईदार किसानों के लिए बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015 से जुड़ाव किया जा सकता हैं।

9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग/संभाग/एजेंसी
1	2	3	4
1	कृषि रोड मैप	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	मनरेगा	• पंचायत स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुर्ननिर्माण, पुनस्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते है। • सामाजिक वानिकी।	ग्रामीण विकास एंव पर्यावरण एवं वन
3	सात निश्चय कार्यक्रम	गली–नाली की स्थापना एवं हर घर नल का जल अंतर्गत पाईप से पानी की आपूर्त्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	शताब्दी अन्न कलश योजना– 2011	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आपूर्ति)
7	बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	दीनदयाल अंत्योदय योजना – जीविका	महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग (रूरल लाईवलीहुड मिशन)
9	आंगनवाड़ी	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण विभाग–आई. सी.डी.एस.
10	लोहिया स्वच्छ बिहार योजना	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग
11	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु	पेयजल एवं स्वच्छता

	कार्यक्रम	संरचना निर्माण का स्थापन।	
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	सर्व शिक्षा अभियान	स्कूल तथा उसमें शौचालय एंव चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	जननी सुरक्षा	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
17	मिड–डे–मील योजना	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।	मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम
18	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	सांसद आदर्श ग्राम योजना	सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र के 3 गाँव को 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 5 गाँवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
22	पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.3 अन्य स्त्रोत

इसके अलावा जिला में किसी आपदा के समय प्रभावित समुदाय के सहायता हेतु अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें अपनी स्वेच्छा से आती है। ये आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अपनी–अपनी सुविधाओं के अनुसार समुदायिक क्षमता विकास एवं डिजास्टर रेजिलिएन्स प्रक्रिया विकसित करने हेतु बहुतायत परियोजनायें संचालित करती हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत से पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है।

अध्याय–10

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन

योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायेगी

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :–

31 (4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायेगा।

31 (5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

31 (6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31 (7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुर्नविलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगे और उसे अद्यतन (Update) करेंगे।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकनः– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनर्प्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये। इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना की प्रभावशीलता की जाँचः– प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है।

भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दोहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :– जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियों/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे–बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते हैं। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अद्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँचः– योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गांरटी सुनिश्चित करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण :– जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन (Updation of Plan) :– जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासो की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :– सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।